




सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2017-18

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
● विषय सूची	i-ii
● प्रस्तावना	iii
● विनियोग लेखे का सारांश	iv - xvi
● भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र विनियोग लेखे-	xvii - xviii
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1-20
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	21-37
3. भवन निर्माण विभाग	38-43
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	44-46
5. राज्यपाल सचिवालय	47
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	48
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	49
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	50-52
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	53-56
10. ऊर्जा विभाग	57-60
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	61-62
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	63-67
13. ब्याज संदाय	68-72
14. ऋण की वापसी/अदायगी	73-76
15. पेंशन	77-79
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	80
17. वाणिज्यकर विभाग	81-83
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	84-95
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	96-105
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	106-130
21. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	131-143
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	144-155
23. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	156-168
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	169-172
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)	173
26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	174-187
27. विधि विभाग	188-190
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	191
29. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)	192-194

30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	195-201
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	202
32. विधान सभा	203-204
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	205-207
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	208
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	209-213
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	214-218
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	219
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	220-221
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	222-230
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	231-235
41. पथ निर्माण विभाग	236-242
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	243-252
43. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	253-260
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	261-262
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	263-268
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	269-270
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	271-275
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	276-284
49. जल संसाधन विभाग	285-296
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	297-303
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	304-325
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	326-331
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	332-337
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	338-347
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	348-352
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	353-357
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	358-360
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	361-371
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	372-383
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग परिशिष्ट	384-407 408

प्रस्तावना

वर्ष 2017-18 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)				
दत्तमत	15,50,39,25	3,39,58,13	8,38,92,34	3,35,70,74
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)				
दत्तमत	3,75,42,23	26,00,00	2,15,48,75	9,10,46
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,47,88,93	6,52,49,40	1,00,77,36	5,36,27,18
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)				
दत्तमत	55,91,49	00	45,19,32	00
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	10,44,87	00	8,25,60	00
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग				
दत्तमत	61,76,35	00	59,81,08	00
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)				
दत्तमत	24,35,32	00	23,54,24	00
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)				
दत्तमत	26,64,63	1,11,10,77	22,04,46	88,26,91
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)				
दत्तमत	2,16,03,79	1,88,24,10	1,54,34,02	1,81,31,89
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	46,57,49,60	18,43,74,00	45,85,09,68	17,60,67,10
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	25,88,17	11,98,91	20,72,50	11,98,91

सारांश			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

7,11,46,91	3,87,39	00	00
1,59,93,48	16,89,54	00	00
47,11,57	1,16,22,22	00	00
10,72,17	00	00	00
2,19,27	00	00	00
1,95,27	00	00	00
81,08	00	00	00
4,60,17	22,83,86	00	00
61,69,77	6,92,21	00	00
72,39,92	83,06,90	00	00
5,15,67	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)				
दत्तमत	83,77,26	1,17,93,00	43,07,17	55,59,40
13. ब्याज संदाय				
प्रभारित	44,67,99,45	00	46,61,68,30	00
14. ऋण की वापसी/अदायगी				
प्रभारित	2,30,00,00	30,57,17,26	00	29,49,50,24
15. पेंशन				
दत्तमत	58,41,43,02	00	59,13,24,09	00
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)				
दत्तमत	2,65,14	00	2,30,14	00
17. वाणिज्यकर विभाग				
दत्तमत	74,24,95	7,72,10	66,17,08	86,00
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग				
दत्तमत	13,46,33,94	80,00,00	9,17,62,26	26,53,99
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	7,08,68,48	00	5,91,21,39	00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग				
दत्तमत	35,19,15,66	5,24,99,96	25,37,70,46	3,09,48,90
21. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	12,38,53,00	00	10,32,05,13	00
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)				
दत्तमत	43,93,31,79	4,58,59,48	42,33,60,97	3,72,69,53

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

40,70,09	62,33,60	00	00
00	00	1,93,68,85	00
		(1,93,68,84,665)	
2,30,00,00	1,07,67,02	00	00
00	00	71,81,07	00
		(71,81,07,175)	
35,00	00	00	00
8,07,87	6,86,10	00	00
4,28,71,68	53,46,01	00	00
1,17,47,09	00	00	00
9,81,45,20	2,15,51,06	00	00
2,06,47,87	00	00	00
1,59,70,82	85,89,95	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
23. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)				
दत्तमत	4,66,96,49	20,50,00	2,33,27,72	15,50,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग				
दत्तमत	2,11,79,72	11,00,00	1,83,85,47	10,89,80
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)				
दत्तमत	2,08,71	00	1,53,00	00
26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग				
दत्तमत	2,41,69,53	79,42,67	1,33,60,24	34,61,52
27. विधि विभाग				
दत्तमत	4,15,04,88	00	2,95,76,35	00
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय				
प्रभारित	88,61,78	00	81,57,18	00
29. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)				
दत्तमत	1,15,73,36	2,00,00	36,38,23	00
30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	2,99,04	1,16,01,00	2,10,38	66,37,21
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	1,41,05	00	94,23	00
32. विधान सभा				
दत्तमत	83,72,60	00	80,40,28	00
प्रभारित	52,00	00	50,66	00
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	31,06,13	00	25,76,21	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

2,33,68,77	5,00,00	00	00
27,94,25	10,20	00	00
55,71	00	00	00
1,08,09,29	44,81,15	00	00
1,19,28,53	00	00	00
7,04,60	00	00	00
79,35,13	2,00,00	00	00
88,66	49,63,79	00	00
46,82	00	00	00
3,32,32	00	00	00
1,34	00	00	00
5,29,92	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	9,37,52	00	7,93,57	00
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) दत्तमत	3,72,26,63	10,00	3,46,53,43	00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत	18,87,67,05	4,56,35,00	17,23,65,58	3,32,25,59
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) दत्तमत	23,47,77	00	22,83,80	00
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) दत्तमत	32,39,82	00	27,34,30	00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) दत्तमत	7,92,92,30	00	5,23,23,63	00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) दत्तमत	5,35,80,62	45,00,14	4,61,60,75	44,01,81
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत	5,51,65,72	50,93,00,00	2,91,18,91	50,36,91,10
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) दत्तमत	55,75,69,56	4,98,90,30	33,42,12,41	4,94,50,80
43. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) दत्तमत	4,21,43,40	4,40,78,00	3,12,03,91	3,28,96,69

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1,43,95	00	00	00
25,73,20	10,00	00	00
1,64,01,47	1,24,09,41	00	00
63,97	00	00	00
5,05,52	00	00	00
2,69,68,67	00	00	00
74,19,87	98,33	00	00
2,60,46,81	56,08,90	00	00
22,33,57,15	4,39,50	00	00
1,09,39,49	1,11,81,31	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
दत्तमत	7,00,28	00	6,18,89	00
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग				
दत्तमत	1,92,40,96	22,00,00	72,79,51	1,45,95
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)				
दत्तमत	52,19,89	71,00,00	46,83,59	70,99,93
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)				
दत्तमत	2,61,19,30	31,13,00	2,51,41,04	16,57,50
48. नगर विकास एवं अवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)				
दत्तमत	33,82,45,81	71,02,83	29,52,03,56	69,69,63
49. जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	3,93,51,52	19,11,05,58	3,22,62,65	12,30,06,08
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)				
दत्तमत	98,08,37	6,67,48,00	83,13,08	4,59,09,25
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	18,69,73,17	3,66,44,00	10,89,71,26	1,98,91,42
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	90,70,95	34,66,61	69,81,91	29,41,61
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)				
दत्तमत	75,53,76	64,00,00	57,21,40	43,81,31
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)				
दत्तमत	3,08,97,54	17,10,00	1,75,46,89	11,04,60

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

81,39	00	00	00
1,19,61,45	20,54,05	00	00
5,36,30	0,07	00	00
9,78,26	14,55,50	00	00
4,30,42,25	1,33,20	00	00
70,88,87	6,80,99,50	00	00
14,95,29	2,08,38,75	00	00
7,80,01,91	1,67,52,58	00	00
20,89,04	5,25,00	00	00
18,32,36	20,18,69	00	00
1,33,50,65	6,05,40	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) दत्तमत	13,03,81,70	16,71,44,50	11,39,52,53	15,98,28,02
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) दत्तमत	18,01,86,79	6,00,00	15,74,94,69	3,51,34
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) दत्तमत	9,22,09	42,00,00	4,62,47	2,00,00
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	17,47,34,66	23,00,00	11,56,72,06	42,92
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	70,32,02,82	25,00,00	53,27,95,09	00
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग दत्तमत	33,42,46,47	64,00,00	25,23,16,38	16,52,84
कुल दत्तमत	5,80,84,33,46	1,62,12,81,48	4,63,01,28,27	1,38,04,37,93
कुल प्रभारित	48,06,95,62	30,57,17,26	47,59,95,31	29,49,50,24
कुल जोड़	6,28,91,29,08	1,92,69,98,74	5,10,61,23,58	1,67,53,88,17

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,64,29,17	73,16,48	00	00
2,26,92,10	2,48,66	00	00
4,59,62	40,00,00	00	00
5,90,62,60	22,57,08	00	00
17,04,07,73	25,00,00	00	00
8,19,30,09	47,47,16	00	00
1,18,54,86,26	24,08,43,55	71,81,07	00
2,40,69,16	1,07,67,02	1,93,68,85	00
1,20,95,55,42	25,16,10,57	2,65,49,92	00

विनियोग लेखे का सारांश-क्रमांत

निम्नलिखित दत्तमत्त अनुदान में अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है:-

राजस्व प्रभाग:

15- पेंशन

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है:-

राजस्व प्रभाग:

13- ब्याज संदाय

चूंकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत्त		प्रभारित	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	4,63,01,28,27	1,38,04,37,93	47,59,95,31	29,49,50,24
घटाएँ -				
कुल वसूलियाँ	1,09,16,41	00	00	00
निवल कुल व्यय	4,61,92,11,86	1,38,04,37,93	47,59,95,31	29,49,50,24
जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।				

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं सवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल

द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

अतिमहत्वपूर्ण बातें

मैं निम्नलिखित अर्थपूर्ण विषयों/मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं तथा लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं।

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य विधानमंडल के द्वारा एक अनुदान एवं एक विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत की गई राशि से ₹ 265.50 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया। राज्य विधानमंडल द्वारा ₹ 2,749.87 करोड़ का अधिक संवितरण जो कि वर्ष 2001-02 से 2016-17 तक से संबंधित है को विनियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो यह दर्शाता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधिसम्मत विनियोग के अलावे समेकित निधि से कोई भी राशि की निकासी नहीं किया जाना चाहिये।

2. वर्ष 2017-18 के दौरान किये गये कुल अनुदान अथवा विनियोग तथा व्यय के मध्य महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप छह अनुदानों (1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, 42-ग्रामीण विकास, 51-कल्याण, 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता एवं 60-महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा) के अन्तर्गत ₹ 7,693.67 करोड़ की बचत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, इन अनुदानों के अन्तर्गत विगत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक में कम से कम ₹ 5,782.86 करोड़ की कुल बचत हुई थी।

दिनांक : 31 जुलाई, 2019

नई दिल्ली



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,76,36,60	15,50,39,25	8,38,92,34	(-)7,11,46,91
अनुपूरक	74,02,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

6,78,83,22

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,24,00,00	3,39,58,13	3,35,70,74	(-)3,87,39
अनुपूरक	15,58,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,58,83

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 7,11,46.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 34,82.16 लाख), दिसंबर 2017 (₹ 33,08.10 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 6,12.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 74,02.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,78,83.22 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,11,46.91 लाख) से ₹32,63.69 लाख कम था।

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2401-00.109.01 - प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय) 2401-00.796.AK - महिला स्कूल सहायता समूहों के लिए यंत्रीकरण प्रोत्साहन की योजना (राज्य स्कीम) एवं 2415-80.796.04 - बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 4,41.20 लाख, ₹ 1,19.45 लाख एवं ₹ 1,82.01 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 57,05.87 लाख, ₹ 42,00.00 लाख एवं ₹ 1,03,46.70 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	2,37.30	2,37.30	0.00	₹1,22.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.70				
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	1,14.34	1,14.34	0.00	₹1,25.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.66				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,80.00	5,19.13	5,19.13	0.00	₹5,60.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,60.87				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,20.00	3,08.60	3,08.60	0.00	₹4,11.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,11.40				
2401-00.102.AJ- डबल क्रॉपिंग राईस फैलो स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	9,60.00	4,41.57	4,41.57	0.00	₹5,18.43 लाख की प्रत्याशित बचत निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,18.43				
2401-00.102.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,16.00	1,39.19	1,39.19	0.00	₹76.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.81				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102. AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,44.00	74.95	74.95	0.00	₹69.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.05				
2401-00.102.AU- कन्वर्सन ऑफ फ़ैलो लैन्ड इन्टु क्रॉप्ड एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	10,28.82	10,28.82	0.00	₹19,71.18 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,71.18				
2401-00.102.AW- बीज विनियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	10,73.93	10,73.93	0.00	₹4,26.07 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,26.07				
2401-00.102.AZ- विशेष फसल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,60.00	5,42.86	5,42.86	0.00	₹4,93.14 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	3,76.00				
	पुनर्वि.	(-)4,93.14				
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	1,15.06	1,15.06	0.00	₹1,71.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,15.00				
	पुनर्वि.	(-)1,71.94				
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	77.04	77.04	0.00	₹1,77.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,07.00				
	पुनर्वि.	(-)1,77.96				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.105.B2- जैविक प्रमाणिकरण एवं जैविक खाद उतपादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	19,50.00	17,74.94	11,67.39	(-)6,07.55	₹1,75.06 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹6,07.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.06				
2401-00.109.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	6,13.69	6,13.69	0.00	₹8,86.31 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,86.31				
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,50.00	6,81.63	6,81.63	0.00	₹6,68.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,68.37				
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,00.00	4,59.34	4,59.34	0.00	₹4,40.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,40.66				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,10.00	7,24.18	7,24.18	0.00	₹85.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.82				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,40.00	4,61.15	4,61.15	0.00	₹78.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.85				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,80.00	1,75.41	1,75.41	0.00	₹9,04.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,04.59				
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,20.00	1,38.49	1,38.49	0.00	₹6,81.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)6,81.51				
2401-00.109.AX- कृषि मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	88.33	90.03	+ 1.70	₹61.67 लाख की प्रत्याशित बचत इस वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹1.70 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.67				
2401-00.109.BO- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल वेस्ट ई-सोल्युसन (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	4,81.22	4,81.22	0.00	₹2,68.78 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,68.78				
2401-00.113.AL- छोटे और सीमांत कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों/ किसान क्लब को पम्पसेट का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	12,12.67	12,12.67	0.00	₹2,87.33 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,87.33				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	90.00	46.48	46.48	0.00	₹43.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.52				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	60.00	25.18	25.18	0.00	₹34.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.82				
2401-00.114.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	54.00	43.30	43.30	0.00	₹1,00.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	90.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.70				
2401-00.114.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	36.00	16.74	16.74	0.00	₹79.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)79.26				
2401-00.119.01- उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	3,93.39	2,91.59	2,91.59	0.00	₹1,01.80 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि का व्यय नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.80				
2401-00.119.05- सब्जी विकास योजना (रोग मुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (स्थापना व्यय)	मूल	2,66.46	1,29.23	1,29.23	0.00	₹1,37.23 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि का व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.23				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.119.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	13,07.17	13,07.17	0.00	₹2,92.83 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,92.83				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,50.00	2,16.44	2,16.44	0.00	₹2,33.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.56				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	1,44.48	1,44.48	0.00	₹1,55.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,55.52				
2401-00.789.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,80.00	1,32.57	1,32.57	0.00	₹47.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.43				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20.00	72.63	72.63	0.00	₹47.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.37				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	48.42	48.42	0.00	₹31.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.58				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	1,15.81	1,15.81	0.00	₹2,44.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,44.19				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	64.00	64.00	0.00	₹1,76.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.00				
2401-00.789.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18.00	1.46	1.46	0.00	₹52.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	36.00				
	पुनर्वि.	(-)52.54				
2401-00.789.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	12.00	1.91	1.91	0.00	₹34.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	24.00				
	पुनर्वि.	(-)34.09				
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,40.00	39.13	39.13	0.00	₹14,00.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,00.87				
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,60.00	1,01.69	8.50	(-)93.19	₹9,51.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,58.31				
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	22.80	22.80	0.00	₹3,37.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,37.20				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	2,90.00	38.13	(-)2,51.87	₹2,51.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.789.AJ- डबल क्रॉपिंग राईस फैलो स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	3,20.00	57.26	57.26	0.00	₹2,62.74 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,62.74				
2401-00.789.AL- छोटे और सीमांत कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों/किसान क्लब को पम्प सेट का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,83.13	2,83.13	0.00	₹2,16.87 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,16.87				
2401-00.789.AU- कन्वर्सन ऑफ फैलो लैंड इन्टू ब्रॉड एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	3,76.77	3,76.77	0.00	₹6,23.23 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,23.23				
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	24.00	33.35	33.35	0.00	₹62.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	72.00				
	पुनर्वि.	(-)62.65				
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	16.00	22.21	22.21	0.00	₹62.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	69.00				
	पुनर्वि.	(-)62.79				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AW- बीज विनिमय वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,12.10	1,99.31	(-)12.79	₹2,87.90 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹12.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,87.90				
2401-00.789-B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूमन (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	90.75	90.75	0.00	₹1,59.25 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.25				
2401-00.789.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,76.05	1,76.05	0.00	₹3,23.95 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,23.95				
2401-00.789.B2- जैविक प्रामाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	5,45.87	4,72.52	(-)73.35	₹1,04.13 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 73.35 लाख की की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04.13				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	27,00.00	14,74.60	15,05.35	+30.75	₹12,25.40 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 30.75 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,25.40				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.28- राज्य बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	18,00.00	9,77.05	9,77.05	0.00	₹8,22.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,22.95				
2401-00.796.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	2,79.37	2,79.37	0.00	₹3,20.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.63				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,20.00	11,88.98	11,60.63	(-)28.35	₹4,59.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,31.02				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,80.00	6,57.84	6,57.84	0.00	₹4,22.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,22.16				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,20.00	1,90.25	1,90.25	0.00	₹5,29.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,29.75				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,80.00	1,26.44	1,26.44	0.00	₹3,53.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,53.56				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	21,60.00	14,06.63	14,06.63	0.00	₹7,53.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,53.37				
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	14,40.00	7,66.17	7,66.17	0.00	₹6,73.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,73.83				
2401-00.796.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,08.00	50.17	50.17	0.00	₹3,01.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,44.00				
	पुनर्वि.	(-)3,01.83				
2401-00.796.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	72.00	60.68	60.68	0.00	₹1,74.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,63.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.32				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	86,40.00	22.27	22.27	0.00	₹86,17.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86,17.73				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	57,60.00	6,62.35	1.35	(-)6,61.00	₹57,58.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,97.65				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	21,60.00	4,17.28	4,17.28	0.00	₹17,42.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,42.72				
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	14,40.00	4,39.79	4,39.79	0.00	₹11,00.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)11,00.21				
2401-00.796.AJ- डबल क्रॉपिंग राइस फैलो योजना (राज्य स्कीम)	मूल	19,20.00	5,62.24	5,62.24	0.00	₹13,57.76 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,57.76				
2401-00.796.AL- छोटे और सीमांत कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों/ किसान क्लब को पम्पसेट का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	18,13.20	17,69.56	(-)43.64	₹11,86.80 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹43.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,86.80				
2401-00.796.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,32.00	2,78.38	2,78.38	0.00	₹1,53.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.62				
2401-00.796.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,88.00	1,49.90	1,49.90	0.00	₹1,38.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,38.10				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	87.26	87.26	0.00	₹92.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.74				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	50.18	53.03	+ 2.85	₹66.97 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.82				
2401-00.796.AU- कन्वर्सन ऑफ फैलो लैण्ड इन्टू क्रॉप एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	23,02.88	23,07.96	+ 5.08	₹36,97.12 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹5.08 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36,97.12				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,44.00	1,70.07	1,69.95	(-)0.12	₹4,02.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4,29.00				
	पुनर्वि.	(-)4,02.93				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	96.00	1,12.02	1,12.14	+ 0.12	₹3,95.86 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4,12.00				
	पुनर्वि.	(-)3,95.98				
2401-00.796.AX- कृषि मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,36.98	2,35.29	(-)1.69	₹64.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.02				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AY- कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	17,00.00	15,00.00	15,00.00	0.00	₹2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि की उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2401-00.796.AZ- विशेष फसल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,20.00	8,97.02	8,96.43	(-)0.59	₹4,22.98 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹2,46.98 लाख की बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹1,76.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,22.98				
2401-00.796.B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूसन (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	9,56.89	8,69.34	(-)87.55	₹5,43.11 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं होने के कारण हुई थी। ₹87.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,43.11				
2401-00.796.B2- जैविक प्रमाणिकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	39,00.00	33,65.26	25,70.50	(-)7,94.76	₹5,34.74 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं होने के कारण हुई थी। ₹7,94.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,34.74				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	43,20.00	1,40.41	1,40.41	0.00	₹41,79.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41,79.59				
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	28,80.00	5,85.07	26.07	(-)5,59.00	₹28,53.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,94.93				
2402-00.101.01- सर्वे स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,07.86	1,59.14	1,59.14	0.00	₹48.72 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि का व्यय नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.72				
2402-00.102.04- क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	24,01.71	9,94.50	9,94.50	0.00	₹14,07.21 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि का व्यय नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,07.21				
2415-01.004.02- मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (स्थापना व्यय)	मूल	1,02.17	74.16	59.16	(-)15.00	₹28.01 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि का व्यय नहीं किए जाने के कारण हुई थी। ₹15.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.01				
2435-01.102.11- कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	6.41	6.41	0.00	₹83.59 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.59				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2435-01.796.11- कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	36.96	36.96	0.00	₹1,43.04 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि का उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,43.04				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.96- सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि उपकरणों से सिंचाई (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2401-00.115.B6- छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	निदेशालय द्वारा निधि का व्यय नहीं किये जाने के कारण ₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2401-00.195.B3- इन्टरेस्ट सबमेन्सन (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2401-00.789.96- सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि उपकरणों से सिंचाई (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AZ- विशेष फसल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹2,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2401-00.789.B3- इन्टरेस्ट सबमेशन (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2401-00.796.96 - सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कृषि उपकरणों, सिंचाई पम्प सेट सहित (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹18,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.00				
2401-00.796.B3- इन्टरेस्ट सबमेशन (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण ₹24,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,00.00				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ in lakh)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AW- बीज विनियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	11,10.30	11,93.37	+ 83.07	₹18,89.70 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹83.07 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,89.70				
2401-00.796.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	18,41.32	19,15.42	+ 74.10	₹11,58.68 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹74.10 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,58.68				

पूँजी :

- (6) ₹ 3,87.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 15,58.13 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,58.83 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,87.39 लाख) से ₹ 28.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या-1 क्रमांत

- (8) शीर्ष 4401-00.796.12 - आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹1,56.95 लाख की बचत, जो कि ₹22,34.77 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ in lakh)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.101.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	7,20.00	12,18.84	12,18.84	0.00	₹1,08.71 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	6,07.55				
	पुनर्वि.	(-)1,08.71				

**अनुदान संख्या 2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2403-पशुपालन, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत्त :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	3,51,91,48	3,75,42,23	2,15,48,75	(-)1,59,93,48
अनुपूरक	23,50,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,37,03,60

पूंजी:

दत्तमत्त:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	26,00,00	26,00,00	9,10,46	(-)16,89,54
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

16,89,54

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,59,93.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2017 (₹ 20,63.00 लाख) एवं जनवरी 2018 में (₹ 2,87.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 23,50.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,37,03.60 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,59,93.48 लाख) से ₹ 22,89.88 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2403-00.796.13 - सूकर प्रजन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम) एवं 2403-00.796.34 - बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,07.90 लाख एवं ₹ 1,07.50 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 11,32.00 लाख एवं ₹ 10,92.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.001.02- अधीक्षण - प्रमण्डल प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	2,25.17	1,77.57	1,77.57	0.00	7 वां वेतन आयोग का बकाये/एम.एम.पी./सेवा निवृत्ति लाभ की भुगतान किये जाने के कारण ₹ 40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 7.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2.25 लाख की बचत पदों के रिक्त होने के कारण हुई थी। ₹ 5.35 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.60				
2403-00.001.03- निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	67.00	36.69	36.69	0.00	₹ 30.31 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.31				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,68.13	1,15.99	1,15.99	0.00	₹ 39.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी मुख्यतः 7वां वेतन आयोग का बकाये/एम.ए. सी.पी./ सेवा निवृत्ति लाभ (₹ 39.00 लाख) की भुगतान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 12.64 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.14				
2403-00.101.04- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम (राज्य स्कीम)	मूल	63.00	29.69	29.69	0.00	₹ 33.31 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता (₹ 31.00 लाख) नहीं रहने एवं आर्थिक मित्तव्ययिता (₹ 2.31 लाख)के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.31				
2403-00.101.30- इपीडोमिओलौजीकल एवं अनुश्रवण कोषांग (राज्य स्कीम)	मूल	4,15.00	67.74	67.94	+0.20	₹ 3,47.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आर्थिक मित्तव्ययिता (₹ 3,45.26 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,47.26				
2403-00.101.87- कृषक/पशुपालन सम्मान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	31.00	2.16	2.16	0.00	₹ 28.84 लाख की प्रत्याशित बचत अर्थिक मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.84				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.102.94- कृषि सह बकरी एवं शूकर पालन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	62.00	33.97	33.97	0.00	₹ 28.03 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.03				
2403-00.103.05- कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	9,30.00	4,53.54	4,53.54	0.00	₹ 4,76.46 लाख की प्रत्याशित बचत झारखण्ड राज्य महिला पोल्ट्री फेडरेशन से कुक्कुट योजना का संचालन पर निर्णय नहीं होने तथा बत्तख चूजा योजना में लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,76.46				
2403-00.103.74- बैकयार्ड लो इनपुट बर्ड की वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,86.00	91.10	91.10	0.00	₹ 94.90 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.90				
2403-00.104.34- बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	26,04.00	23,02.98	23,02.98	0.00	₹ 3,01.02 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,01.02				
2403-00.105.32- सूकर प्रजनन इकाई (राज्य स्कीम)	मूल	27,00.00	18,37.78	18,37.78	0.00	₹ 8,62.22 की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,62.22				
2403-00.106.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	2,03.00	1,51.03	1,51.03	0.00	₹ 51.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आर्थिक मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.97				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.109.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,04.78	73.02	73.02	0.00	7वां वेतन आयोग का बकाये/एम.ए.सी.पी./सेवा निवृत्ति लाभ की भुगतान किये जाने के कारण ₹ 6.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 25.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः गलत शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान (₹ 24.00 लाख) किये जाने कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.76				
2403-00.109.34 - प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	8.20	8.20	0.00	₹ 51.80 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्य नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.80				
2403-00.109.86- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	87.00	39.63	39.63	0.00	₹ 47.37 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.37				
2403-00.789.13- सूकर प्रजनन इकाई (राज्य स्कीम)	मूल	5,23.00	2,96.52	2,96.52	0.00	₹ 2,26.48 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुसार लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,26.48				
2403-00.789.34- बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	5,04.00	4,46.20	4,46.20	0.00	₹ 57.80 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुसार लाभुकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.80				
2403-00.789.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टिविटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	67.60	21.03	21.03	0.00	₹ 46.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.57				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.24- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	3,86.00	3,32.27	3,32.27	0.00	₹ 53.73 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.73				
2403-00.796.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,06.00	37.87	37.96	+0.09	₹ 1,68.13 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण कार्य (₹ 97.00 लाख) नहीं रहने एवं आर्थिक मित्तव्ययिता (₹ 71.13 लाख) होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,68.13				
2403-00.796.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	4,70.00	3,28.54	3,28.54	0.00	₹ 1,41.46 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.46				
2403-00.796.74- बैंकयार्ड लो इनपुट बर्ड की वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	78.00	43.56	43.56	0.00	₹ 34.44 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुसार लाभूकों का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.44				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर.नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर.नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.101.91- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (आर. के.वी.वाई.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,48.00	6,48.00	0.00	(-)6,48.00	₹ 6,48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.101.91- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (आर.के.वी.वाई.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,32.00	4,32.00	0.00	(-)4,32.00	₹ 4,32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.101.98- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अन्तर्गत (एल. एच. एण्ड डी.सी.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,71.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5,71.00				
	पुनर्वि.	(-)5,71.00				
2403-00.101.98- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अन्तर्गत (एल. एच. एण्ड डी.सी.) फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	3,80.00				
	पुनर्वि.	(-)3,80.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.102.36- जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	पूर्व वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से मिलने के कारण ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2403-00.102.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टीविटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,44.60	1,26.18	0.00	(-)1,26.18	₹ 1,44.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.42				
2403-00.102.93- खाद्य चारा मशीन का अधीष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	योजना का संचालन नहीं होने तथा राशि पी. एल. खाते हस्तांतरित नहीं हो पाने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2403-00.103.88- पोल्ट्री फेडरेशन द्वारा संचालित 400 अंडा देने वाले मुर्गी पालन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	28,28.00	0.00	0.00	0.00	झारखण्ड राज्य महिला पोल्ट्री फेडरेशन के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 28,28.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,28.00				
2403-00.103.96 - इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेकनोलॉजी बर्ड्स (आई.पी.पी.पी. फॉर एल.आई.टी.बर्ड्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 62.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	62.40				
	पुनर्वि.	(-)62.40				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.103.96 - इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेकनोलॉजी बर्ड्स (आई.पी.पी.पी. फॉर एल.आई.टी.बर्ड्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 41.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	41.60				
	पुनर्वि.	(-)41.60				
2403-00.103.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोइलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोइलर्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,35.00				
	पुनर्वि.	(-)1,35.00				
2403-00.103.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोइलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोइलर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	90.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2403-00.106.08- गो सेवा आयोग को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	पूर्व वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से मिलने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2403-00.106.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.106.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.106.12- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पशु स्वास्थ्य शिविर (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	89.40	0.00	0.00	0.00	₹ 89.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.40				
2403-00.106.12- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पशु स्वास्थ्य शिविर (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	59.60	0.00	0.00	0.00	₹ 59.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.60				
2403-00.106.89- राजकीय सूकर प्रक्षेत्र, गौरिया कर्मा का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	74.40	74.40	0.00	(-)74.40	₹ 74.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.106.89- राजकीय सूकर प्रक्षेत्र, गौरिया कर्मा का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	49.60	49.60	0.00	(-)49.60	₹ 49.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.107.56- चारा टेसटिंग लैब का आधुनिकीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.02 - पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.02 - पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹ 32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.789.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹ 32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.789.23- कुक्कुट इकाई का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	झारखण्ड राज्य महिला पोल्ट्री फेडरेशन के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
2403-00.789.67- पशुधान रोग नियंत्रण (पी.पी. आर.नियंत्रण) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.67- पशुधान रोग नियंत्रण (पी.पी. आर.नियंत्रण) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹ 32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.789.88 - पोल्ट्री फेडरेशन द्वारा संचालित 400 अंडा देने वाली मुर्गी पालन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,47.00	0.00	0.00	0.00	झारखण्ड राज्म महिला पोल्ट्री फेडरेशन के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 5,47.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,47.00				
2403-00.789.89 - पोल्ट्री फेडरेशन द्वारा संचालित 400 अंडा देने वाली मुर्गी पालन की योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	48.00	0.00	(-)48.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.789.89 - पोल्ट्री फेडरेशन द्वारा संचालित 400 अंडा देने वाली मुर्गी पालन की योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.789.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टिविटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,01.40	31.55	0.00	(-)31.55	₹ 1,01.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.85				
2403-00.789.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टिविटी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	67.60	21.03	0.00	(-)21.03	₹ 67.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.57				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.91- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,34.20	3,34.20	0.00	(-)3,34.20	₹ 3,34.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.789.91- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत फुट एवं माउथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,22.80	2,22.80	0.00	(-)2,22.80	₹ 2,22.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.06- कुक्कुट प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	0.00	0.00	0.00	झारखण्ड राज्य महिला पोल्ट्री फेडरेशन के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 3,90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,90.00				
2403-00.796.12- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37.20	0.00	0.00	0.00	₹ 37.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.20				
2403-00.796.84- इंटरग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2016-17 में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से निधि का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.88- पोल्ट्री फेडरेशन द्वारा संचालित 400 अंडा देने वाली मुर्गी पालन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,86.00	0.00	0.00	0.00	झारखण्ड राज्य महिला पोल्ट्री फेडरेशन के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 11,86.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,86.00				
2403-00.796.92- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई)-प्रोजेन सीमेन बुल स्टेशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	1,80.00	0.00	(-)1,80.00	₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.92- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई)-प्रोजेन सीमेन बुल स्टेशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	1,20.00	0.00	(-)1,20.00	₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.93- खाद्य चारा मशीन का अधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	1,20.00	0.00	0.00	योजना का संचालन नहीं होने तथा राशि पी० एल० खाते में हस्तांतरित नहीं हो पाने के कारण ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
3454-01.001.03- पशुगणना (के.से.स्कीम))	मूल	4,25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3454-01.789.03- पशुगणना (के.से.स्कीम))	मूल	2,61.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,61.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,61.00				

पूँजी:

(5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.101.09- पेट क्लीनिक (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	4.10	4.10	0.00	₹ 15.90 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.90				
4403-00.106.06- पशु प्रक्षत्रों के सुदृढीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	49.84	49.84	0.00	₹ 2,00.16 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी स्वीकृति के कार्य को कराने का निर्णय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.16				
4403-00.109.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	59.26	59.26	0.00	₹ 60.74 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी स्वीकृति के कार्य को कराने का निर्णय नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.74				
4403-00.796.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,62.66	1,62.66	0.00	₹ 2,37.34 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,37.34				
4403-00.796.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	3,10.00	88.31	88.31	0.00	₹ 2,21.69 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,21.69				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.102.22- फ़ोर्जेन सीमेन बैंक (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
4403-00.109.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4403-00.796.02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)- जी.एम.पी.स्टैण्डर्ड पर एल.आर.एस. प्रयोगशाला की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.00				
4403-00.796.02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)- जी.एम.पी.स्टैण्डर्ड पर एल.आर.एस. प्रयोगशाला की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.00				
4403-00.796.09- पेट क्लीनिक (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.796.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या 3 - भवन निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,43,56,43	1,47,88,93	1,00,77,36	(-)47,11,57
अनुपूरक	4,32,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

40,19,37

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	4,93,00,00	6,52,49,40	5,36,27,18	(-)1,16,22,22
अनुपूरक	1,59,49,40			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

31,71,35

टीका और टिप्पणियां :

राजस्व:

- (1) ₹ 47,11.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 1,97.50 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 2,35.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,32.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 40,19.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 47,11.57 लाख) से ₹ 6,92.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या-3 क्रमशः

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.20- भवन निर्माण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,19.00	1,57.20	1,57.20	0.00	₹ 61,80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.80				
2059-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	5,58.83	4,25.57	4,25.52	(-)0.05	₹ 1,43.26 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)1,43.26				
2059-80.001.03- भवन निर्माण- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	8,73.95	5,66.39	5,66.39	0.00	₹ 3,24.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	17.00				
	पुनर्वि.	(-)3,24.56				
2059-80.001.04- भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (स्थापना व्यय)	मूल	44,70.09	44,49.87	39,66.44	(-)4,83.43	₹ 6,74.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,70.50				
	पुनर्वि.	(-)1,90.72				
2059-80.001.05- निरूपन (स्थापना व्यय)	मूल	3,89.10	3,16.93	3,16.93	0.00	₹ 72.17 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.17				
2059-80.001.11- निदेशन - उधान संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,67.30	2,49.79	(-)17.51	₹ 1,50.21 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.70				

अनुदान संख्या-3 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2059-80.001.12- बाह्य स्रोत से नियुक्त कम्प्युटर ऑपरेटर, चालक, झाड़ूकश, सन्त्री प्रहरी इत्यादि। संविदा पर नियुक्त अभियंत्रागण (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	1,15.86	1,00.54	(-)15.32	₹ 4,99.46 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,84.14				
2059-80.053.13- गैर-आवासीय भवनों की मरम्मती (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	28,17.00	25,74.33	(-)2,42.67	₹ 14,25.67 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,83.00				
2216-05.053.04- लोक निर्माण कार्य- आवासीय भवनों का मरम्मत एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	11,73.33	8,60.65	(-)3,12.68	₹ 16,39.35 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,26.67				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2059-80.053.06- नगर निगम एवं नगर पालिका कर (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या-3 क्रमशः

पूजी :

- (5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2059-80.001.06-निदेशन एच.ई.सी से लिए गए सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	3,82.06	7,64.13	+3,82.07	₹ 52.94 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 3,82.07 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,35.00				
	पुनर्वि.	(-)52.94				

- (6) ₹1,16,22.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹1,06,49.40 लाख), दिसम्बर 2017 (₹26,00.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹27,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,59,49.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹31,71.35 लाख), अंतिम बचत (₹1,16,22.22 लाख) से ₹84,50.87 लाख कम था।
- (8) शीर्ष 4059-01.051.58-कार्यालय भवन/परिसदन भवन (राज्य स्कीम), 4059-01.796.58- कार्यालय भवन/परिसदन भवन (राज्य स्कीम) एवं 4216-01.796.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 4,79.66 लाख, ₹ 7,92.91 लाख एवं ₹ 9,16.75 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 60,00.00 लाख, ₹ 1,48,50.00 लाख एवं ₹ 1,40,12.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4059-01.051.39-कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18,26.40	17,59.47	8,16.73	(-)9,42.74	₹ 10,09.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.93				

अनुदान संख्या -3 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,17.60	11,70.35	6,20.33	(-)5,50.02	₹ 5,97.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.25				
4059-01.051.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	31.15	0.43	(-)30.72	₹ 49.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.85				
4059-01.051.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	1,78.00	1,78.00	0.00	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,78.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4059-01.796.59- कोर्ट भवन (आवासीय/गैर आवासीय) (राज्य स्कीम)	मूल	1,20,00.00	1,29,64.49	97,96.56	(-)31,67.93	₹ 37,03.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,35.51				
4216.01.106.03- लोक निर्माण- कार्य-राज्य में भवन सम्बन्धी लघु निर्माण-कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,40.74	1,15.94	(-)24.80	₹ 1,84.06 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.26				

अनुदान संख्या -3 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4216-01.700.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	63,75.03	27,83.37	(-)35,91.66	₹ 37,16.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.97				

**अनुदान संख्या 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	45,83,94	55,91,49	45,19,32	(-)10,72,17
अनुपूरक	10,07,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

8,77,22

टीका एवं टिप्पणी:

- (1) ₹10,72.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 3,57.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 6,50.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,07.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,77.22 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,72.17 लाख) से ₹ 1,94.95 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2070-00.800.11- झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 99.49 लाख की बचत, जो ₹ 10,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2013-00.101.01- मंत्रिगण (स्थापना व्यय)	मूल	10,60.58	8,61.91	8,56.24	(-)5.67	₹ 2,38.67 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,02.69 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹ 1,35.98 लाख की शेष प्रत्याशित बचत तथा ₹ 5.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	40.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38.67				

अनुदान संख्या-4 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.01- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री का सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	6,20.25	4,10.36	4,10.36	0.00	₹ 2,48.89 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	39.00				
	पुनर्वि.	(-)2,48.89				
2052-00.090.24- मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (स्थापना व्यय)	मूल	4,40.15	3,67.64	3,67.05	(-)0.59	₹86.06 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	13.55				
	पुनर्वि.	(-)86.06				
2052-00.090.25- मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	2,11.99	1,60.13	1,60.13	0.00	₹57.86 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	6.00				
	पुनर्वि.	(-)57.86				
2070-00.115.01- राज्य अतिथि गृह (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.08	1,77.06	1,68.42	(-)8.64	₹23.02 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹8.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.02				
2070-00.115.02- झारखंड भवन-स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	7,38.81	7,50.69	5,81.39	(-)1,69.30	₹50.12 लाख की प्रत्याशित बचत निधि के प्रावधान से अधिक होने के कारण हुई। ₹1,69.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	62.00				
	पुनर्वि.	(-)50.12				

अनुदान संख्या-4 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.800.04- पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को सुविधाएँ (स्थापना व्यय)	मूल	2,32.62	1,54.78	1,54.78	0.00	₹ 77.84 लाख की प्रत्याशित बचत निधि के प्रावधान से अधिक होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.84				

(4) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2013-00.108.01- मंत्रिगण का यात्रा व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.01	80.72	1,49.92	+ 69.20	₹ 39.29 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 69.20 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)39.29				

विनियोग संख्या 5- राज्यपाल सचिवालय

(मुख्य शीर्ष- 2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक)

राजस्व:

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	10,28,77	10,44,87	8,25,60	(-),2,19,27
अनुपूरक	16,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,19,27

टीका और टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 2,19.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 16.10 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.090.01- सचिवालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	5,67.11	4,46.33	4,46.33	0.00	₹ 1,29.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	9.00				
	पुनर्वि.	(-),1,29.78				
2012-03.103.05- बाग एवं उद्यान (स्थापना व्यय)	मूल	63.42	49.60	49.60	0.00	₹ 18.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-),18.82				

अनुदान संख्या 6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	58,44,41	61,76,35	59,81,08	(-)1,95,27
अनुपूरक	3,31,94			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,92,40

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 1,95.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 1,69.83 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 1,62.11 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,31.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,92.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,95.27 लाख) से ₹ 2.87 लाख कम था।
- (3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2015-00.103.02- मतदाता सूचि का मुद्रण (स्थापना व्यय)	मूल	12,00.00	10,03.27	10,03.27	0.00	निधि अधिक होने के कारण ₹ 1,81.21 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी गई। ₹ 15.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96.73				
2015-00.106.03- राज्य विधान सभा का उपनिर्वाचन (स्थापना व्यय)	मूल	0.02	1,48.92	1,48.92	0.00	₹ 20.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,69.83				
	पुनर्वि.	(-)20.93				

अनुदान संख्या 7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवा)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,57,55	24,35,32	23,54,24	(-)81,08
अनुपूरक	3,77,77			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

39,68

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 81.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 58.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,19.77 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹ 1,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,77.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹39.68 लाख), अंतिम बचत (₹81.08 लाख) से ₹41.40 लाख कम था।
- (3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2070-00.104.03- तकनीकी निरीक्षण कक्ष (स्थापना व्यय)	मूल	1,75.12	1,55.04	1,28.44	(-)26.60	₹ 46.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि	(-)20.08				

अनुदान संख्या 8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,35,53	26,64,63	22,04,46	(-)4,60,17
अनुपूरक	2,29,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,42,17

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,05,20,37	1,11,10,77	88,26,91	(-)22,83,86
अनुपूरक	5,90,40			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

17,34,30

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹4,60.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 16.10 लाख) तथा दिसम्बर 2017 (₹2,13.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,29.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,42.17 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,60.17 लाख) से ₹ 2,18.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या-8 क्रमशः

(3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.114.01- सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	20,99.49	19,45.87	17,27.87	(-)2,18.00	₹1,80.62 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹2,18.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	27.00				
	पुनर्वि	(-)1,80.62				
3053-80.003.01- प्रशिक्षण तथा शिक्षा (स्थापना व्यय)	मूल	3,36.04	4,76.59	4,76.59	0.00	₹61.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,02.10				
	पुनर्वि	(-)61.55				

पूँजी:

- (4) ₹22,83.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹40.40 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹5,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,90.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹17,34.30 लाख), अंतिम बचत (₹22,83.86 लाख) से ₹5,49.56 लाख कम था।
- (6) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.05- विभिन्न जिलों के मुख्यालयों के लिए रनवे का निर्माण एवं विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	2,02.12	2,02.12	0.00	₹ 5,97.88 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि	(-)5,97.88				
5053-80.796.03- उड़ान एकेडमी, दुमका का स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,15.00	1,75.24	1,75.24	0.00	₹39.76 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि	(-)39.76				

अनुदान संख्या-8 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.03- राँची हवाई अड्डे पर राजकीय एयरबेस के निर्माण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5053-02.102.06- झारखंड के 10 पर्यटन स्थानों में हैलिपेड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	40.40				
	पुनर्वि.	(-)40.40				
5053-60.052.04- जेट इंजनयुक्त वी.आई. पी. वायुयान का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	49.55	0.00	(-)49.55	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,50.45				
5053-80.003.04- ग्लाइडिंग अनुभाग की स्थापना	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या 9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2425- सहकारिता, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,10,86,71	2,16,03,79	1,54,34,02	(-)61,69,77
अनुपूरक	5,17,08			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

4,56,75

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,88,24,10	1,88,24,10	1,81,31,89	(-)6,92,21
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

6,92,21

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 61,69.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹ 4,55.88 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 61.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,17.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,56.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 61,69.77 लाख) से ₹ 57,13.02 लाख कम था।

अनुदान संख्या-9 क्रमशः

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.789.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु (स्थापना व्यय)	मूल	14,00.00	14,00.00	11,00.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2425-00.796.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	84,00.00	84,00.00	30,00.00	(-)54,00.00	₹ 54,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.108.17- एन.सी.डी.सी. सम्पोषित आई.सी.डी. पी. के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	53.12	0.00	0.00	0.00	₹ 53.12 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.12				
2425-00.108.67- समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30.60	0.00	0.00	0.00	₹ 30.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.60				

अनुदान संख्या-9 क्रमशः

2425-00.108.73- सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय विभिन्न कार्यालयों, सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार, निर्माण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं अन्य उद्देश्य के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2425-00.789.73- सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय विभिन्न कार्यालयों, सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार, निर्माण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं अन्य उद्देश्य के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2425-00.796.17- एन.सी.डी.सी. सम्पोषित आई.सी.डी. पी. के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	79.68	0.00	0.00	0.00	₹ 79.68 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.68				
2425-00.796.67- समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	45.90	0.00	0.00	0.00	₹ 45.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.90				

अनुदान संख्या-9 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.796.73- सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय विभिन्न कार्यालयों के जीर्णोद्धार, निर्माण, अनुरक्षण एवं अन्य उद्देश्य के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				

- (5) शीर्ष 4425-00.796.16- सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ₹ 6,90.01 लाख की बचत, जो कि ₹ 1,11,60.00 लाख (राज्य स्कीम) के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 10- ऊर्जा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2801- बिजली, 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6801- बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	41,56,26,00	46,57,49,60	45,85,09,68	(-)72,39,92
अनुपूरक	5,01,23,60			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

71,54,54

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	18,43,74,00	18,43,74,00	17,60,67,10	(-)83,06,90
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

83,06,90

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 72,39.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 2,50,00.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,51,03.17 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 20.43 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,01,23.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 71,54.54 लाख), अंतिम बचत (₹ 72,39.92 लाख) से ₹ 85.38 लाख कम था।

अनुदान संख्या-10 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2059-80.102.13 - विद्युत कार्य प्रबंधन के अंतर्गत पूंजीगत मरम्मत (राज्य स्कीम), 2801-01.789.10 - ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य स्कीम), 2801-01.796.10- ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य स्कीम) एवं 2801-01.800.10 - ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,02.78 लाख, ₹ 9,12.00 लाख, ₹ 19,76.00 लाख एवं ₹ 47,12.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 15,00.00 लाख, ₹ 1,14,16.32 लाख, ₹ 2,47,35.36 लाख एवं ₹ 5,89,84.32 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.08- विद्युत निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	3,87.18	1,96.60	1,96.60	0.00	₹ 1,91.75 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1.17				
	पुनर्वि.	(-)1,91.75				
2801-80.800.08- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) एनर्जी इफिशियन्सी कन्जरवेशन/परामर्शी एवं अन्य कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	9,90.00	2,02.38	2,02.38	0.00	₹ 7,87.62 लाख की प्रत्याशित बचत मांग अप्राप्त होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,87.62				
3451-00.090.13- ऊर्जा विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,08.12	1,17.22	1,17.22	0.00	₹ 90.90 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.90				

अनुदान संख्या-10 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-06.800.01- अटल ग्रामीण ज्योति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 38,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की राशि चयनित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हुआ। ₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग ट्रेजरी इण्टरफेस से अधिसूचना जारी किया गया लेकिन वित्त विभाग द्वारा अग्रसारित नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,00.00				
2801-06.800.02- तिलका मांझी कृषि पम्प योजना (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की राशि चयनित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हुआ। ₹ 4,00.00 लाख के पुनर्विनियोग ट्रेजरी इण्टरफेस से अधिसूचना जारी किया लेकिन वित्त विभाग द्वारा अग्रसारित नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				
2801-80.001.01- गोष्ठी एवं सम्मेलन नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान मांग अप्राप्त होने से राशि का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2801-80.796.10- जे.एस.ई.आर.सी. को नयी भवन निर्माण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान मांग अप्राप्त होने से राशि का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-10 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-80.800.09- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान मांग अप्राप्त होने से राशि का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

पूँजी :

- (5) शीर्ष 6801-00.789.37 - झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम), 6801-00.796.37 - झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम) एवं 6801-00.800.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 8,87.63 लाख, ₹ 19,23.19 लाख, ₹ 45,86.08 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,38,36.00 लाख, ₹ 2,99,78.00 लाख, एवं ₹ 7,14,86.00 लाख, के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई : -

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.201.24- प्रदूषण नियंत्रण उपाय (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मांग अप्राप्त होने से राशि का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
6801-00.202.01- कोल ब्लॉक एवं पावर प्लान्ट नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मांग अप्राप्त होने से राशि का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				

अनुदान संख्या 11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2039- राज्य उत्पाद शुल्क, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,22,42	25,88,17	20,72,50	(-)5,15,67
अनुपूरक	65,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,15,67

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,98,91	11,98,91	11,98,91	0,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 5,15.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 10.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 55.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-11 क्रमांत

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2039-00.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	20,36.27	17,58.80	17,58.80	0.00	₹ 3,42.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मितव्ययिता (₹ 3,31.46 लाख) तथा एस.ए.पी. बल के प्रतिनियुक्ति नहीं होने (₹ 3.38 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	65.00				
	पुनर्वि.	(-)3,42.47				
2039-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,31.33	2,12.92	2,12.92	0.00	₹ 1,19.16 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.75				
	पुनर्वि.	(-)1,19.16				
2052-00.092.07- स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	1,49.82	1,00.78	1,00.78	0.00	₹ 49.04 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.04				

अनुदान संख्या 12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	80,67,50	83,77,26	43,07,17	(-) 40,70,09
अनुपूरक	3,09,76			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

14,33,26

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,17,93,00	1,17,93,00	55,59,40	(-)62,33,60
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

58,04,51

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 40,70.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 30.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,04.60 लाख) और जनवरी 2018 (₹ 75.16 लाख) में प्राप्त किया ₹ 3,09.76 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,33.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 40,70.09 लाख) से ₹ 26,36.83 लाख कम था।

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2052-00.090.08- वित्त विभाग (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 95.20 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 13,31.65 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.10- सामान्य भविष्य निधि स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना व्यय)	मूल	74.79	67.26	67.26	0.00	₹17.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	9.60				
	पुनर्वि.	(-)17.13				
2052-00.090.34- वित्त (वित्तीय नीति एवं विश्लेषण कोषांग) (स्थापना व्यय)	मूल	1,03.78	32.06	32.06	0.00	₹71.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.72				
2052-00.090.39- भविष्य निधि अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	4,00.00	2,20.00	(-)1,80.00	₹1,80.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.092.05- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना- मुख्यालय प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	2,26.75	1,40.14	1,40.14	0.00	₹ 86.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.61				
2052-00.092.06- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण-जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	15,05.08	7,82.66	7,82.66	0.00	₹7,22.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,22.42				
2052-00.092.21- राज्य वित्त आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	81.80	81.80	54.71	(-)27.09	₹27.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2054-00.095.01- भविष्य निधि लेखा की रखरखाव (स्थापना व्यय)	मूल	2,53.25	3,14.35	3,13.38	(-)0.97	₹35.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	95.16				
	पुनर्वि.	(-)34.06				
2054-00.097.01- कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (स्थापना व्यय)	मूल	13,34.29	11,08.03	10,97.48	(-)10.55	₹2,61.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	(-)2,51.26				
2058-00.103.02- झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,81.50	1,49.88	1,49.88	0.00	₹1,31.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,31.62				
2070-00.800.08- विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	2,50.00	1,87.09	(-)62.91	₹62.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.42- आई.एफ.एम.एस. का क्रियान्वयन (स्थापना व्यय)	मूल	21,50.01	21,50.01	0.00	(-)21,50.01	₹21,50.01 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2075.00.791.02- राज्य सरकार पर बकाया के समतुल्य रुपये का समायोजन (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

पूँजी :

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 58.04.51 लाख), अंतिम बचत (₹ 62,33.60 लाख) से ₹ 4,29.09 लाख कम था।
- (6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
7610-00.201.02- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	10,00.00	60.00	30.00	(-)30.00	₹ 9,70.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,40.00				
7610-00.201.03- मंत्रियों/विधानमंडल के सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	56.00	56.00	0.00	₹19,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,44.00				
7610-00.202.01- सरकारी सेवकों को मोटर कार खरीदने हेतु अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	12,00.00	3,91.81	4,05.21	+13.40	₹ 7,94.79 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,08.19				
7610-00.202.02- सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने हेतु अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	15.30	15.30	0.00	₹84.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.70				
7610-00.202.03- मंत्री इत्यादि को मोटर कार क्रय करने हेतु अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	35.00	35.00	0.00	₹65.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				

अनुदान संख्या-12 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
7610-00.202.04- विधान मंडल के सदस्यों को मोटर कार क्रय करने हेतु अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	72.63	72.63	0.00	₹5,27.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,27.37				

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.003.78- कोषागारों को कम्प्यूटीकरण के लिए एम.एम.पी. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,45.00	0.00	0.00	0.00	₹13,45.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,45.00				
4070-00.003.78- कोषागारों को कम्प्यूटीकरण के लिए एम.एम.पी. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,48.00	4,48.00	0.00	(-)4,48.00	₹4,48.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 13- ब्याज संदाय

(मुख्य शीर्ष- 2049-ब्याज अदायगियाँ)

राजस्व :

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	44,67,04,45	44,67,99,45	46,61,68,30	+ 1,93,68,85
अनुपूरक	95,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,23,33,70

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) विनियोग से ₹ 1,93,68,84,665 अधिक व्यय हुआ, अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (2) ₹ 1,93,68.85 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए दिसम्बर 2017 (₹ 75.00 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया ₹ 95.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 1,23,33.70 लाख का अभ्यर्पण अनीतिकर सिद्ध हुआ।
- (3) शीर्ष 2049-01.200.02- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 47,56.58 लाख के अंतिम अधिक व्यय, जो कि ₹ 9,46,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2049-01.101.01- राज्य विकास ऋण ब्याज देय (स्थापना व्यय)	मूल	20,53,39.41	20,53,39.41	26,58,48.64	+6,05,09.23	₹ 6,05,09.23 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.115.01- भारतीय रिजर्व बैंक से बेस एंड मीस एडवॉन्स (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	21.46	+21.46	₹ 21.46 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.15- उदय बांड (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	2,36,35.14	+ 2,36,35.14	₹ 2,36,35.14 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.101.02- 1989-90 से प्राप्त एकमुश्त ऋण से ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	38,82.80	+38.82.80	₹ 38,82.80 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.02- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	4,00,00.00	3,19,30.68	3,19,30.68	0.00	₹80,69.32 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80,69.32				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारगार के लिए गए ऋण पर व्यय (सहकारी) (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	5,36.07	5,36.07	0.00	₹ 63.93 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.93				
2049-01.200.08- आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गए कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	80,00.00	62,40.75	62,40.75	0.00	₹17,59.25 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,59.25				
2049-01.200.11- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी) से लिए गए कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	70,00.00	45,59.80	45,59.80	0.00	₹24,40.20 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,40.20				
2049-03.104.01- सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	2,11,48.64	(-)38,51.36	₹38,51.36 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.101.03- एकमुश्त ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	31,50.00	31,50.00	23,31.30	(-)8,18.70	₹8,18.70 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.104.03- योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,51.00	2,51.00	2,02.96	(-)48.04	₹48.04 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-04.109.01- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तें अनुसार समेकित राज्य आयोजन कर्जों पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	1,04,00.00	1,04,00.00	52,01.35	(-)51,98.65	₹51,98.65 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.03- विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	1,20.73	(-)3,79.27	₹3,79.27 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.101.06- वित्त आयोग से प्राप्त राशि पर विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	56.50	(-)4,43.50	₹4,43.50 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.115.02- भारतीय रिजर्व बैंक से वेस एंड मीन्स एडवान्स पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	75.00	0.00	(-)75.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	75.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.14- पावर बॉण्ड/विशेष बॉण्ड (स्थापना व्यय)	मूल	5,00,00.00	5,00,00.00	0.00	(-)5,00,00.00	₹ 5,00,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमांत

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2049-03.104.02- अधिक वसुली की गई ब्याज की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	2,60.00	2,60.00	0.00	(-)2,60.00	₹ 2,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.05- अधिक वसूली की गई ब्याज की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 14- ऋण की वापसी/अदायगी

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्रिय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,30,00,00	2,30,00,00	0,00	(-)2,30,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूँजी:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,52,17,26	30,57,17,26	29,49,50,24	(-)1,07,67,02
अनुपूरक	5,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

48,66,81

(मार्च 2018)

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।

विनियोग संख्या-14 क्रमशः

(2) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2048-00.101.01- निक्षेप निधि में योगदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,30,00.00	2,30,00.00	0.00	(-)2,30,00.00	₹ 2,30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी :

- (3) ₹ 1,07,67.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 48,66.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,07,67.02 लाख) से ₹ 59,00.21 लाख कम था।
- (5) शीर्ष 6003-00.105.01-नाबार्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ. से प्राप्त ऋण के मूलधन वापसी (स्थापना व्यय), 6003-00.108.01-सहकारिता विभाग (स्थापना व्यय) एवं 6003-00.109.08-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) के लिए कर्जे (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 13,73.50 लाख, ₹ 1,18.94 लाख एवं ₹ 3,46.05 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 6,90,00.00 लाख, ₹ 14,00.00 लाख एवं ₹ 85,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.109.01- हुडको से कर्ज (स्थापना व्यय)	मूल	1,10,00.00	79,71.68	79,71.68	0.00	₹ 30,28.32 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,28.32				
6004-01.201.01- गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.95	(-)99.05	₹ 99.05 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-14 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6004-02.101.01- 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (स्थापना व्यय)	मूल	90,00.00	90,00.00	54,28.82	(-)35,71.18	₹ 35,71.18 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6004-02.105.01- राज्य योजना संचित ऋण (12वें वित्त आयोग) (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,94.63	1,25,94.63	1,04,95.52	(-)20,99.11	₹ 20,99.11 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(6) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.70- 8.04 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2017 (स्थापना व्यय)	मूल	1,92,18.00	1,92,18.00	0.00	(-)1,92,18.00	₹ 1,92,18.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.71- 7.89 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	10,00,00.00	10,00,00.00	0.00	(-)10,00,00.00	₹ 10,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-14 क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.109.09- नेशनल बीमा कम्पनी से लिये गये कर्ज के मूलधन का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(7) निम्नलिखित मामले में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.90- 8.04 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2017 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	1,92,18.00	+ 1,92,18.00	₹ 1,92,18.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.95- 7.89 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2018 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	10,00,00.00	+ 10,00,00.00	₹ 10,00,00.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 15- पेंशन

(मुख्य शीर्ष- 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	57,91,43,02	58,41,43,02	59,13,24,09	+ 71,81,07
अनुपूरक	50,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) अनुदान से ₹ 71,81,07,175 अधिक व्यय हुआ, अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (2) ₹ 71,81.07 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (3) शीर्ष 2071-01.115.03-15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 2,02.78 लाख का अंतिम अधिक व्यय, ₹ 4,35,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.101.06-15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवालों को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	30,00,00.00	30,00,00.00	39,67,73.65	+ 9,67,73.65	₹ 9,67,73.65 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.102.03-15.11.2000 के पूर्व के पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	30,00.00	49,20.49	+ 19,20.49	₹ 19,20.49 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-15 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.105.06- झारखंड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु आंदोलनकारियों/ आश्रितों को पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	0.01	1,17.58	+ 1,17.57	₹1,17.57 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

- (4) शीर्ष 2071-01.102.04-15.11 - 2000 के बाद पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय) एवं 2071-01.117.03-
भविष्य निधि अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 21,33.61 लाख एवं ₹ 16,84.21 लाख की
बचत, जो क्रमशः ₹ 2,50,00.00 लाख एवं ₹ 4,00,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के
अलावे बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.101.05- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवालों को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	1,96.45	(-)3,03.55	₹3,03.55 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.101.08- पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के बाद का बकाया पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	5,00,00.00	5,00,00.00	5.78	(-)4,99,94.22	₹4,99,94.22 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.104.03- 15.11.2000 के पूर्व का उपादान (स्थापना व्यय)	मूल	50,00.00	50,00.00	29,63.48	(-)20,36.52	₹20,36.52 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.104.04- 15.11.2000 के पूर्व का उपादान (स्थापना व्यय)	मूल	7,60,00.00	7,60,00.00	4,75,01.58	(-)2,84,98.42	₹2,84,98.42 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-15 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.105.04- 15.11.2000 के पूर्व का पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	8,50.00	8,50.00	4,57.59	(-)3,92.41	₹3,92.41 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.05- 15.11.2000 के बाद का पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,35,00.00	1,35,00.00	1,12,29.37	(-)22,70.63	₹22,70.63 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.02- विधायकों का 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन-राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	3,00.00	1,14.54	(-)1,85.46	₹1,85.46 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.03- विधायकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन-राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	6,00.00	4,11.49	(-)1,88.51	₹1,88.51 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.115.02- 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्ति/ मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	50,00.00	8,53.41	(-)41,46.59	₹41,46.59 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 16- योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,51,94	2,65,14	2,30,14	(-)35,00
अनुपूरक	13,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

35,00

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹35.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹13.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2047-00.103.02- जिला प्रभार (अल्प बचत प्रचार सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	2,19.91	2,02.81	2,02.81	0.00	₹27.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.10				

अनुदान संख्या 17- वाणिज्यकर विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	63,02,59	74,24,95	66,17,08	(-)8,07,87
अनुपूरक	11,22,36			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

8,07,87

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,86,10	7,72,10	86,00	(-)6,86,10
अनुपूरक	86,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 8,07.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 7,57.21 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,65.15 लाख) और जनवरी 2018 (₹ 1,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,22.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-17 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2040-00.101.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹5,58.04 लाख की बचत, जो ₹58,31.25 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम हैं, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2040-00.001.01- वाणिज्य कर प्राधिकार (स्थापना व्यय)	मूल	73.22	49.18	49.18	0.00	₹ 25.69 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1.65				
	पुनर्वि.	(-)25.69				
2040-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	4,59.24	9,35.94	9,35.94	0.00	₹1,95.30 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	6,72.00				
	पुनर्वि.	(-)1,95.30				

पूँजी :

- (3) ₹ 6,86.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 86.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-60.051.04- प्रस्तावित चेक पोस्ट (स्थापना व्यय)	मूल	4,30.87	4,30.87	0.00	(-)4,30.87	₹4,30.87 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-17 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-60.796.04- प्रस्तावित चेक पोस्ट (स्थापना व्यय)	मूल	2,55.23	2,55.23	0.00	(-)2,55.23	₹2,55.23 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 4408- खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,11,18,92	13,46,33,94	9,17,62,26	(-)4,28,71,68
अनुपूरक	35,15,02			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,03,73,86

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	80,00,00	80,00,00	26,53,99	(-)53,46,01
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

8,46,01

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 4,28,71.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 4,87.99 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 29,09.64 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,17.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35,15.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,03,73.86 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,28,71.68 लाख) से ₹ 2,24,97.82 लाख कम था।

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

- (3) शीर्ष 3456-00.001.02-जिला प्रभार (स्थापना व्यय), 3456-00.102.27- कम्प्यूटीकृत योजना (राज्य स्कीम), 3456-00.102.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम), 3456-00.796.02-अंत्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम), 3456-00.796.03- पात्र गृहस्थ योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम) एवं 3456-00.796.27-कम्प्यूटीकृत योजना (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,61.17 लाख, ₹ 1,22.27 लाख, ₹ 18,54.43 लाख, ₹ 7,86.16 लाख, ₹ 2,02.84 लाख एवं ₹ 2,15.70 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 20,00.09 लाख, ₹ 18,50.00 लाख, ₹ 2,23,56.00 लाख, ₹ 92,22.00 लाख, ₹ 2,21.00 लाख एवं ₹ 25,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3451-00.090.11- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	4,15.52	3,73.53	3,66.89	(-)6.64	₹46.63 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 29.95 लाख की बचत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी। ₹ 16.68 लाख की शेष बचत एवं ₹ 6.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4.64				
	पुनर्वि.	(-)46.63				
3456-00.001.53 - जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (स्थापना व्यय)	मूल	11,65.44	10,04.86	8,89.84	(-)1,15.02	₹ 1,78.58 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई। ₹ 1,15.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.58				
3456-00.102.02- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	61,00.00	49,89.64	40,10.90	(-)9,78.74	₹ 11,10.36 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों की संख्या में कमी के कारण हुई थी। ₹ 9,78.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,10.36				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	4.90.00	33.83	33.83	0.00	₹ 4,56.17 लाख की प्रत्याशित बचत डीबीटी लागू नहीं होने से अवांछित लाभुकों की छटनी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,56.17				
3456-00.102.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	56.00	11.96	11.96	0.00	₹ 44.04 लाख की प्रत्याशित बचत सफेद कार्ड के लिए आवेदक की संख्या में कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.04				
3456-00.102.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,10.00	5,78.94	5,78.94	0.00	₹ 5,31.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री कैटीन योजना के नीति निर्धारण में विलम्ब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,31.06				
3456-00.102.35- कौशल विकास योजना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	2,87.77	2,87.77	0.00	₹ 82.23 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.23				
3456-00.102.48 - अन्त्योदय / पूर्ववित्त प्राप्त गृहस्थों को फ्री- फ्लो आयोडीन -युक्त नमक वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	28,53.00	20,66.45	13,43.95	(-)7,22.50	₹ 7,86.55 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा की प्रक्रिया में विलंब होने पर नमक की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 7,22.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,86.55				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	74.00	1,13.53	1,12.27	(-)1.26	₹ 93.42 लाख की प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने पर जे. एस.एल.पी.एस. को निधि मुहैया नहीं कराने के कारण हुई थी। ₹ 1.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,32.95				
	पुनर्वि.	(-)93.42				
3456-00.789.02- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	21,43.00	17,95.44	17,95.44	0.00	₹ 3,47.56 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों की संख्या में कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,47.56				
3456-00.789.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,72.00	2.36	2.36	0.00	₹ 1,69.64 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.64				
3456-00.789.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	1,45.52	1,45.52	0.00	₹ 2,44.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री कैटिन योजना के नीति निर्धारण में विलंब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,44.48				
3456-00.789.27- कम्प्यूटरीकृत योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	5,83.49	5,83.49	0.00	₹ 66.51 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.51				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	71,85.00	63,83.33	63,83.33	0.00	₹ 8,01.67 लाख की प्रत्याशित बचत जे.एफ. एस.सी. आयोग पर आयकर को असुविधा के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,01.67				
3456-00.789.48- अन्त्योदय / पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थों को फ्री-फ्लो आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,02.00	6,50.49	3,99.99	(-)2,50.50	₹ 6,02.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,51.51				
3456-00.789.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	26.00	56.06	56.06	0.00	₹ 78.31 लाख की प्रत्याशित बचत जे. एस.एल.पी.एस. के द्वारा सही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,08.37				
	पुनर्वि.	(-)78.31				
3456-00.796.17- किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	6,63.00	53.28	53.28	0.00	₹ 6,09.72 लाख की प्रत्याशित बचत डी.बी. टी. योजना लागू होने के बाद गलत लाभुकों की छटनी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,09.72				
3456-00.796.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	23.86	23.86	0.00	₹ 51.14 लाख की प्रत्याशित बचत सफेद राशन कार्ड के लिए आवेदकों की संख्या में कमी के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.14				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.23 - मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	7,97.88	7,97.88	0.00	₹ 7,02.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री कैटेन योजना के नीति निर्धारण में विलंब के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,02.12				
3456-00.796.35 - कौशल विकास योजना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,09.41	4,09.56	+ 0.15	₹ 90.59 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.59				
3456-00.796.39 - पात्र-गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,76,36.00	2,28,60.54	2,29,00.82	+ 40.28	₹ 47,75.46 लाख की प्रत्याशित बचत जे.एफ.एस.सी.एस. आयोग में आयकर असुविधा के कारण हुई थी। ₹ 40.28 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47,75.46				
3456-00.789.48- अन्त्योदय / पूर्वविक्रम प्राप्त गृहस्थों को फ्री-फ्लो आयोडिन युक्त नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	38,56.00	29,16.62	17,92.19	(-)10,24.43	₹ 10,39.38 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा प्रक्रिया में विलंब होने पर नमक की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 10,24.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,39.38				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	50.00	2.29	2.29	0.00	₹ 47.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.71				
3456-00.796.51- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (राज्य स्कीम)	मूल	59,81.00	21,46.79	21,46.79	0.00	₹ 38,24.21 लाख की प्रत्याशित बचत टी.एस.पी. एरिया में लाभुकों की संख्या में कमी के साथ-साथ समय पर विपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,34.21				
3456-00.796.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,33.59	1,29.19	(-)4.40	₹ 2,02.10 लाख की प्रत्याशित बचत के जे. एस.एल.पी.एस. द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में निधि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,35.69				
	पुनर्वि.	(-)2,02.10				
3475-00.106.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	3,41.09	2,86.78	2,86.78	0.00	₹ 54.31 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.31				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	1,63.00	1,63.00	0.00	(-)1,63.00	₹ 1,63.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.102.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	7,40.00	0.00	(-)7,40.00	₹ 7,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.102.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	7,40.00	0.00	(-)7,40.00	₹ 7,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.102.47- अन्त्योदय/पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थों को चीनी वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	55,50.00	55,50.00	0.00	(-)55,50.00	₹ 55,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	37.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.00				
3456-00.789.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	57.00	57.00	0.00	(-)57.00	₹ 57.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.789.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	2,60.00	0.00	(-)2,60.00	₹ 2,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.789.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	2,60.00	0.00	(-)2,60.00	₹ 2,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.789.47- अन्त्योदय/पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थों को चीनी वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	19,50.00	19,50.00	0.00	(-)19,50.00	₹ 19,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.796.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.796.47- अन्त्योदय/पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थों को चीनी वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	75,00.00	75,00.00	0.00	(-)75,00.00	₹ 75,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
3475-00.796.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹ 32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान निविदा-प्रक्रिया में निविदा कम होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

पूँजी :

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,46.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,46.01 लाख) से ₹ 45,00.00 लाख कम था।
- (6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4408-02.101.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	27,75.00	26,26.46	6,36.46	(-)19,90.00	₹ 1,48.54 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न गोदामों के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई थी। ₹ 19,90.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,48.54				
4408-02.789.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,75.00	8,80.87	1,80.87	(-)7,00.00	₹ 94.13 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न गोदामों के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई थी। ₹ 7,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.13				
4408-02.796.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	37,50.00	36,46.65	18,36.65	(-)18,10.00	₹ 1,03.35 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न गोदामों के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई थी। ₹ 18,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,03.35				

अनुदान संख्या-18 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4408-02.796.02- झारखण्ड राज्य खाद्य एवं सिविल पूर्ति कारपोशन के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	पूर्व में भवन निर्माण हेतु आवंटित निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में अधिक निधि का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या 19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,56,17,25	7,08,68,48	5,91,21,39	(-)1,17,47,09
अनुपूरक	52,51,23			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

61,83,67

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹1,17,47.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 8,95.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 37,74.06 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 5,82.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 52,51.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 61,83.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,17,47.09 लाख) से ₹ 55,63.42 लाख कम था।

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2406-01.101.01 -वनों का विस्तार, उन्नति तथा सुरक्षा (स्थापना व्यय) 2406-01.101.06 -भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (स्थापना व्यय) 2406-01.101.58 - अधिसूचित वनभूमि वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम), 2406-01.101.60- प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम), 2406-01.789.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम), 2406-01.796.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 9,97.81 लाख, ₹ 2,24.02 लाख, ₹ 4,50.54 लाख, ₹ 1,13.28 लाख, ₹ 2,31.63 लाख एवं ₹ 2,78.29 लाख के कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 1,24,56.75 लाख, ₹ 24,87.79 लाख, ₹ 51,18.00 लाख, ₹ 14,00.00 लाख, ₹ 31,40.00 लाख एवं ₹ 42,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.001.01- निदेशन तथा प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	54,15.16	49,82.29	45,87.94	(-)3,94.35	₹ 4,32.87 लाख की प्रत्याशित बचत, अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति के कारण रिक्त पद (₹ 3,46.35 लाख), एल.टी.सी. का लाभ नहीं लेने (₹ 20.04 लाख) तथा निधि के निकासी पर 15% सीलिंग लागू (₹ 66.47 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 3,94.35 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	4,32.87				
2406-01.003.02- वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,30.22	2,95.12	2,95.12	0.00	₹ 35.10 लाख के प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति के कारण रिक्त पद (₹ 27.31 लाख) तथा निधि के निकासी पर 15% सीलिंग लागू (₹ 7.28 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.10				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.005.12- मूल्यांकन-सह - योजना कोषांग (स्थापना व्यय)	मूल	5,05.41	3,80.27	3,79.99	(-)0.28	₹ 1,25.14 लाख के प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पद (₹ 1,08.74 लाख) तथा निधि के निकासी पर 15% सीलिंग लागू (₹ 16.40 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.14				
2406-01.101.02- वर्किंग प्लान प्रमंडल (स्थापना व्यय)	मूल	7,46.34	5,33.84	5,27.84	(-)6.00	₹ 2,12.50 लाख के प्रत्याशित बचत, अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पदों के कारण (₹ 2,01.97 लाख), एल.टी.सी. का लाभ नहीं लेने (₹ 3.66 लाख) तथा निधि के निकासी पर 15% सीलिंग लागू होने के कारण हुई थी। ₹ 6.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.50				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.03- वन कूपों की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,65.96	4,99.31	4,98.60	(-)0.71	सातवें वेतन आयोग के बकाया भुगतान के कारण ₹ 1,20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 46.65 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों (₹ 32.55 लाख), एल.टी.सी. का लाभ नहीं लेने (₹ 2.00 लाख) तथा निधि के निकासी पर 15% सीलिंग लागू (₹ 12.10) लाख के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.65				
2406-01.101.46- इको टूरिज्म (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	16,76.98	8,76.98	(-)8,00.00	₹ 8,01.02 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	8,78.00				
	पुनर्वि.	(-)1.02				
2406-01.101.47- वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	3,00.77	1,94.92	(-)1,05.85	₹ 2,05.08 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.23				
2406-01.101.61- वन प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण (राज्य स्कीम)	मूल	21,25.00	19,60.04	18,89.71	(-)70.33	₹ 3,10.29 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	75.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.96				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.102.09-लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,42.19	5,27.58	(-)14.61	₹ 72.42 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.81				
2406-01.102.55-मुख्यमंत्री-वन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	7,67.40	1,42.55	(-)6,24.85	₹ 9,57.45 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,32.60				
2406-01.102.59-अधिसूचित वनभूमि से बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	27,00.00	31,01.53	31,01.53	0.00	₹ 5,60.07 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	9,61.60				
	पुनर्वि.	(-)5,60.07				
2406-01.102.63-सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (एस.एम.ए.एफ) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	2,16.00	2,16.00	0.00	₹ 4,71.70 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	6,87.70				
	पुनर्वि.	(-)4,71.70				
2406-01.102.63-सब-मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (एस.एम.ए.एफ.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,44.00	1,44.00	0.00	₹ 3,20.79 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	4,64.79				
	पुनर्वि.	(-)3,20.79				
2406-01.110.37-इंटेसीफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	1.69.37	94.29	(-)75.08	₹ 85.71 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.63				
2406-01.110.37-इंटेसीफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	1,12.91	62.86	(-)50.05	₹ 57.14 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7.09				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.789.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,51.98	5,09.91	(-)42.07	₹ 90.09 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.02				
2406-01.789.40- सिल्कीकल्चरल ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	7,06.85	5,91.63	(-)1,15.22	₹ 1,16.87 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	7,08.50				
	पुनर्वि.	(-)1.65				
2406-01.789.59- अधिसूचित वन क्षेत्र से बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	23,68.39	20,90.86	(-)2,77.53	₹ 3,09.14 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.61				
2406-01.796.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	3,98.34	3,70.85	(-)27.49	₹ 79.15 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.66				
2406-01.796.40- सिल्वीकचरल ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	7,81.37	6,60.03	(-)1,21.34	₹ 1,39.97 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.63				
2406-01.796.48- वन सीमा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	21,00.00	19,21.14	18,84.14	(-)37.00	₹ 2,15.86 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.86				
2406-01.796.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	14,61.03	13,35.19	(-)1,25.84	₹ 1,64.81 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.97				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.800.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	6.17	5.70	(-)0.47	₹ 1,93.83 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,93.83				
2406-02.110.01- अभ्यारण्य (स्थापना व्यय)	मूल	12,69.64	13,57.95	13,56.44	(-)1.51	₹ 3,43.88 लाख के प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति के कारण रिक्त (₹ 3,31.53 लाख) एल.टी.सी. का लाभ नहीं लेने (₹ 2.62 लाख) निधि के निकासी पर 15% सीलिंग लागू होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,32.19				
	पुनर्वि.	(-)3,43.88				
2406-02.110.08- पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनार्वतक व्यय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,40.00	2,51.58	2,00.33	(-)51.25	₹ 51.67 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)0.42				
2406-02.110.08- पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनार्वतक व्यय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,60.00	1,67.72	1,33.55	(-)34.17	₹ 34.45 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	8.00				
	पुनर्वि.	(-)0.28				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यावरण का समेकित विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50.00	68.45	68.45	0.00	₹ 81.55 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.55				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यावरण का समेकित विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	45.64	45.64	0.00	₹ 54.36 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.36				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.57- वनरोपण योजनाओं का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2406-01.110.49- ग्रीन इंडिया मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.110.49- ग्रीन इंडिया मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.110.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,40.00	2,40.00	0.00	(-)2,40.00	₹2,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.110.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,60.00	1,60.00	0.00	(-)1,60.00	₹ 1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.789.37- इंटेसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश - 75) (राज्यांश - 25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.789.51- इंटेसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश - 75) (राज्यांश - 25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.789.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	1,80.00	0.00	(-)1,80.00	₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-19 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.789.51- राष्ट्रीय नवीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	1,20.00	0.00	(-)1,20.00	₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.796.39- स्थायी पौधाशाला एवं सीड आर्चड (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,52,61,91	35,19,15,66	25,37,70,46	(-)9,81,45,20
अनुपूरक	8,66,53,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

6,66,64,81

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,53,35,00	5,24,99,96	3,09,48,90	(-)2,15,51,06
अनुपूरक	71,64,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,07,78,89

टीका और टिप्पणियाँ

राजस्व :

- (1) ₹ 9,81,45.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 4,23,52.70 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,31,14.67 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 2,11,86.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,66,53.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,66,64.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,81,45.20 लाख) से ₹ 3,14,80.39 लाख कम था।

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2210-01.110.05- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (स्थापना व्यय), 2210-03.101.02-स्वास्थ्य उप-केन्द्र (स्थापना व्यय) एवं 2210-03.103.01-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 1,65,41.00 लाख, ₹ 4,78.52 लाख एवं ₹ 19,39.12 की बचत, जो क्रमशः ₹ 20,88.37 लाख, 63,80.58 लाख एवं ₹ 2,10,80.58 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.001.02- जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	21,48.42	18,64.31	18,64.31	0.00	₹ 2,89.11 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)2,89.11				
2210-01.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	11,86.47	9,02.25	9,02.25	0.00	₹ 2,88.22 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)2,88.22				
2210-01.001.20- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	6,39.56	6,23.40	(-)16.16	₹ 60.44 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 16.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)60.44				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.104.43- विभिन्न अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों आयुष सहित) हेतु मशीन एवं उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा सामग्रियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	7,89.58	4,34.22	(-)3,55.36	₹ 4,10.42 लाख की प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,55.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.42				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन. एम./जी.एन.एम. स्कूल) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	20,40.00	14,88.77	14,88.77	0.00	₹ 5,51.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,51.23				
2210-01.110.13- सदर अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	89,27.57	1,00,66.51	94,66.67	(-)5,99.84	₹ 14,65.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	20,05.00				
	पुनर्वि.	(-)8,66.06				
2210-01.110.14- अवर-प्रमंडलीय अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	30,47.43	24,98.74	22,48.34	(-)2,50.40	₹ 7,99.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,48.69				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.200.46- जीर्णोद्धार, मरम्मति, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केलिंग, जलापूर्ति स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	8,76.88	8,76.88	0.00	योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण ₹ 4,23.12 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,23.12				
2210-01.789.43- विभिन्न अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों आयुष सहित) हेतु मशीन उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा, सामग्रियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	6,39.59	3,39.74	(-)2,99.85	₹ 1,60.41 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति ससमय नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,99.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.41				
2210-01.789.46- जीर्णोद्धार, मरम्मति, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति, स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	2,22.78	2,22.78	0.00	₹ 6,77.22 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से निधि की निकासी में विलम्ब होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,77.22				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.05- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (राज्य स्कीम)	मूल	50,00.00	75,00.00	50,00.00	(-)25,00.00	₹ 25,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.796.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)- सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00,00.00	2,00,00.00	1,00,00.00	(-)1,00,00.00	₹1,00,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.796.43- विभिन्न अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों (मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पताल स्वास्थ्य संस्थान/ कार्यालयों आयुष सहित) हेतु मशीन एवं उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दावा सामग्रियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	9,10.28	5,24.86	(-)3,85.42	₹ 89.72 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,85.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.72				
2210-01.796.46- जीर्णोद्धार, मरम्मत, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति, स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	11,20.70	11,14.70	(-)6.00	₹ 1,79.30 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,79.30				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	24,21.37	20,89.59	(-)3,31.78	₹ 78.63 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,31.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.63				
2210-01.796.50- "104" हेल्थ इन्फोर्मेशन हेल्पलाइन (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,55.01	1,55.01	0.00	₹ 1,44.99 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.99				
2210-02.101.01- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	12,03.80	11,78.36	11,78.36	0.00	₹ 1,48.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,22.83				
	पुनर्वि.	(-)1,48.27				
2210-02.200.02- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा (राज्य स्कीम)	मूल	3,49.80	1,02.52	1,02.52	0.00	₹ 2,57.28 लाख की प्रत्याशित बचत 2017-18 के दौरान योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)2,57.28				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,96.34	48.01	48.01	0.00	₹ 14,96.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	48.01				
	पुनर्वि.	(-)14,96.34				
2210-03.101.03- आदिम जनजातीय विशेष हेल्थ केयर पैकेज (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	7.56	(-)1,92.44	₹1,92.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-03.103.03- आदिम जनजातीय विशेष हेल्थ केयर पैकेज (राज्य स्कीम)	मूल	1,33,78.81	91,21.92	91,22.67	+0.75	निधि की प्रावधान करने के लिए ₹11,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 31,57.19 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.30				
	पुनर्वि.	(-)42,57.19				
2210-03.110.04- रेफरल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	48,74.51	43,47.14	43,47.14	0.00	निधि की प्रावधान करने के लिए ₹ 1,98.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 7,28.64 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3.27				
	पुनर्वि.	(-)5,30.64				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-04.101.03- ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (स्थापना व्यय)	मूल	10,43.99	7,56.43	7,56.43	0.00	₹ 2,88.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.52				
	पुनर्वि.	(-)2,88.08				
2210-04.102.01- होम्योपेथी औषधालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,74.99	2,60.00	2,60.00	0.00	₹ 1,14.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,14.99				
2210-04.103.01- यूनानी औषधालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,20.95	1,01.94	1,01.94	0.00	₹ 44.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	(-)44.01				
2210-05.105.04- प्रशिक्षण नर्स (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	56.64	47.93	(-)8.71	₹ 37.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.36				
2210-05.105.12- एम.जी.एम.मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर (स्थापना व्यय)	मूल	19,17.66	35,80.63	35,80.63	0.00	निधि की प्रावधान करने के लिए ₹ 27.60 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 14,55.52 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	30,90.89				
	पुनर्वि.	(-)14,27.92				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-05.105.16- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा-कॉलेज में पी.जी. कोर्स) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,11.60	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 5,11.60 लाख का प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,11.60				
2210-05.796.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (राज्य स्कीम)	मूल	1,37.96	98.81	98.81	0.00	₹ 39.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.15				
2210-06.001.02- लोक स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	3,52.52	1,99.02	1,99.02	0.00	₹1,53.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.50				
2210-06.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,25.43	2,36.78	2,36.78	0.00	₹ 88.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.65				
2210-06.001.17- औषधि एवं खाद्य प्रशासन का स्वचालन (राज्य स्कीम)	मूल	96.21	57.05	54.24	(-)2.81	₹ 41.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.16				
2210-06.101.01- अन्यान्य अस्पताल (टी.बी. निरोधक कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	14,78.72	11,54.53	11,54.53	0.00	₹ 3,24.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,24.19				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.101.03- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	48,82.46	39,59.78	39,60.61	+0.83	₹9,29.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	6.49				
	पुनर्वि.	(-)9,29.17				
2210-06.101.05- अन्यान्य औषधालय (कुष्ठ निरोधक कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	23,47.15	18,89.90	18,89.90	0.00	₹ 4,57.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,57.25				
2210-06.101.06- अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	4,03.30	5,04.95	5,04.95	0.00	₹ 2,48.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3,50.00				
	पुनर्वि.	(-)2,48.35				
2210-06.101.10- संचारी रोग (मलेरिया) कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	16,07.12	9,75.20	9,69.10	(-)6.10	₹ 6,38.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,31.92				
2210-06.101.11- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम- डी.डी.टी. छिड़काव (मजदूरी) (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	3,10.58	2,94.31	(-)16.27	₹ 55.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.42				
2210-06.101.13- गैर-संचारी रोग (कुष्ठ) (राज्य स्कीम)	मूल	3,55.54	3,41.29	2,91.99	(-)49.30	₹ 14.25 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 49.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14.25				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.102.01- खाद्य उपमिश्रण का निवारण (स्थापना व्यय)	मूल	1,04.22	40.06	40.06	0.00	₹65.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)65.16				
2210-06.104.01- औषध नियंत्रण स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	4,58.57	5,09.42	5,09.42	0.00	₹1,70.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,21.10				
	पुनर्वि.	(-)1,70.25				
2210-06.200.15- स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए सेनिटरी नैपकिन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,07.61	1,67.99	(-)2,39.62	₹ 92.39 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,39.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.39				
2211-00.001.03- तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण-जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,19.60	14,20.73	8,71.99	(-)5,48.74	₹5,48.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.13				
	पुनर्वि.	0.00				
2211-00.003.04- ए.एन.एम.स्कूल/ एल.एच.वी.स्कूल (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,57.93	3,57.93	2,79.69	(-)78.24	₹78.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2211-00.101.01- स्वास्थ्य उपकेन्द्र (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	86,41.62	1,59,90.95	73,49.85	(-)86,41.10	₹99,33.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	86,41.62				
	पुनर्वि.	(-)12,92.29				
2211-00.102.01- शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,75.08	3,75.08	2,24.95	(-)1,50.13	₹1,50.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2211-00.103.01- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (राज्य स्कीम)	मूल	2,28.49	1,92.25	1,92.25	0.00	₹41.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5.20				
	पुनर्वि.	(-)41.44				
2251-00.090.07- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,79.94	4,12.65	4,12.65	0.00	₹55.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	88.00				
	पुनर्वि.	(-)55.29				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2210-01.102.54- यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 89,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	54,00.00				
	पुनर्वि.	(-)89,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.103.45- राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	30,67.90	0.00	0.00	0.00	₹ 30,67.90 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,67.90				
2210-01.103.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,00.00				
2210-01.103.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	26,00.00	26,00.00	0.00	(-)26,00.00	₹ 26,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.104.44- लॉन्ग लास्टिंग इनसेकटीसाइड शीटेड नेट (एल.एल. आई.टी.एन.एन.) (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम/ जी.एन.एम. स्कूल) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	29,95.00	0.00	0.00	0.00	₹ 29,95.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,95.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.25- एमर्जेसी मेडिकल रेस्पॉन्स सर्विस (108) (राज्य स्कीम)	मूल	12,20.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 12,20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,20.00				
2210-01.110.52- हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2210-01.110.55- इन्सेन्टिव फॉर इस्टाब्लिसिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.110.57- पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत पी.एम. सी.एच. धनबाद में सपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2210-01.789.54- यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	0.00	0.00	0.00	चालू वित्तीय वर्ष में योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 85,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	(-)85,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.789.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
2210-01.789.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.796.54- यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 80,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	(-)80,00.00				
2210-01.796.55- इन्सेन्टिव फॉर इस्टाब्लिसिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.796.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹16,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,01.07	0.00	0.00	0.00	₹ 9,20.29 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	19.22				
	पुनर्वि.	(-)9,20.29				
2210-03.800.14- मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु राज्यांश (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	37.53	37.53	0.00	(-)37.53	₹ 75.06 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	37.53				
	पुनर्वि.	(-)37.53				
2210-05.101.17- राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,75.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,75.00				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्सेस) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,86.65	0.00	0.00	0.00	वित्तीय वर्ष 2017-18 योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 6,86.65 लाख सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,86.65				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2210-05.105.22- जी.एन.एम.स्कूलों का बी.एस.सी.नर्सिंग महाविद्यालय में उत्क्रमण (के.से.स्कीम)	मूल	4,18.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,18.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.00				
2210-06.112.19- त्रिवर्षीय बी.एस.सी. सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (5) ₹ 2,15,51.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 10,56.96 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 61,08.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 71,64.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,07,78.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,15,51.06 लाख) से ₹ 1,07,72.17 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4210-02.103.09- भवन निर्माण-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (राज्य स्कीम) एवं 4210-02.796.41- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-भवन-सामुदायिक (मशीन एवं उपकरण सहित) (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,50.00 लाख एवं ₹ 1,09.04 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 20,00.00 लाख, एवं ₹ 20,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत कम है, के अलावा बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4210-01.109.16- फार्मसी-भवनों का जीवर्णोद्धार (विशेष मरम्मती, मेडिसिनल गार्डन एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	30.10	30.10	0.00	₹ 69.90 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.90				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.03- सदर में आवासीय क्वार्टर, सब-डिविजन, अस्पताल और रेफरल अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	4,56.71	1,56.71	(-)3,00.00	₹ 2,43.29 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,43.29				
4210-01.110.18- बर्न यूनिट (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	41.71	41.71	0.00	₹2,58.29 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,58.29				
4210-01.110.20- पोस्टमार्टम हाउस एवं मर्चुरी (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,25.01	1,25.01	0.00	₹74.99 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.99				
4210-01.110.21- जिला खाद्य एवं औषधि कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	1,38.95	38.95	(-)1,00.00	₹1,21.05 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,21.05				
4210-01.110.41- नए ड्रामा सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	53.36	53.36	0.00	₹1,46.64 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.64				
4210-01.796.41- नए ड्रामा सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,40.19	1,40.19	0.00	₹59.81 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)59.81				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-02.110.17- भवन-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (मशीन, उपकरण और उपस्कर सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	18,92.99	17,38.64	(-)1,54.35	₹ 3,07.01 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,54.35 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,07.01				
4210-02.110.24 भवन-(मशीन उपकरण, उपस्कर सहित) सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	7,00.41	7,00.41	0.00	₹ 2,99.59 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,99.59				
4210-02.110.34- भवन-अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,00.00	1,00.00	(-)1,00.00	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
4210-02.110.64- जिला संयुक्त औषधालय एवं राजकीय औषधालय (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	3,05.23	3,05.23	0.00	₹ 4,94.77 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,94.77				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-02.796.01- भवन (मशीन उपकरण सहित) एम.जी.एम. कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	10,76.76	10,56.93	(-)19.83	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹11,23.24 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹19.83 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)11,23.24				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.109.38- नया फार्मसी संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4210-01.110.02- सिविल सर्जन कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.110.14- प्रमंडलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.28- जिला अस्तपालों में आई.सी.यू. की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.110.31- सेंटिंग अप मेडिको सिटी (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.110.34- सेंटरलाइज्ड स्टरलाईजेशन एण्ड लौण्ड्री सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.110.36- करमा, कोडरमा में नया मेडिकल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4210-01.110.37- मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.39- कीमोथेरेपी सेंटर (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4210-01.110.42- ट्रौमा केयर सुविधाएँ (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 3,26.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	3,26.40				
	पुनर्वि.	(-)3,26.40				
4210-01.110.42- ट्रौमा केयर सुविधाएँ (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 1,30.56 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	1,30.56				
	पुनर्वि.	(-)1,30.56				
4210-01.110.44- राजकीय संस्थानों में एलॉड हेल्थ साइन्स की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	13,70.00	0.00	(-)13,70.00	₹ 13,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	13,70.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.110.44- राजकीय संस्थानों में एलॉड हेल्थ साइन्स की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	9,13.00	0.00	(-)9,13.00	₹ 9,13.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	9,13.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.796.28- जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,90.00	0.00	(-)4,90.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.796.32- राज्य यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी सेन्टर (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.796.33- राज्य डायबिटीक केयर सेन्टर (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.796.35- एम.जी.एम.सी.परिसर में नया अस्पताल भवन (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 20,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
4210-02.796.37- नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.796.38- नया फार्मसी संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-02.101.62- राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, चाईबासा/ राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहेबगंज/गुमला (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 4,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
4210-02.103.07- भवने-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4210-02.103.66- स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सामुदायिक केन्द्रों में विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4210-02.796.56- राँची में झारखंड कैंसर अस्पताल एवं शोध केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-03.105.04- ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण-भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
4210-03.200.02- राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, गोड्डा का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 6,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
4210-03.796.07- पी.एम.सी.एच.धनबाद एवं एम.जी.एम. सी. एच. जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या 21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,67,10,00	12,38,53,00	10,32,05,13	(-) 2,06,47,87
अनुपूरक	71,43,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,34,97,87

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 2,06,47.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 3,64.68 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 67,78.32 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 71,43.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,34,97.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,06,47.87 लाख) से ₹ 71,50.00 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2202.03.102.06-वित्त रहित शिक्षा हेतु संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम), के अन्तर्गत ₹ 1,06.00 लाख के बचत, जो कि ₹16,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.102.03- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (राज्य स्कीम)	मूल	23,00.00	18,78.99	18,78.99	0.00	₹4,21.01 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,21.01				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.60- वित्त रहित शिक्षा हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,56.00	1,56.00	0.00	₹2,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,44.00				
2202-03.102.62- राँची विश्वविद्यालय राँची यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	17,75.57	17,75.57	0.00	₹22,24.43 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,24.43				
2202-03.102.63- विनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	12,38.73	12,38.73	0.00	₹7,61.27 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,61.27				
2202-03.102.65- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	2,67.94	2,67.94	0.00	₹ 32.06 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.06				
2202-03.102.66- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा-यू.जी.सी. बकाया वेतन (केन्द्रांश-80) (स्थापना व्यय)	मूल	10,00.00	7,98.86	7,98.86	0.00	₹ 2,01.14 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,01.14				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.67- रांची विश्वविद्यालय रांची-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश-20) (स्थापना व्यय)	मूल	7,00.00	4,43.90	4,43.90	0.00	₹ 2,56.10 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,56.10				
2202-03.102.69- सिद्धु कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश - 20) (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	1,68.44	1,68.44	0.00	₹ 31.56 लाख की प्रत्याशित बचत सिद्धु कान्हु विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.56				
2202-03.102.70- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश - 20) (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	67.00	67.00	0.00	₹ 33.00 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.00				
2202-03.102.71- कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा-यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश - 20) (स्थापना व्यय)	मूल	2,50.00	1,99.72	1,99.72	0.00	₹ 50.28 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.28				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.79- केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश-65%, राज्यांश-35%) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	37,20.00	23,27.93	23,27.93	0.00	₹ 13,92.07 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,92.07				
2202-03.102.79- केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश-65%, राज्यांश-35%) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	24,80.00	15,51.95	15,51.95	0.00	₹ 9,28.05 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,28.05				
2202.03.102.AH- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,93.57	93.57	(-)4,00.00	₹ 1,06.43 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 4,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.43				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.AK- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,66.88	16.88	(-)1,50.00	₹ 33.12 लाख का प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,50.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.12				
2202-03.102.AM- विनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय पलामू को हार्डवेयर एवं पांचों विश्वविद्यालय को सॉफ्टवेयर के लिए आई.सी. टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इ-लर्निंग हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	10,00.00	(-)20,00.00	₹ 20,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.AO- विनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग तथा नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण, कांफ्रेंस, कार्यशाला एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	58.00	58.00	0.00	₹ 42.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				
2202-03.102.AV- नये महाविद्यालयों की स्थापना, महिला महाविद्यालय की स्थापना, मॉडल महाविद्यालय की स्थापना एवं महाविद्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	8,56.00	8,56.00	0.00	₹ 5,44.00 लाख के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,44.00				
2202-03.789.79- केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश-65%, राज्यांश-35%) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,20.00	5,46.06	5,46.06	0.00	₹1,73.94 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.94				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.789.79- केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश-65%, राज्यांश-35%) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,80.00	3,64.04	3,64.04	0.00	₹1,15.96 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.96				
2202-03.796.02- सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	22,00.00	22,00.00	10,00.00	(-)12,00.00	₹12,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.796.04- राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	22,54.22	22,54.22	0.00	₹4,45.78 लाख के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,45.78				
2202-03.796.07- वित्त रहित शिक्षा हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,82.40	1,82.40	0.00	₹ 2,17.60 लाख के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,17.60				
2202-03.796.08- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	17,00.00	12,84.44	12,84.44	0.00	₹4,15.56 लाख के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,15.56				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.11- वित्त रहित शिक्षा हेतु सिद्ध-कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	4,46.40	4,46.40	0.00	₹ 2,53.60 लाख के प्रत्याशित बचत के विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,53.60				
2202-03.796.26- वित्त रहित शिक्षा हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	79.20	79.20	0.00	₹ 2,20.80 लाख का प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.80				
2202-03.796.79- केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	2,73.01	2,73.01	0.00	₹ 86.99 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.99				
2202-03.796.79- केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	1,82.00	1,82.00	0.00	₹ 58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.AI- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,20.12	5,20.12	0.00	₹ 79.88 के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.88				
2202-03.796.AJ- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु सिद्धु कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	4,00.00	1,00.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.796.AL- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	3,40.83	40.83	(-)3,00.00	₹ 59.17 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.17				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.AN- राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिद्धु-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ई-लर्निंग हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	18,00.00	2,00.00	(-)16,00.00	₹ 2,00.00 लाख का प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 16,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2202-03.796.AT- नये महाविद्यालयों की स्थापना, महिला महाविद्यालयों की स्थापना, मॉडल महाविद्यालय की स्थापना एवं महाविद्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-03.796.AW- नये महाविद्यालयों की स्थापना, महिला महाविद्यालयों की स्थापना, मॉडल महाविद्यालय की स्थापना एवं महाविद्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	1,62.00	1,62.00	0.00	₹ 8,38.00 लाख के प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,38.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.22- आई.एस.एम.धनबाद के लिए भू-अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	आई.एस.एम. द्वारा निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.AQ- बिनोवा-भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग और नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सॉफ्ट स्किल कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट-अप्स आदि एवं पी.एम.यू. के गठन हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.102.BO- परिवहन एवं अन्य सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2202-03.102.B1- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202-03.796.AD- पुस्तकालय आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला स्तरोन्नयन एवं कम्प्यूटर सेंटर उपकरणों का क्रय, रांची विश्वविद्यालय, रांची को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,50.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 10,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,50.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.AO- प्रशिक्षण कान्फ्रेंस, कार्यशाला एवं राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय भ्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,23.30	0.00	(-)1,23.30	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.70				
2202-03.796.AR- राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा को सॉफ्ट स्किल, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेंट सेल, स्टार्ट-अप्स आदि हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.796.BO- परिवहन एवं अन्य सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2202-03.796.B1- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या 22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2055-पुलिस, 2056- जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	37,95,26,95	43,93,31,79	42,33,60,97	(-)1,59,70,82
अनुपूरक	5,98,04,84			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,29,79,69

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,55,63,09	4,58,59,48	3,72,69,53	(-)85,89,95
अनुपूरक	2,02,96,39			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

84,90,26

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,59,70.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 34,76.11 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 5,18,65.35 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 44,63.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,98,04.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,29,79.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,59,70.82 लाख) से ₹ 29,91.13 लाख कम था।

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2055-00.101.06- विशेष शाखा (स्था. व्यय), 2055-00.104.04-एस.टी.एफ. (झारखण्ड जगुआर) (स्था. व्यय), 2055-00.111.02-आर्डर पुलिस(स्था. व्यय), 2056-00.101.01-केन्द्रीय जेल(स्था. व्यय) 2055-00.104.05-इंडियारिजर्व बटालियन (स्था. व्यय) और 2055-00.109.01- जिला कार्यकारी बल (स्था. व्यय) के अन्तर्गत ₹3,61.35 लाख, ₹1,53.23 लाख, ₹1,99.00 लाख, ₹4,16.15 लाख, ₹1,29.65 लाख और ₹22,22.51 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹97,50.50 लाख, ₹2,13,98.46 लाख, ₹64,62.51 लाख, ₹63,73.26, ₹2,12,20.15 लाख और ₹21,60,72.63 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.02- स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद- मुख्यालय प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	1,12.39	91.32	91.32	0.00	₹ 32.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	11.00				
	पुनर्वि.	(-)32.07				
2055-00.001.01- अभियोजन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	34,17.55	23,46.72	23,50.07	+ 3.35	₹ 11,66.48 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	99.00				
	पुनर्वि.	(-)11,69.83				
2055-00.101.05- डॉग-स्क्वाड (स्थापना व्यय)	मूल	65.69	12.99	12.99	0.00	₹ 62.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)62.70				
2055-00.101.07- फॉरेनसिक प्रयोगशाला (स्थापना व्यय)	मूल	3,15.28	2,95.07	2,88.58	(-)6.49	₹ 36.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10.20				
	पुनर्वि.	(-)30.41				
2055-00.109.97- प्रतिबंधित/कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	2,26.72	2,28.72	+ 2.00	₹ 71.28 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.28				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.111.01- बिना टिकट के यात्रियों के विरूद्ध अभियान (स्थापना व्यय)	मूल	1,79.71	1,77.62	52.07	(-)1,25.55	₹ 1,27.64 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2.09				
2055-00.114.01- संकेत (स्थापना व्यय)	मूल	22,40.47	23,25.95	23,25.90	(-)2.05	₹ 3,68.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4,53.50				
	पुनर्वि.	(-)3,68.02				
2056-00.001.01- कारा-निरीक्षणालय (स्थापना व्यय)	मूल	32,07.82	31,45.62	7,24.42	(-)24,21.20	₹6.08 लाख के पुनर्विवियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि में अपर्याप्त आवंटन के कारण हुई। ₹ 68.28 लाख के प्रत्याशित बचत और ₹ 24,21.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.20				
2056-00.101.02- जिला जेल (स्थापना व्यय)	मूल	58,28.85	45,21.85	45,21.85	0.00	₹30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि में अपर्याप्त आवंटन के कारण हुई। ₹4,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी और ₹9,56.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	19.00				
	पुनर्वि.	(-)13,26.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2056-00.101.03- उप-जेल (स्थापना व्यय)	मूल	11,82.51	10,64.40	10,64.00	0.00	₹48.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि में अपर्याप्त आवंटन के कारण हुई। ₹1,69.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	(-)1,21.11				
2070-00.106.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	72.14	72.05	72.05	0.00	₹ 3,79.87 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12.50 लाख कार्य योजना के पूरा नहीं होने के कारण हुई। ₹ 3,67.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3,79.78				
	पुनर्वि.	(-)3,79.87				
2070-00.106.05- मुख्यालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	73.23	23.09	23.09	0.00	₹50.90 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 17.50 लाख कार्य योजना को पूरा नहीं होने के कारण हुई। ₹33.40 लाख प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.76				
	पुनर्वि.	(-)50.90				
2070-00.107.01- ग्रामीण (स्थापना व्यय)	मूल	69.66.70	65,92.53	65,92.53	0.00	₹8,74.17 लाख की प्रत्याशित के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)8,74.17				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.800.09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिस कर्मी/ग्रामीण पुलिस/ होम गार्ड / गृह रक्षकों को विशेष अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	2,37.88	2,37.88	0.00	₹ 5,62.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,62.12				
2235-02.106.02- प्रोबेशन सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	4,04.58	4,16.63	4,16.63	0.00	₹ 59.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	72.00				
	पुनर्वि.	(-)59.95				
2235-60.200.03- स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	2,25.00	1,30.19	1,30.19	0.00	₹ 94.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.81				
2235-60.200.12- राहत पैकेज के अन्तर्गत 1984 के दंगों में प्रभावित परिवारों के आश्रितों को पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	9.00	9.00	0.00	₹ 41.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.00				
2235-60.200.13- झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु आन्दोलनकारियों/ आश्रितों को पेंशन/ सुविधाएं (स्थापना व्यय)	मूल	5,57.60	6,54.33	6,54.33	0.00	₹ 2,09.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3,06.24				
	पुनर्वि.	(-)2,09.51				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-60.200.14- जय प्रकाश आन्दोलन के आंदोलनकारी/आश्रितों को सम्मान पेंशन/ सुविधाएं (स्थापना व्यय)	मूल	12.00	72.69	66.39	(-)6.30	₹ 51.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,06.15				
	पुनर्वि.	(-)45.46				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.001.07- असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2055-00.109.90- जिला कार्यकारी बल-विधानसभा आम चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	30.00	0.00	(-) 30.00	₹ 33.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	33.00				
	पुनर्वि.	(-)3.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

(5) अंतिम बचत को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.110.01- चौकीदार/दफादार की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,51,57.04	2,04,29.24	2,04,57.24	+ 28.00	₹ 9,40.00 लाख के पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधान में कटौती, ₹ 37,87.80 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 28.00 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47,27.80				

पूँजी :

- (6) ₹ 85,89.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 22,63.52 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 66,32.87 लाख) और जनवरी 2018 (₹ 1,14,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,02,96.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 84,90.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 85,89.95 लाख) से ₹ 99.69 लाख कम था।
- (8) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.30- प्रवेशन होम/ छात्रावास का निर्माण/प्रवेशन सेवाएं/छात्रावास/ बोस्टल स्कूल की व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	38.73	38.73	0.00	₹ 36.27 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधान में कटौती के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.27				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.44- गैर-पारम्परिक सौर ऊर्जा (बायो गैस सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	5.63	5.63	0.00	₹ 31.87 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागारों से निधि की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई। ₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधान में कटौती के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.37				
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.सी.)	मूल	10,25.00	7,63.85	7,63.85	0.00	₹ 25,24.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	22,63.52				
	पुनर्वि.	(-)25,24.67				
4055-00.207.77- एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिले को विशेष केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस.) (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	80,00.00	80,00.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
4055-00.796.16- नये उप-कारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	1,75.76	1,75.76	0.00	₹ 1,44.24 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 30.00 लाख का पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधान में कमी होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.24				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4055-00.796.32- (संस्था) जेल उद्योग का सुदृढीकरण एवं व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	4.00	4.00	0.00	₹ 33.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 12.50 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				
4055-00.796.35- कारा कर्मियों के लिए सामुदायिक व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	6.56	6.56	0.00	₹ 30.94 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलन के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 12.50 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.44				
4055-00.796.44- गैर-पारम्परिक सौर ऊर्जा (बायो गैस सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	5.25	5.25	0.00	₹ 32.25 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलन के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधानों में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.75				
4055-00.796.76- कार्यालय सह-सैनिक आरामगृह का निर्माण/सैनिक कल्याण निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,75.84	99.99	(-)75.85	₹ 24.16 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 75.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.16				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

(9) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.19- एम्बुलेंस का व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 30.00 लाख की बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 10.00 लाख के शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
4055-00.207.32- (संस्था) जेल उद्योग का सुदृढीकरण एवं व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37.36 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 12.64 लाख का पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4055-00.207.35- जेल-कर्मियों के लिए सामुदायिक व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 22.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 7.50 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4055-00.207.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	8,00.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
4055-00.207.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,83.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,83.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,83.00				
4055-00.796.42- कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 12.50 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4070-00.796.63- नागरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,07.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,07.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.796.77- झारखण्ड अग्निशमन सेवा के सुदृढीकरण हेतु वाटर टैंडर, फार्म टैंडर, उपकरण तथा फायर-इंजन का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	0.00	0.00	0.00	₹4,50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.00				
4070-00.800.62- नागरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण (के.से.स्कीम)	मूल	1,43.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,43.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,43.00				
4070-00.800.65- अग्निशमन का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,44.04	0.00	0.00	0.00	₹ 2,44.04 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,44.04				
4070-00.800.65- अग्निशमन का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	56.67	0.00	0.00	0.00	₹ 56.67 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.67				

अनुदान संख्या 23- उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4875-अन्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,25,71,47	4,66,96,49	2,33,27,72	(-)2,33,68,77
दत्तमत	41,25,02			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,58,26,27

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,50,00	20,50,00	15,50,00	(-)5,00,00
दत्तमत	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,00,00

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 2,33,68.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 12.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 31,35.09 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 9,77.93 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 41,25.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,58,26.27 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,33,68.77 लाख) से ₹ 75,42.50 लाख कम था।

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

(3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.104.01- हस्तशिल्प और शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास (स्थापना व्यय)	मूल	3,47.80	3,38.25	3,38.25	0.00	₹ 38.05 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	28.50				
	पुनर्वि.	(-)38.05				
2851-00.104.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,26.65	1,26.65	0.00	₹ 1,73.35 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,20.48 लाख क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा व्यापार कम पर कम प्रशिक्षण के कारण तथा ₹ 52.87 लाख प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.35				
2851-00.107.12- रेशम दूतों के माध्यम से न्यूकीलियस सीड रियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	1,79.70	1,79.70	0.00	₹ 80.30 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.30				
2851-00.107.29- तसर कीट पालकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	1,98.39	1,98.39	0.00	₹ 4,01.61 लाख की प्रत्याशित बचत रेशम उत्पादक के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,01.61				
2851-00.107.70- रेशम के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,26.90	76.29	76.29	0.00	₹ 50.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.61				
2851-00.796.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,30.00	73.85	73.85	0.00	₹ 1,56.15 लाख की प्रत्याशित बचत व्यापार पर कम प्रशिक्षण होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.15				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.06- रेशम के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,28.00	3,01.49	2,91.49	(-)10.00	₹ 46.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)36.51				
2851-00.796.26- रेशम दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	3,77.00	2,84.98	2,84.98	0.00	₹ 92.02 लाख की प्रत्याशित बचत बीजों के संरक्षण की कमी के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.02				
2851-00.796.29- तसर कीट पालकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,25.00	4,51.76	4,51.76	0.00	₹ 1,73.24 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.24				
2851-00.796.36- हस्तकरघा विकास की योजना-झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम हेतु प्रबंधकीय अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	12,50.00	10,00.00	10,00.00	0.00	₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2851-00.796.46- रेशम का विकास-रेशम दूतों के माध्यम से न्युकीलियस सीड रियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	1,58.53	1,58.53	0.00	₹ 61.47 लाख की प्रत्याशित बचत बीजों के कम संरक्षण के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.47				
2851-00.796.56- समेकित खादी विकास (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	7,40.50	7,40.50	0.00	₹ 2,59.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि के कम निकासी के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,59.50				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.07- एसाइड योजना- सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,97.13	2,17.13	(-)80.00	₹ 2,02.87 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई। ₹ 80.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,02.87				
2852-80.102.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	5,25.63	5,25.63	0.00	₹ 2,24.37 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,24.37				
2852-80.102.30- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	79.76	79.76	0.00	₹ 1,20.24 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.24				
2852-80.102.42- प्रोजेक्ट एवं फिजिब्लिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	54.93	54.93	0.00	₹ 45.07 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.07				
2852-80.102.65- वास्तविक वाणिज्य-कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	18,46.19	18,46.19	0.00	₹ 5,36.36 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर जरूरत के कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	3,82.55				
	पुनर्वि.	(-)5,36.36				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.70- झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,17.97	1,17.97	0.00	₹ 32.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.03				
2852-80.102.77- झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	17.53	17.53	0.00	₹ 6,82.47 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर मांग की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,82.47				
2852-80.102.81- झारखण्ड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश नीति-2016 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 27,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि के कम आहरण के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,00.00				
2852-80.796.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	5,59.12	5,59.12	0.00	₹ 1,90.88 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.88				
2852-80.796.30- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1.89	1.89	0.00	₹ 98.11 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.11				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.52- पूंजी निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाईयों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	93.03	93.03	0.00	₹ 4,70.53 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	5,53.56				
	पुनर्वि.	(-)4,70.53				
2852-80.796.65- वास्तविक वाणिज्य- कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	22,69.93	2,15.93	(-)20,54.00	₹ 2,30.07 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई। ₹ 20,54.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,30.07				
2852-80.796.74- झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट-वेट सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	9,83.74	4,83.74	(-)5,00.00	₹ 16.26 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई। ₹ 5,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16.26				
2852-80.796.76- केन्द्रीय टूल-रूम सुविधा को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,41.00	1,41.00	0.00	₹ 1,09.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09.00				
2852-80.796.77- झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	2,22.16	2,22.16	0.00	₹ 10,77.84 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,77.84				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.78- झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	62.50	62.50	0.00	₹ 37.50 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.50				
2852-80.796.81- झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	1,50.00	1,50.00	0.00	₹8,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,50.00				
3451-00.090.01- उद्योग विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,25.00	2,79.02	2,79.02	0.00	₹45.98 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.98				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.03- शहरी हाट की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.102.44- नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.58- रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.102.61- लघु उद्योगों के लिए क्लस्टर विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,12.00	0.00	0.00	0.00	₹4,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारण योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,12.00				
2851-00.103.18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹4,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2851-00.103.60- राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2851-00.103.60- राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.107.10- रेशम विकास की योजना-आधारभूत संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.107.35- रेशम के विकास- शिल्क पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2851-00.789.11- झारखण्ड-राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रबंधकीय अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.789.64- बॉस शिल्पी प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2851-00.796.18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता समिति का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹4,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2851-00.796.21- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.33- आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2851-00.796.35- रेशम का विकास- सिल्क-पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹25.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2851-00.796.42- हस्तकरघा का विकास-हस्तकरघा संसाधन का स्तरोन्नयन सह केन्द्र विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.796.43- हस्तकरघा का विकास एन.आई.डी. अहमदाबाद के मदद के द्वारा हस्तकरघा विकास केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2851-00.796.44- नये जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना तथा भवन निर्माण और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.55- खादी पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,94.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,94.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,94.00				
2852-80.102.05- भूमि अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि का विकास हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.19- उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु भू-अर्जन-सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00	₹8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.60- खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार के आपत्ति का निराकरण नहीं होने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2852-80.102.76- केन्द्रीय टूल-रूम सुविधा के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2852-80.102.78- झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	समय पर मांग की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2852-80.102.79- झारखंड निर्यात नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	समय पर मांग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.80- अमृतसर दिल्ली-कोलकाता उद्योग कोरिडोर के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.82- झारखण्ड टेक्सटाइल्स, पोशाक, फूटवेयर नीति, 2016 को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि का मांग कम होने के कारण ₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2852-80.102.83- मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि का मांग कम होने के कारण ₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2852-80.796.05- भूमि अधिग्रहण और अधिगृहित भूमि के विकास के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.63- समेकित आधारभूत स्तरोन्यन योजना के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,90.00	0.00	(-)1,90.00	₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 1,90.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				
2852-80.796.79- झारखण्ड निर्यात नीति, 2015 को अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	समय पर मांग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.796.82- झारखण्ड टेक्सटाइल्स, पोशाक, फूटवेयर नीति, 2016 को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	इकाईयों के द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

पूँजी :

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4851-00.796.02- एन.आई.एफ.टी.केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या 24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2220- सूचना एवं प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ, 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,06,87,50	2,11,79,72	1,83,85,47	(-)27,94,25
अनुपूरक	1,04,92,22			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

27,91,33

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,40,00	11,00,00	10,89,80	(-)10,20
अनुपूरक	3,60,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

10,20

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 27,94.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 15,00.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 85,02.22 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 4,90.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,04,92.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-24 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2220-60.101.02- सरकारी विज्ञापन (स्थापना व्यय) एवं 2220-60.796.05- क्षेत्रीय प्रचार योजना-लैक्स, होर्डिंग, पंपलेट, पोस्टर का निर्माण और प्रकाशन (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,33.70 लाख एवं ₹ 2,22.24 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 78,76.81 लाख एवं ₹ 27,86.97 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-01.001.01- निर्देशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	8,22.55	9,28.83	9,25.92	(-)2.91	₹ 2,96.63 लाख की कुल बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,93.72				
2220-60.106.02- जिला भ्रमणशील इकाईयाँ (स्थापना व्यय)	मूल	10,20.78	7,34.13	7,34.13	0.00	₹ 2,86.65 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,86.65				
2220-60.106.05- क्षेत्रीय प्रचार योजना लेक्स, होर्डिंग, पंपलेट, पोस्टर का निर्माण और प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	16,62.27	16,62.27	0.00	₹ 3,17.73 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	10,80.00				
	पुनर्वि.	(-)3,17.73				
2220-60.796.03- क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	49.66	49.66	0.00	₹ 20.34 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.34				
2220-60.796.06- क्षेत्रीय प्रचार योजना- गीत, नाट्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	66.38	66.38	0.00	₹ 33.62 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.62				

अनुदान संख्या-24 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-60.796.16- क्षेत्रीय प्रचार योजना- विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए सेमिनार, सिंपोसियम तथा वर्कशोप (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	93.00	93.00	0.00	₹ 35.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	98.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2220-60.796.21- क्षेत्रीय प्रचार योजना- फिल्म निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	19,96.05	19,96.05	0.00	₹ 6,44.95 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	21,41.00				
	पुनर्वि.	(-)6,44.95				
2251-00.090.15- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,20.61	1,05.68	1,05.68	0.00	₹ 21.93 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	7.00				
	पुनर्वि.	(-)21.93				

(3) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-60.796.19- क्षेत्रीय प्रचार प्रसार योजना-सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹ 90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				

अनुदान संख्या-24 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-60.796.24- बाह्य स्रोत से सरकारी कार्यक्रम के लिए ओ.बी.वैन (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2235-60.796.11- पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

**अनुदान संख्या 25- योजना-सह-वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,03,26	2,08,71	1,53,00	(-)55,71
अनुपूरक	5,45			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

7,59

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 55.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 5.45 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 55.71 लाख) से ₹ 48.12 लाख कम था।
- (3) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.10- सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग- परियोजना संगठन (स्थापना व्यय)	मूल	1,27.34	1,27.34	79.22	₹ 48.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	0.00			

अनुदान संख्या 26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,29,41,40	2,41,69,53	1,33,60,24	(-)1,08,09,29
अनुपूरक	12,28,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

79,82,85

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	70,22,00	79,42,67	34,61,52	(-)44,81,15
अनुपूरक	9,20,67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

44,81,15

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,08,09.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 2,87.23 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 7,49.88 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,91.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,28.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 79,82.85 लाख) , अंतिम बचत (₹ 1,08,09.29 लाख) से ₹ 28,26.44 लाख कम था।

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2210-01.102.21- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 1,06.69 लाख की बचत जो ₹ 16,20.50 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत कम है, के अलावा बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.001.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्वूपिंग एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	67.74	67.74	0.00	₹ 2,32.26 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,32.26				
2230-01.001.40- झारखंड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	85.99	85.99	0.00	₹ 5,14.01 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने (₹ 3,45.01 लाख), आर्थिक मितव्ययिता के उपायों (₹ 1,10.70 लाख) तथा विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 58.30 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)5,14.01				
2230-01.101.05- औद्योगिक विवाद के लिये श्रम समझौता मंडल (स्थापना व्यय)	मूल	3,21.23	2,32.28	2,31.77	(-)0.51	₹ 96.95 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 57.10 लाख) एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	8.00				
	पुनर्वि.	(-)96.95				
2230-01.101.07- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (स्थापना व्यय)	मूल	11,18.52	10,23.61	10,23.61	0.00	₹ 1,23.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,02.45 लाख), निधि की माँग नहीं किये जाने (₹ 9.50 लाख) एवं आर्थिक मितव्ययिता (₹ 2.79 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	28.32				
	पुनर्वि.	(-)1,23.23				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2230-01.103.01- शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (स्थापना व्यय)	मूल	2,33.31	2,15.18	2,15.18	0.00	₹ 26.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹ 21.34 लाख), निधि की माँग नहीं किये जाने (₹ 2.91 लाख) एवं आर्थिक मितव्ययिता (₹ 2.44 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	8.66				
	पुनर्वि.	(-)26.79				
2230-01.103.35- बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,10.00	91.20	91.20	0.00	₹ 20.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.40				
	पुनर्वि.	(-)20.20				
2230-01.796.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्वूपिंग एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	72.40	72.40	0.00	₹ 2,27.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,61.43 लाख की बचत आर्थिक मितव्ययिता (₹ 1,51.43 लाख) एवं निधि की माँग नहीं होने (₹ 10.00 लाख)के कारण हुई थी। ₹ 66.17 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,27.60				
2230-01.796.35- बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,30.00	1,10.90	1,10.90	0.00	₹ 20.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.10				
	पुनर्वि.	(-)20.20				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.796.40- झारखंड कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	64.63	64.63	0.00	₹ 8,35.37 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने (₹ 6,25.29 लाख) आर्थिक मितव्ययिता (₹ 1,20.55 लाख एवं निधि की माँग नहीं होने (₹ 89.53 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,35.37				
2230-02.101.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	1,62.78	89.68	89.68	0.00	₹ 73.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 19.64 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण (₹ 16.94 लाख) एवं माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 3.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 53.16 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.10				
2230-02.101.04- रोजगार कार्यालय का स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	11,63.48	9,93.91	9,94.08	+ 0.17	₹ 1,69.57 लाख की प्रत्याशित बचत के मुख्य विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है। ₹ 0.17 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.57				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.101.35- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,64.98	61.28	61.28	0.00	₹ 2,03.70 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,78.55 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूरी नहीं होने (₹ 1,73.57 लाख) एवं माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 4.98 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 25.15 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.70				
2230-02.101.37- नेशनल कैरियर सर्विसेस (के.से.स्कीम)	मूल	0.00	22.45	22.45	0.00	₹ 81.55 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 53.00 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 28.55 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,04.00				
	पुनर्वि.	(-)81.55				
2230-02.796.01- रोजगार सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	3,96.13	2,46.10	2,46.56	+ 0.46	₹ 1,50.03 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 26.36 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूरी नहीं होने (₹ 23.36 लाख) एवं माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 3.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 1,23.67 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.03				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.796.35- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,33.98	28.11	28.06	(-)0.05	₹ 1,05.87 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 87.50 लाख की बचत क्रय की प्रक्रिया पूरी नहीं होने (₹ 82.52 लाख) एवं माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 4.98 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 18.37 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.87				
2230-02.796.37- नेशनल कैरियर सर्विसेस (के.से.स्कीम)	मूल	0.00	65.61	65.43	(-)0.18	₹ 1,04.39 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 89.93 लाख की बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 14.36 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,70.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04.39				
2230-03.003.04- तकनीकी शिक्षा निदेशालय का विस्तार (स्थापना व्यय)	मूल	73.10	45.48	45.48	0.00	₹ 27.62 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं होने (₹ 21.13 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹ 4.03 लाख) एवं विपत्र के प्राप्त नहीं होने (₹ 2.46 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.62				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.003.26- मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,40.47	2.47	(-)1,38.00	₹ 9.53 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 4.93 लाख) एवं निधि की माँग नहीं होने (₹ 4.60 लाख) के कारण हुई थी। ₹1,38.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9.53				
2230-03.003.38- व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	19,61.00	15,82.21	7,93.87	(-)7,88.34	₹ 3,78.79 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,52.17 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 1,46.65 लाख) एवं निधि की माँग नहीं होने (₹ 5.52 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 2,26.62 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 7,88.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,78.79				
2230-03.003.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	9,17.77	6,69.81	(-)2,47.96	₹ 2,82.23 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,47.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,82.23				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.101.02- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	22,94.62	20,29.78	20,29.78	0.00	₹ 2,64.84 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 1,85.51 लाख) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 69.61 लाख) एवं निधि की माँग नहीं होने (₹ 9.72 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,64.84				
2230-03.102.01- प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,06.78	78.23	78.23	0.00	₹ 28.55 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 22.03 लाख) एवं निधि की माँग नहीं होने (₹ 6.51 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.55				
2230-03.789.39- प्रशिक्षण एवं व्यसायिक ढाँचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	4,35.05	2,75.05	(-)1,60.00	₹ 3,64.95 लाख की प्रत्याशित बचत माँग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,64.95				
2230-03.796.26- मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,51.30	30.30	(-)2,21.00	₹ 48.70 लाख की प्रत्याशित निधि की माँग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,21.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.70				
2230-03.796.32- शिल्प प्रशिक्षण/शिक्षु का प्रशिक्षण का सुदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	71.00	40.50	40.50	0.00	₹ 30.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं होने (₹ 29.80 लाख) एवं विपत्र के प्राप्त नहीं होने (₹ 0.70 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.50				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2230-03.796.38- व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	24,36.00	20,37.16	12,53.91	(-)7,83.25	₹ 3,98.84 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,32.36 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 1,27.58 लाख) एवं निधि की माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 4.78 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 2,66.48 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 7,83.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,98.84				
2230-03.796.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	11,39.17	8,59.86	(-)2,79.31	₹ 3,60.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निधि की माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 3,60.43 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 2,79.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.83				
2235-60.200.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कम्बल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	1,65.93	1,65.93	0.00	₹ 11,93.37 लाख की प्रत्याशित बचत कंबल घोटाले के कारण निधि का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	3,59.30				
	पुनर्वि.	(-)11,93.37				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-60.796.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कम्बल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	3,00.48	3,00.48	0.00	₹ 9,35.44 लाख की प्रत्याशित बचत कंबल घोटाले के कारण निधि का भुगतान नहीं होने एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपूर्ति की गई कंबलों की बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,35.92				
	पुनर्वि.	(-)9,35.44				
2251-00.090.08- सचिवालय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,63.61	2,64.63	2,64.63	0.00	₹ 55.48 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 17.92 लाख) एवं विपत्र के प्राप्त नहीं होने (₹ 37.56 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	56.50				
	पुनर्वि.	(-)55.48				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.796.11- सामान्य लोक बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	47.35	0.00	0.00	0.00	निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण ₹ 47.35 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.35				
2230-01.796.38- झारखंड विधानसभा और सचिवालय भवनों में नया कैंटीन की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	कैंटीन के शुरु नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2230-03.003.47 - पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00	(-)1,25.00	₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2230-03.796.47 - पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-60.789.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कंबल एवं वस्त्र का विवरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

पूंजी :

- (5) ₹ 44,81.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 9,20.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ; जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई : -

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4059-01.001.55- श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	65.23	65.23	0.00	₹ 84.77 लाख की प्रत्याशित बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.77				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.796.55- श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	57.39	57.39	0.00	₹ 92.61 लाख की प्रत्याशित बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.61				
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्लू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6.00	2,23.45	2,23.45	0.00	₹ 1,86.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4,03.45				
	पुनर्वि.	(-)1,86.00				
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्लू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4.00	1,48.96	1,48.96	0.00	₹ 1,24.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,68.96				
	पुनर्वि.	(-)1,24.00				
4250-00.203.10- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,10.00	16.45	1.35	(-)15.10	₹ 93.55 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 15.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.55				
4250-00.796.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाईड भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	7,37.64	7,37.64	0.00	₹ 22,62.36 लाख की प्रत्याशित बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,62.36				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4250-00.796.10- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	2.12	17.22	(+15.10	₹ 57.88 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 15.10 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.88				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4059-01.001.56- बीड़ी मजदूरों के लिये आवास निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,25.00	0.00	0.00	0.00	लाभूकों का अनुपलब्धता होने के कारण ₹ 3,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,25.00				
4059-01.796.56- बीड़ी मजदूरों के लिये आवास निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,75.00	0.00	0.00	0.00	लाभूकों का अनुपलब्धता होने के कारण ₹ 4,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,75.00				
4250-00.203.06- भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				

अनुदान संख्या-26 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.796.06- भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	₹15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
4250-00.796.08- कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश-70, राज्यांश-30) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,20.00				
4250-00.796.08- कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश-70, राज्यांश-30) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,80.00				

अनुदान संख्या 27- विधि विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2014- न्याय प्रशासन, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,49,19,28	4,15,04,88	2,95,76,35	(-)1,19,28,53
अनुपूरक	65,85,60			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,19,08,78

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹1,19,28.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹1,74.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹4,11.60 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹60,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65,85.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,19,08.78 लाख), अंतिम बचत (₹1,19,28.53 लाख) से ₹19.75 लाख कम था।
- (3) बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.105.01- सिविल और सेशनस न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,14,09.03	2,73,73.02	2,74,15.07	+ 42.05	₹ 1,04,11.96 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	64,18.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04,54.01				
2014-00.105.03- ग्राम न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,27.79	19.88	19.88	0.00	₹ 2,07.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.91				

अनुदान संख्या-27 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.114.01- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना व्यय)	मूल	2,97.85	3,27.21	3,24.63	(-)2.58	₹ 39.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	66.50				
	पुनर्वि.	(-)37.14				
2014-00.114.02- निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	7,58.82	5,11.08	4,95.53	(-)15.55	₹ 3,16.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	53.50				
	पुनर्वि.	(-)3,01.24				
2014-00.114.03- सरकारी मुकदमें (स्थापना व्यय)	मूल	8,15.00	6,67.55	6,23.88	(-)43.67	₹ 1,91.12 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.45				
2014-00.114.04- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडीशियल एकेडमी) (स्थापना व्यय)	मूल	4,11.70	3,11.97	3,11.97	0.00	₹ 1,41.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	42.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.73				
2014-00.114.06- स्थायी लोक अदालत-अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए दैनिक शुल्क (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	97.37	97.37	0.00	₹ 2,02.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,02.63				
2052-00.090.18- विधि विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,02.41	2,63.99	2,63.99	0.00	₹ 2,44.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5.60				
	पुनर्वि.	(-)2,44.02				

अनुदान संख्या-27 क्रमांत

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.116.01- विधि आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	1,35.76	0.00	0.00	0.00	₹1,35.76 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,35.76				

विनियोग संख्या 28- झारखण्ड उच्च न्यायालय

(मुख्य शीर्ष- 2014 - न्याय प्रशासन)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	69,44,56	88,61,78	81,57,18	(-)7,04,60
अनुपूरक	19,17,22			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,31,32

टीका और टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 7,04.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 2,86.79 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 15,25.00 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹ 1,05.43 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,17.22 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,31.32 लाख), अंतिम बचत (₹7,04.60 लाख) से ₹5,73.28 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2014-00.102.01- उच्च न्यायालय राँची (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹5,73.28 लाख की बचत, जो कि ₹80,83.22 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.102.03- झारखण्ड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (स्थापना व्यय)	मूल	5,66.56	6,47.24	6,47.24	0.00	₹1,31.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,12.00				
	पुनर्वि.	(-)1,31.32				

अनुदान संख्या 29- उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,12,98,31	1,15,73,36	36,38,23	(-)79,35,13
अनुपूरक	2,75,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

41,13,93

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,00,00	2,00,00	0,00	(-)2,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 79,35.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसंबर 2017 (₹ 1,44.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,31.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,75.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशि तक सीमित जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41,13.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 79,35.13 लाख) से ₹ 38,21.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या-29 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2853-02.102.01- भूगर्भ स्थापना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 80.58 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 13,60.92 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2853-02.001.01- खनन स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	61,92.45	52,34.19	14,55.16	(-)37,79.03	₹ 47,37.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,58.26				
2853-02.001.07- खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	23,39.72	3,42.53	3,30.36	(-)12.17	₹ 20,09.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,97.19				
2853-02.102.20- भूगर्भ स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	14,51.00	3,70.60	3,68.03	(-)2.57	₹ 10,82.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2018) है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,80.40				
3451-00.090.04- खनन एवं भूतत्व विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,14.27	2,04.34	2,04.34	0.00	₹ 24.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन पर्ची एवं पूर्वाकेक्षण विपत्र की अप्राप्ति रहने (₹ 8.04 लाख), दावा अप्राप्त रहने के कारण (₹ 6.46 लाख) एवं माह मार्च में शेष निधि के 15 प्रतिशत से ज्यादा की निकासी पर रोक (₹ 4.86 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	15.00				
	पुनर्वि.	(-)24.93				

अनुदान संख्या-29 क्रमांत

पूँजी :

- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,00.00 लाख) से ₹ 1,00.00 लाख कम था।
 (5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4853-02.004.01- खनन स्थापना मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग निर्माण से संबंधित अनुमानित व्यय की स्वीकृति नहीं किए जाने के कारण नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4853-02.004.03- भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 30- कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,41,23	2,99,04	2,10,38	(-)88,66
अनुपूरक	1,57,81			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,16,01,00	1,16,01,00	66,37,21	(-)49,63,79
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

30,11,39

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) ₹ 88.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 1,53.36 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 4.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,57.81 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(2) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

(3) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2250-00.101.02- झारखण्ड राज्य हज कमिटी को अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	40.83	63.64	38.28	(-)25.36	₹25.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	22.81				
	पुनर्वि.	0.00				
2250-00.102.01- झारखंड वक्फ न्यायाधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	40.27	40.27	16.52	(-)23.75	₹23.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2251-00.090.13- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	30.50	1,64.00	1,30.84	(-)33.16	₹ 33.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,33.50				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

(4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 30,11.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 49,63.79 लाख) से ₹ 19,52.40 लाख कम था।

(5) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.02- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	8,90.78	7,07.28	(-)1,83.50	₹3,92.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.22				
4225-80.277.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	11,06.21	8,96.03	(-)2,10.18	₹6,03.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,93.79				

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.04- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए वाणिज्यिक प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	19.45	19.45	0.00	₹1,30.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.55				
4225-80.277.10- छात्रावास, बर्तन, फर्नीचर एवं टी.वी. (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	24.24	6.80	(-)17.44	₹43.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.76				
4225-80.277.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	77.75	58.83	(-)18.92	₹ 4,41.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,22.25				
4225-80.796.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण/पुनरुद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,09.58	9.58	(-)1,00.00	₹ 1,90.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.42				
4225-80.796.02- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	8,45.65	5,49.15	(-)2,96.50	₹ 3,50.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.35				
4225-80.796.03- कब्रिस्तान के लिए कंक्रीट चारदीवारी (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	10,34.69	10,25.72	(-)8.97	₹ 4,74.28 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,65.31				

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.19- रांची में मुसाफिरखाना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,64.67	(-)35.33	₹ 35.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	87.67	76.09	(-)11.58	₹ 4,23.91 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,12.33				
4225-80.796.21- अल्पसंख्यक जातियों लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	14,00.00	10,04.87	10,04.87	0.00	₹ 3,95.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,95.13				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-80.277.05- कियोस्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹ 90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
4225-80.277.14- आय जनित संपत्तियों को प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.18- नए छात्रावासों का अनुरक्षण एवं संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.04- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए वाणिज्यिक प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
4225-80.796.05- अल्पसंख्यक कियोस्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹ 90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-80.796.06- अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा-पूँजी (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.10- छात्रावास-बर्तन, फर्नीचर एवं टी.वी. (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.11- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (के. से. स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.14- आय जनित संपत्तियों को प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.16- अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-30 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.17- अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.18- नए छात्रावासों का अनुरक्षण एवं संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 31- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,41,05	1,41,05	94,23	(-)46,82
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

46,82

टीका एवं टिप्पणियाँ :

(1) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.22- संसदीय कार्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,41.05	94.23	94.23	₹ 46.82 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता (₹ 5.34 लाख) एवं निधि का अधिक बजट प्रावधान (₹ 41.48 लाख) किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)46.82			

अनुदान संख्या 32- विधान सभा

(मुख्य शीर्ष - 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	69,18,82	83,72,60	80,40,28	(-)3,32,32
अनुपूरक	14,53,78			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,13,65

राजस्व:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,20	52,00	50,66	(-)1,34
अनुपूरक	19,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,34

टीका एवं टिप्पणियाँ:

दत्तमत:

- (1) ₹ 3,32.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 76.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 10,67.60 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹ 3,10.18 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 14,53.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,13.65 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,32.32 लाख) से ₹ 18.67 लाख कम था।

अनुदान संख्या-32 क्रमांत

- (3) शीर्ष 2011-02.101-05-सदस्यगण (स्थापना व्यय) एवं 2011-02.103-01-विधानसभा सचिवालय (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 37.46 लाख एवं ₹ 39.74 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 12,61.72 लाख एवं ₹ 53,42.51 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2011-02.101.06- विरोधी दल का नेता (स्थापना व्यय)	मूल	69.74	40.27	40.27	0.00	₹ 31.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विरोधी दल के नेता द्वारा निजी सहायक एवं दफ्तरी का नियुक्ति नहीं किये जाने (₹ 28.25 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)31.47				
2011-02.101.07- सदस्यगण-निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन (स्थापना व्यय)	मूल	10,00.00	7,95.49	7,95.49	0.00	₹ 2,04.51 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की अधिक प्रावधान होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,04.51				

प्रभारित :

- (4) ₹ 1.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 10.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 9.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

**अनुदान संख्या 33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2220-सूचना एवं प्रचार)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,81,43	31,06,13	25,76,21	(-)5,29,92
अनुपूरक	5,24,70			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,29,92

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 5,29.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 2,14.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 3,09.70 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,24.70 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-33 क्रमशः

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2051-00.103.01- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	3,20.32	3,22.09	3,22.09	0.00	₹84.23 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹4.42 लाख की बचत 15 प्रतिशत अधिसीमा के कारण निधि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹79.81 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	86.00				
	पुनर्वि.	(-)84.23				
2070-00.003.05- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्कीपा) (स्थापना व्यय)	मूल	7,37.16	4,17.95	4,17.95	0.00	₹3,26.81 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹3,08.13 लाख की बचत (i) झारखंड प्रशासनिक प्रशिक्षु पदाधिकारियों की अनुपलब्धता (₹2,86.97 लाख), (ii) एल.टी.सी. का उपयोग नहीं किये जाने (₹7.60 लाख), (iii) प्रशिक्षण सत्र कम चले (₹7.08 लाख), (iv) मुख्य भवन के जीर्णोद्धार कार्य के कारण की वजह से दूरभाष (₹3.43 लाख), एवं जीर्णोद्धार कार्य के कारण प्रदर्शनी नहीं लगाये जाने के परिणामस्वरूप पुस्तकों का क्रय नहीं किये जाने (₹3.05 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 18.68 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	7.60				
	पुनर्वि.	(-)3,26.81				

अनुदान संख्या-33 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.796.06- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के आधारभूत संरचना की निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	1,78.21	1,78.21	0.00	₹46.79 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों की अनुपलब्धता के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं किये जाने कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,25.00				
	पुनर्वि.	(-)46.79				

विनियोग संख्या 34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग

(मुख्य शीर्ष - 2051 - लोक सेवा आयोग)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,12,52	9,37,52	7,93,57	(-)1,43,95
अनुपूरक	1,25,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,43,95

टीका एवं टिप्पणियाँ

- (1) ₹ 1,43.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 75.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,25.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2051-00.102.01- लोक सेवा आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	8,12.52	7,93.57	0.00	₹ 1,43.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,25.00			
	पुनर्वि.	(-)1,43.95			

अनुदान संख्या 35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,68,38,14	3,72,26,63	3,46,53,43	(-)25,73,20
अनुपूरक	3,88,49			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

20,52,00

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00	10,00	0,00	(-)10,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

10,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 25,73.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 24.20 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 2,37.29 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,27.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,88.49 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 20,52.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 25,73.20 लाख) से ₹ 5,21.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या-35 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2053-00.800-11- राज्य योजना के लिए अनाबद्ध-राशि (राज्य स्कीम) एवं 3454-02.204-02- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 3,71.99 लाख एवं ₹ 1,36.83 लाख की बचत, जो क्रमशः अन्तर्गत ₹ 1,32,50.00 लाख एवं ₹ 16,77.38 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2052-00.090.09- योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	6,75.73	5,35.90	5,34.28	(-)1.62	₹ 1,41.45 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,39.83				
2053-00.094.34- कैपेसिटी बिल्डिंग/सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोमेंसन / पी.पी.पी. वर्कशाप/ आदि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	1,41.99	1,26.74	(-)15.25	₹ 4,73.26 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,58.01				
2053-00.796.17- सविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क एवं नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	1,02.30	46.53	42.65	(-)3.88	₹ 59.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.77				
2053-00.796.34- कैपेसिटी बिल्डिंग/सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोमेंसन / पी.पी.पी. वर्कशाप/ आदि (राज्य स्कीम)	मूल	6,20.00	3,32.65	2,72.47	(-)60.18	₹ 3,47.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,87.35				

अनुदान संख्या-35 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.796.40- 20 सूत्री कार्यक्रम (सांख्यिकी वित्त डिवीजन) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	22.27	22.30	+ 0.03	₹ 77.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.73				
2053-00.796.42- झारखंड राज्य राजकेषीय अध्ययन तथा सुधार संस्था की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	18.83	11.87	(-)6.96	₹ 1,88.13 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.17				
2053-00.800.17- संबिहा भत्ता और परामर्शी शुल्क एवं नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	60.90	29.79	29.79	0.00	₹ 31.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.11				
3454-02.204.05- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,01.03	1,63.39	1,27.21	(-)36.18	₹ 73.82 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.64				
3454-02.796.03- फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना (के.से.स्कीम)	मूल	55.00	17.62	16.88	(-)0.74	₹ 38.12 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.38				
3454-02.796.12- क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण (के.से.स्कीम)	मूल	50.00	22.77	22.77	0.00	₹ 27.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.23				

अनुदान संख्या-35 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.796.33- डी.एच.डी.आर./ एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2053-00.796.38- मूल्यांकन/परामर्शी अन्य संविदा सेवा (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
3454-02.204.14- 6वीं आर्थिक गणना का संचालन (के.से.स्कीम)	मूल	45.08	0.00	0.00	0.00	₹ 45.08 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.08				
3454-02.204.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,04.16	0.00	0.00	0.00	₹ 2,94.26 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	90.10				
	पुनर्वि.	(-)2,94.26				
3454-02.204.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	61.06	0.00	0.00	0.00	₹ 66.06 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)66.06				

अनुदान संख्या-35 क्रमांत

पूँजी :

(5) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-60.796.02- योजना भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

अनुदान संख्या 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,81,37,29	18,87,67,05	17,23,65,58	(-)1,64,01,47
अनुपूरक	3,06,29,76			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

40,08,12

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,86,00,000	4,56,35,00	3,32,25,59	(-)1,24,09,41
अनुपूरक	70,35,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

41,71,37

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 1,64,01.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 14,17.09 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 1,42,77.42 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,49,35.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,06,29.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 40,08.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,64,01.47 लाख) से ₹ 1,23,93.35 लाख कम था।

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2215-01.102.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एस.आर..डी.डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश), 2215-01.106.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश), 2215-01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश), 2215-01.796.10- राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम (एन.आर. डी.डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश) तथा 2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश) के अन्तर्गत ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 44,03.92 लाख, ₹ 9.85.33 लाख, ₹ 1,14.41 लाख तथा ₹ 9,76.67 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 98,80.75 लाख, ₹ 4,91,75.46 लाख, ₹ 1,35,34.29 लाख, ₹ 33,40.96 लाख तथा ₹ 1,38,35.96 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.101.04- नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना (स्थापना व्यय)	मूल	34,50.36	28,64.61	27,52.81	(-)1,11.80	₹ 9,33.10 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,35.55				
	पुनर्वि.	(-)8,21.30				
2215-01.101.08- नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना- शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (स्थापना व्यय)	मूल	90.00	81.96	41.32	(-)40.64	₹ 48.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8.04				
2215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	20.83	20.83	0.00	₹ 5,79.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,79.17				

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	64,98.00	61,33.02	0.00	(-)61,33.02	₹ 64,98.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,64.98				
2215-01.796.12- झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	22,21.00	22,21.00	0.00	(-)22,21.00	₹ 22,21.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूंजी :

- (5) ₹ 1,24,09.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 30,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 40,35.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 70,35.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41,71.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,24,09.41 लाख) से ₹ 82,38.04 लाख कम था।

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

- (7) शीर्ष 4215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 11,62.58 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 1,45,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	2,00,15.00	1,66,46.81	1,35,51.81	(-)30,95.00	₹ 64,63.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,68.19				
4215-01.102.06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	23,92.94	(-)6,07.06	₹ 6,07.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4215-01.789.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	55,30.00	51,05.41	29,49.35	(-)21,56.06	₹ 25,80.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,24.59				
4215-01.796.06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	22,82.02	9,54.07	(-)13,27.95	₹ 15,45.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,17.98				

अनुदान संख्या-36 क्रमांत

(8) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.102.03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,71,71	23,47,77	22,83,80	(-)63,97
अनुपूरक	3,76,06			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

58,98

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 63.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 ₹ 3,76.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 58.98 लाख), अंतिम बचत (₹ 63.97 लाख) से ₹ 4.99 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2053-00.090.11- राजभाषा विभाग (स्थापना व्यय) एवं 2053-00.094.08- राजभाषा स्थापना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 10.98 लाख एवं ₹ 52.49 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,56.85 लाख एवं ₹ 21,82.46 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,21,90	32,39,82	27,34,30	(-)5,05,52
अनुपूरक	9,17,92			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,05,52

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 5,05.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 0.50 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 7,67.33 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,50.09 लाख) का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) शीर्ष 2030.03.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 1,18.70 लाख की प्रत्याशित बचत, जो कि ₹ 16,20.55 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2030-02.101.01- केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	4,50.00	8,08.27	8,08.27	0.00	₹ 2,01.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5,59.33				
	पुनर्वि.	(-)2,01.06				
2030-02.101.02- प्रतिभूति प्रेस हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	71.70	71.70	0.00	₹ 28.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.30				

अनुदान संख्या-38 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2030-03.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,17.21	1,88.63	1,88.63	0.00	₹ 1,28.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.58				

अनुदान संख्या 39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,62,96,25	7,92,92,30	5,23,23,63	(-)2,69,68,67
अनुपूरक	1,29,96,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,66,86,89

टीका एवं टिप्पणीयाँ :

- (1) ₹ 2,69,68.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 1,23,99.59 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 5,96.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 0.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,29,96.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,66,86.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,69,68.67 लाख) से ₹ 2,81.78 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2245-01.102.03- ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मत (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 3,35.56 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 83,02.38 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-01.001.01- प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित स्थापना व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,07.07	2,04.64	2,04.64	0.00
	अनुपूरक	28.46			
	पुनर्वि.	(-)30.89			
₹30.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति (₹6.07 लाख) तथा भुगतान हेतु विपत्र लंबित नहीं रहने (₹19.59 लाख) के कारण हुई।					

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.101.03- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	1,18.91	1,18.91	0.00	आपदा घटित नहीं होने के फलस्वरूप आवंटित राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹4,81.09 लाख की प्रत्याशित बचत हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,81.09				
2245-02.113.02- बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	35,00.00	4,79.86	4,79.86	0.00	₹ 28.20 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी, क्रमशः ओखनी चक्रवात के आलोक में तमिलनाडु सरकार को सहायता आवंटित राशि के सुरक्षा हेतु खर्च नहीं होने तथा आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,20.14				
2245-02.113.03- आग से जले मकानों की मरम्मति/ पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,75.00	1,07.39	1,07.39	0.00	₹ 67.61 लाख की प्रत्याशित बचत आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.61				
2245-02.114.01- (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) कृषि इनपुट अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,20.00	18.55	18.55	0.00	₹ 1,01.45 लाख की प्रत्याशित बचत आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.45				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-80.101.16- 14वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन (स्थापना व्यय)	मूल	18,55.00	1,77.95	73.55	(-)1,04.40	₹ 17,81.45 लाख की प्रत्याशित बचत आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवृत्त राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,04.40 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,04.40				
	पुनर्वि.	(-)17,81.45				
2245-80.102.01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	8,62.30	8,62.30	0.00	₹ 21,37.70 लाख की प्रत्याशित बचत, आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवृत्त राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,37.70				
2245-80.102.02- संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,10.80	1,10.80	0.00	₹ 39,82.01 लाख की प्रत्याशित बचत, आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवृत्त राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	39,92.81				
	पुनर्वि.	(-)39,82.01				
2245-80.102.12- भू-धसान से प्रभावितों को सहायता अनुग्रह अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	36.00	36.00	0.00	₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत, आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवृत्त राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-80.102.13- शीतलहरी से प्रभावित निःसहाय्यों को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	52.56	52.56	0.00	₹ 1,47.44 लाख की प्रत्याशित बचत, आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.44				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.01- निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (स्थापना व्यय)	मूल	13,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 13,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				
2245-01.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2245-01.101.06- अन्य कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.07- कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक) (स्थापना व्यय)	मूल	22,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹ 22,00.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,00.00				
2245-01.101.08- खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य द्वारा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
2245-01.101.09- अन्य कार्य हेतु राज्य द्वारा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2245-01.102.01- ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई (स्थापना व्यय)	मूल	11,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 11,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,00.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.102.02- पीने के पानी की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	11,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹ 11,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,00.00				
2245-01.104.01- चारे की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2245-01.282.01- दवाओं की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2245-02.101.01- निः सहाय्यों एवं विकलांगों को नगद अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,10.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.00				
2245-02.101.07- अंतर्राज्यीय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए वस्त्र/कंबल आदि का वितरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2245-02.105.01- पशुओं के लिए दवा (स्थापना व्यय)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2245-02.282.01- मानव दवाओं की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,02.00	0.00	0.00	0.00	आपदा के घटित नहीं होने के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण ₹ 1,02.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-80.102.09- विभिन्न संवर्गों के लिय गये राज्य अधिकारियों के कोर बुहविषयों समूहों का प्रशिक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)60.00			
2245-80.102.14- अन्तर्राज्यीय आपदा के निमित्त राहत शिविर की व्यवस्था (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)50.00			

(5) राज्य आपदा मोचन निधि:

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) एक कोष है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1) (ए) के अधीन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 के अधीन किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित परिस्थितियों अथवा आपदा से निपटने के लिए किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के लिए निधि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन एवं गठन के लिए दिशा निर्देश तैयार किया।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाले वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए:-

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

अनुदान संख्या-39 क्रमांत

केन्द्र एवं राज्य से निधि का वर्षवार आवंटन नीचे दर्शाया गया है:-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जोड़
	(₹ करोड़ में)					
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	2,73.00	2,86.50	3,00.75	3,15.75	3,31.50	15,07.50
राज्यांश (25 प्रतिशत)	91.00	95.50	1,00.25	1,05.25	1,10.50	5,02.50
जोड़	3,64.00	3,82.00	4,01.00	4,21.00	4,42.00	20,10.00

वर्ष 2017-18 के लिए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या-एफ 23(40)2015 एफ. सी.डी.-दिनांक 18-07-2017 एवं एफ. 23(40) 2015 / एफ.सी.डी. दिनांक 22-01-2018 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिए ₹ 3,00.75 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त दोनों (₹1,50.38 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 50.12 करोड़ का राज्यांश) तथा (₹1,50.37 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 50.13 करोड़ का राज्यांश) स्वीकृति आदेश संख्या-02/आ.प्र.-101/2011-135 (स्वी.)/आ.प्र./राँची दिनांक 20/09/2018 एवं 2/आ.प्र.-101/2011-250 (स्वी.) राँची दिनांक 5.3.2018 संस्वीकृति प्रदान किया। अतः वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 4,01.00 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गए वास्तविक व्यय के जाँचोपरांत वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 1,09.16 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिए था। तदनुसार वर्ष 2017-18 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 1,09.16 करोड़ नामे किया गया।

अतः 31 मार्च 2018 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹ 15,51.04 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2053 जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2506- भूमि सुधार, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,09,42,19	5,35,80,62	4,61,60,75	(-)74,19,87
अनुपूरक	26,38,43			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

74,12,23

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	45,00,14	45,00,14	44,01,81	(-)98,33
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

98,29

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 74,19.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2017 (₹ 18,73.69 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 6,41.70 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,23.04 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,38.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-40 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2029-00.104.01- राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता एवं सैरत रेमिशन कमिटी सहित) (राज्य स्कीम), 2052-00.092.04- भू अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (राज्य स्कीम), 2053-00.094.01- अनुमंडलीय स्थापना (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 20,93.59 लाख, ₹ 1,07.75 लाख एवं ₹ 3,14.05 लाख की बचत, जो कि ₹ 2,27,42.26 लाख, ₹ 11,06.37 लाख एवं ₹ 43,23.44 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.101.01- मानकी/मुण्डा/ डाकुआ/प्रधान/ ठीकेदार के लिए सम्मान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	15,42.81	15,42.81	0.00	₹ 4,57.19 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,57.19				
2029-00.102.05- आदिवासियों को जमीन वापसी/ अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	74.00	4.23	4.23	0.00	₹ 69.77 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.77				
2029-00.102.15- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	27,22.21	23,14.94	22,97.31	(-)17.63	₹ 4,40.40 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	15.50				
	पुनर्वि.	(-)4,22.77				
2029-00.102.19- बाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	18,50.00	11,22.78	11,22.52	(-)0.26	₹ 7,27.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,27.22				

अनुदान संख्या-40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.104.03- राजस्व प्रशासन पर व्यय-नई गाड़ियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	6,66.00	2,04.11	2,04.11	0.00	₹ 4,61.89 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,61.89				
2029-00.104.18- कोषागार में जमा राशि की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	1,50.00	1,01.20	1,01.20	0.00	₹ 48.80 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 48.80				
2052-00.090.17- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	6,32.79	5,80.68	5,80.68	0.00	₹ 1,12.11 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.11				
2052-00.099.01- सामान्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,67.84	2,32.91	2,32.91	0.00	₹ 49.93 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	15.00				
	पुनर्वि.	(-)49.93				
2052-00.099.04- भू-अभिलेख निदेशालय एवं सर्वेक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	83.72	49.66	49.66	0.00	₹ 34.06 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.06				

अनुदान संख्या-40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.093.01- जिला प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	83,09,66	70,75.06	70,85.83	+10.77	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7,50.00 लाख के प्रावधान में कटौती, ₹ 5,46.75 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 10.77 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	62.15				
	पुनर्वि.	(-)12,96.75				
2053-00.094.04- प्रमाणपत्र स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	3,02.32	1,95.42	1,95.42	0.00	₹ 1,06.90 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.90				
2053-00.101.01- मुख्य कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	9,34.49	7,05.99	7,05.99	0.00	₹ 2,40.50 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.50				
2070-00.115.03- सर्किट भवन (स्थापना व्यय)	मूल	1,78.03	1,25.62	1,25.62	0.00	₹ 53.71 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1.30				
	पुनर्वि.	(-)53.71				
3454-01.001.01- कृषि गणना (के.से.स्कीम)	मूल	2,00.00	17.65	17.65	0.00	₹ 2,53.54 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	71.19				
	पुनर्वि.	(-)2,53.54				

अनुदान संख्या-40 क्रमांत

(3) निम्नलिखित मामले में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.796.03- राजस्व प्रशासन पर व्यय-नई गाड़ियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	2,34.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,34.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,34.00				

पूँजी :

(4) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4047-00.800.01- बंदोबस्त कार्यालय भवन का निर्माण, जीर्णोधार (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	2,71.81	2,71.81	0.00	₹ 98.19 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.19				

अनुदान संख्या 41- पथ निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3054-सड़क तथा सेतु, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,64,65,72	5,51,65,72	2,91,18,91	(-)2,60,46,81
अनुपूरक	87,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

41,72,15

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50,00,00,00	50,93,00,00	50,36,91,10	(-)56,08,90
अनुपूरक	93,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

59,43,55

टीका और टिप्पणियां :

राजस्व :

- (1) ₹ 2,60,46.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹5,00.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹82,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹87,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41,72.15 लाख), अंतिम बचत (₹2,60,46.81 लाख) से ₹ 2,18,74.66 लाख कम था।

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

- (3) शीर्ष 3054-03-337-01- सड़क निर्माण कार्य (स्थापना व्यय), 3054-80-001-02-कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय) एवं 3054-80-001-04- अधीक्षण (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 9,55.99 लाख, ₹ 3,65.92 लाख एवं ₹ 1,16.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,55,00.00 लाख, ₹ 88,40.28 लाख एवं ₹ 11,66.15 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2075.00.791.01- ए.डी.बी. कर्जे के लिए विनियम दर की वृद्धि/हानि के लिए भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	60,00.00	60,00.00	4,52.68	(-)55,47.32	₹ 55,47.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3054.01.337.01- राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	20,47.34	71.64	(-)19,75.70	₹ 29,28.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,52.66				
3054.80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	15,19.98	10,25.33	10,24.34	(-)0.99	₹2.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं ₹4,92.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,94.65				
3054.80.001.05- निरूपण (स्थापना व्यय)	मूल	8,74.95	6,43.95	6,41.01	(-)2.94	प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ₹2,31.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई। ₹2.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,31.00				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054.80.001.06- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,77.77	1,12.37	1,12.37	0.00	प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ₹65.40 लाख की प्रत्याशित बचत हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.40				
3054.80.001.07- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,15.28	1,60.14	1,60.14	0.00	₹1,55.14 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,55.14				
3054.80.001.08- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय)	मूल	23,50.15	17,08.25	16,93.79	(-)14.46	प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ₹6,41.90 लाख की प्रत्याशित बचत हुई। ₹14.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,41.90				
3054.80.001.09- अग्रिम योजना स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	9,29.29	6,30.92	6,26.37	(-)4.55	प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ₹2,98.37 लाख की प्रत्याशित बचत हुई। ₹4.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,98.37				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054.80.797.01- आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण (स्थापना व्यय)	मूल	60,00.00	1,42,00.00	0.00	(-)1,42,00.00	₹ 1,42,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	82,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 56,08.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹11,00.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹82,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹93,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 59,43.55 लाख), अंतिम बचत (₹ 56,08.90 लाख) से ₹ 3,34.65 लाख अधिक था।
- (7) शीर्ष 5054.03.101.03-पुल (राज्य स्कीम), 5054.03.337.01-वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम), 5054.03.796.01-वृहद् सड़के (राज्य स्कीम) 5054.03.796.03-पुल (राज्य स्कीम) एवं 5054.03.796.10-बीओटी (एनयूटी) परियोजना के एनयूटी भुगतान (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,73.51 लाख, ₹ 1,80,83.41 लाख, ₹ 85,98.13 लाख, ₹ 2,44.01 लाख एवं ₹ 1,91.47 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,90,00.00 लाख, ₹ 20,70,00.00 लाख, ₹ 19,11,10.00 लाख, ₹ 1,85,00.00 लाख एवं ₹ 3,58,13.88 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.337.02- केन्द्रीय सड़क कोष (के.से. स्कीम)	मूल	30,00.00	68,30.99	60,30.99	(-)8,00.00	₹ 37,69.01 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा प्रावधान के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 8,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	76,00.00				
	पुनर्वि.	(-)37,69.01				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.796.02- केंद्रीय सड़क कोष (के. से. स्कीम)	मूल	30,00.00	34,97.90	34,97.90	0.00	₹ 12,02.10 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा प्रावधान के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	17,00.00				
	पुनर्वि.	(-)12,02.10				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.052.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	36.12	0.00	0.00	0.00	₹ 36.12 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.12				
5054.03.796.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

(9) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.799.01- विविध निर्माण कार्य अग्रिम (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	1,78,01.26	+ 1,78,01.26	₹ 1,78,01.26 लाख बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

(10) उचंत लेन-देन :-

- (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 1,78,01.26 लाख (निवल) का उपयोग “उचंत” शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई हैं :-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम -इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

- (ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लेने-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2018 को अन्तशेष
(₹ लाख में)					
(i) 3054-सड़क तथा सेतु					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
जोड़	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय					
स्टॉक	(-) 1.26	0.00	0.00	0.00	(-) 1.26
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	6,24,92.42	1,78,01.26	0.00	1,78,01.26	8,02,93.68
जोड़	6,24,91.16	1,78,01.26	0.00	1,78,01.26	8,02,92.42

(11) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष “3054-सड़क तथा सेतु” में प्रतिस्पर्शी नामे द्वारा शीर्ष “8224-केन्द्रीय सड़क निधि” में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

राज्य सरकार की अंतरित राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष ‘3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान’ में डेबिट

अनुदान संख्या-41 क्रमांत

किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान' में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" में प्रतिस्पर्शी नामे द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष '3054/5054' में पुस्तान्कित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष "3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि" में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा" में डेबिट करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। यद्यपि, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार से ₹1,09,14.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में अन्तरण के लिए "शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" के अन्तर्गत अनुपूरक बजट, 2018-19 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रक्षा गया है।

(12) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:-

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2015-16	34,13,64.62	1,92,52.55	5.64	5,66.12	0.17
2016-17	34,78,58.86	1,09,80.49	2.50	1,15.12	0.03
2017-18	51,82,21.05	1,45,88.95	2.18	0.00	0.00

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या 42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	55,22,58,02	55,75,69,56	33,42,12,41	(-)22,33,57,15
अनुपूरक	53,11,54			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

12,80,35,70

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,76,89,00	4,98,90,30	4,94,50,80	(-)4,39,50
अनुपूरक	22,01,30			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,98,03

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 22,33,57.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 11,66.85 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 41,37.90 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 6.79 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 53,11.54 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,80,35.70 लाख), अंतिम बचत (₹22,33,57.15 लाख) से ₹ 9,53,21.45 लाख कम था।

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2505-01.796.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2515-00.102.10- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखण्ड (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 30,77.51 लाख एवं ₹ 2,38.70 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 4,61,59.20 लाख एवं ₹ 2,07,30.40 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,82.51	1,73.47	1,73.47	0.00	₹ 6,09.04 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,09.04				
2501-02.101.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,21.67	1,15.64	1,15.64	0.00	₹ 4,06.03 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,06.03				
2501-02.789.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,39.54	53.10	53.10	0.00	₹ 1,86.44 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,86.44				
2501-02.789.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,59.70	35.40	35.40	0.00	₹ 1,24.30 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.30				
2501-02.796.03- सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम-जलछाजन निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	78.56	78.56	0.00	₹ 91.44 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.44				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2501-02.796.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,74.91	1,27.45	1,27.45	0.00	₹ 4,47.46 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,47.46				
2501-02.796.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,83.27	84.96	84.96	0.00	₹ 2,98.31 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,98.31				
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,46,40.32	1,09,22.08	1,09,22.08	0.00	₹ 37,18.24 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,18.24				
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	97,60.21	79,76.39	79,76.39	0.00	₹ 17,83.82 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,83.82				
2501-06.101.13- प्रखण्ड प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	3,01.29	3,01.29	0.00	₹ 48.71 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.71				
2501-06.101.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,44.16	13,86.67	13,86.67	0.00	₹ 6,37.33 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10,79.84				
	पुनर्वि.	(-)6,37.33				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-डी.आर. डी.ए. प्रशासन (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,87.00	6,34.11	6,34.11	0.00	₹ 6,52.89 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,52.89				
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्र.स्कीम-रज्यांश)	मूल	8,58.00	11,79.35	5,46.24	(-)6,33.11	₹ 9,44.87 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	6,33.11				
	पुनर्वि.	(-)3,11.76				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिये योजना (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,07,56.15	64,52.21	64,52.21	0.00	₹ 43,03.94 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43,03.94				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिये योजना (के.प्र.स्कीम-रज्यांश)	मूल	71,70.77	44,48.05	44,48.05	0.00	₹ 27,22.72 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,22.72				
2501-06.796.13- प्रखण्ड प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,86.44	4,87.18	+0.74	₹ 1,13.56 लाख के प्रत्याशित बचत एवं ₹ 0.74 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,13.56				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	11,43.75	10,59.75	9,85.00	(-)74.75	₹ 1,58.75 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.00				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,19.66	8,97.49	8,97.49	0.00	₹ 1,77.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	55.67				
	पुनर्वि.	(-)1,77.84				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,53.00	5,72.65	5,72.65	0.00	₹ 4,80.35 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.35				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,02.00	9,19.03	4,06.38	(-)5,12.65	₹ 8,08.27 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5,12.65				
	पुनर्वि.	(-)2,95.62				
2505-01.702.02- ईदिरा आवास योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,28,27.80	4,79,03.69	4,79,03.69	0.00	₹ 1,49,24.11 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49,24.11				
2505-01.796.01- नरेगा-मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,56.22	1,46.22	(-)10.00	₹ 34.78 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	31.00				
	पुनर्वि.	(-)24.78				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,79,21.33	5,93,14.24	1,67,52.62	(-)4,25,61.62	₹ 8,11,68.71 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,86,07.09				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्र.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,02,00.13	80,53.51	51,13.51	(-)29,40.00	₹ 50,86.62 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,46.62				
2505-02.101.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	4,74.50	3,67.77	6.25	(-)3,61.52	₹ 4,68.25 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.73				
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,99,75.92	1,81,57.42	51,28.35	(-)1,30,29.07	₹ 2,48,47.57 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18,18.50				
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्र.स्कीम-राज्यांश)	मूल	31,22.49	24,65.36	15,65.36	(-)9,00.00	₹ 15,57.13 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,57.13				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,19,42.20	4,35,77.81	1,23,08.05	(-)3,12,69.76	₹ 5,96,34.15 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,83,64.39				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	74,93.98	59,16.86	37,56.86	(-)21,60.00	₹ 37,37.12 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,77.12				
2505-02.796.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	5,68.00	4,33.50	0.74	(-)4,32.76	₹ 5,67.26 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.50				
2515-00.796.09- कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	2,96.72	3,04.86	2,47.61	(-)57.25	₹ 75.11 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	26.00				
	पुनर्वि.	(-)17.86				
2515-00.796.34- प्रखण्ड कार्यालयों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	1,45.64	1,45.64	0.00	₹ 1,14.36 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,14.36				
2515-00.796.40- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	9.24	9.24	0.00	₹ 40.76 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.76				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	25,42.26	0.00	0.00	0.00	₹ 25,42.26 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,42.26				
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	16,95.00	0.00	0.00	0.00	₹ 16,95.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,95.00				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,78.25	0.00	0.00	0.00	₹ 7,78.25 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,78.25				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,18.88	0.00	0.00	0.00	₹ 5,18.88 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,18.88				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	22,17.80	3,50.00	0.00	(-)3,50.00	₹ 22,17.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,67.80				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,45.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 4,39.50 लाख के अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 2,01.30 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 20,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 22,01.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,98.03 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,39.50 लाख) से ₹ 1,41.47 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4515-00.796.39- प्रखण्ड भवन-मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,41.47 लाख की बचत, जो ₹ 72,32.50 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.102.38- प्रखण्ड भवन लघु निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	18.27	18.27	0.00	₹ 2,06.73 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,06.73				

(8) उंचत लेन-देन

- (क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उंचत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

अनुदान संख्या-42 क्रमांत

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम :- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2018 का अन्तशेष
		(₹ लाख में)			
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
कुल	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16
कुल	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16

**अनुदान संख्या 43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202-खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,78,51,55	4,21,43,40	3,12,03,91	(-)1,09,39,49
अनुपूरक	42,91,85			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

90,29,29

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,74,00,00	4,40,78,00	3,28,96,69	(-)1,11,81,31
अनुपूरक	66,78,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,11,81,31

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 1,09,39.49 लाख के अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 0.82 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 42,51.03 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 40.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 42,91.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 90,29.29 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,09,39.49 लाख) से ₹ 19,10.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

(3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.003.AB- कौशल विकास मिशन (सामाजिक / जिला अनुदान) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	40,00.00	40,00.00	0.00	₹ 60,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60,00.00				
2203-00.004.A5- गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	16,20.00	15,00.00	(-)1,20.00	₹ 12,00.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	12,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,80.00				
2203-00.105.44- राजकीय पॉलीटेक्निकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	14,80.00	25,27.83	25,29.94	+ 2.11	₹ 5,67.17 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों तथा ₹ 2.11 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	16,15.00				
	पुनर्वि.	(-)5,67.17				
2203-00.112.02- स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	15,33.38	15,33.38	0.00	₹ 2,86.62 लाख के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)2,86.62				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.112.A3- अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेक्निक अन्तर्गत आई.सी. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लास रूम नेटवर्किंग वाईफाई एवं अन्य संबंधित योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,90.00	21,91.64	19,24.95	(-)2,66.69	₹ 6,65.05 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,98.36				
2203-00.796.A5- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों से सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	17,00.00	11,00.00	(-)6,00.00	₹ 6,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3451-00.090.03- विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,49.53	2,83.64	2,79.17	(-)4.47	₹ 70.36 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.89				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.112.AA- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम सहायक अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,20.00	3,20.00	0.00	(-)3,20.00	₹ 3,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.112.AA- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम सहायक अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,20.00	3,20.00	0.00	(-)3,20.00	₹ 3,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.789.AA- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम सहायक अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.789.AA- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम सहायक अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.796.97- परामर्शी फीस/ तकनीकी निर्माण/ पीपीपी/प्रशिक्षण/ कौशल एवं अन्य कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,56.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,56.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.00				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.AA- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम सहायक अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,30.00	1,30.00	0.00	(-)1,30.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.796.AA- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम सहायक अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,30.00	1,30.00	0.00	(-)1,30.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.A3- अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटैक्निक अन्तर्गत आई.सी. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लास रूम नेटवर्किंग वाईफाई एवं अन्य संबंधित योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,10.00	5,80.94	6,45.87	+ 64.93	₹ 3,29.06 लाख के प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान के कारण हुई। ₹ 64.93 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,29.06				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

पूँजी :

- (6) ₹ 1,11,81.31 लाख के अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2017 (₹ 6,78.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 60.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 66,78.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (7) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.75- प्रशिक्षण एवं विकास, ईस्टीच्यूशिनल नेटवर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	99,16.00	7.46	7.46	0.00	₹ 74,54.54 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 24,54.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99,08.54				

- (8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.71- इंजीनियरिंग/ पोलिटैक्निक में महिला हॉस्टल का निर्माण (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 69.75 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	69.75				
	पुनर्वि.	(-)69.75				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.789.76- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण इंजिनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्निक/ खनन संस्थानों का निर्माण, झारखंड राज्य के 17 जिलों में पॉलिटेक्निक का निर्माण (के. से स्कीम)	मूल	0.00	88.20	0.00	(-)88.20	₹ 88.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	88.20				
	पुनर्वि.	0.00				
4202-02.796.75- प्रशिक्षण एवं विकास इस्टीमेट नेटवर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	34,84.00	0.00	0.00	0.00	₹ 26,13.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों तथा ₹ 8,71.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,84.00				
4202-02.796.76- 17 जिलों में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्निक खनन संस्थानों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	44.10	0.00	(-)44.10	₹ 44.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	44.10				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-43 क्रमांत

(9) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.76- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्निक खनन संस्थानों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	34,35.54	35,67.84	+ 1,32.30	₹ 10,20.16 लाख के प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान के कारण हुई। ₹ 1,32.30 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4,55.70				
	पुनर्वि.	(-)10,20.16				

अनुदान संख्या 44- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2205-कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,71,08	7,00,28	6,18,89	(-)81,39
अनुपूरक	29,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

53,55

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 81.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹ 28.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 29.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) शीर्ष 2251-00.090.01- शिक्षा विभाग (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 20.02 लाख की बचत, जो ₹ 5,56.34 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2205-00.105.01- सार्वजनिक पुस्तकालय (स्थापना व्यय)	मूल	68.71	40.94	40.94	0.00	₹ 27.77 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.77				

अनुदान संख्या-44 क्रमांत

(3) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.105.05- जिला केन्द्रीय पुस्तकालय-सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	11.34	0.00	0.00	0.00	₹ 11.34 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11.34				

अनुदान संख्या 45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

(मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,87,99,00	1,92,40,96	72,79,51	(-)1,19,61,45
अनुपूरक	4,41,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

90,01,95

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	22,00,00	22,00,00	1,45,95	(-)20,54,05
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

18,54,05

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,19,61.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 11.96 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 4,30.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,41.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 90,01.95 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,19,61.45 लाख) से ₹ 29,59.50 लाख कम था।

अनुदान संख्या-45 क्रमशः

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.21-ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	4,29.16	4,29.16	0.00	₹ 5,70.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,70.84				
2203-00.001.85-स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.50	0.50	0.00	₹ 49.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.50				
2203-00.001.89-ई-ऑफिस (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 1,21.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,21.00				
	पुनर्वि.	(-)1,21.00				
2203-00.001.92-डाटा सेंटर, लेन, पोर्टल एवं स्वान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,30.00	1,30.00	0.00	₹ 3,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,70.00				
2203-00.001.96-साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	39.77	39.77	0.00	₹ 1,10.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.23				
2203-00.001.A8-स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स (राज्य स्कीम)	मूल	50,00.00	30,00.00	5,00.00	(-)25,00.00	₹ 45,00.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2203-00.789.85-स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	10.50	10.50	0.00	₹ 39.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.50				

अनुदान संख्या-45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.17-ई-गवर्नेस (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	1,77.39	1,77.39	0.00	₹ 22.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	(-)22.61				
2203-00.796.21-ई-गवर्नेस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,38.51	8,07.68	8,07.68	0.00	₹ 3,89.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,59.00				
	पुनर्वि.	(-)3,89.83				
2203-00.796.85-स्कील डेवेलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	44.00	44.00	0.00	₹ 56.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.00				
2203-00.796.A8-स्टेट ई-गवर्नेस प्रोजेक्ट्स (राज्य स्कीम)	मूल	65,00.00	42,47.77	42,47.77	0.00	₹ 22,52.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,52.23				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.63-ई-गवर्नेस आपदा प्रबंधन/गृह/स्वस्थ आदि सभी विभागों के लिए ग्रीवान्स एवं एमर्जेंसी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.86- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.001.93- ई-मुलाकात (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.001.98- आई.टी./आई.टी. इनेबलड सर्विसेज इन्सेटिव (राज्य स्कीम)	मूल	3,19.50	3,19.50	0.00	(-)3,19.50	₹ 3,19.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	11,15.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,15.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,15.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,15.00				

अनुदान संख्या-45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.63- गवर्नेस आपदा प्रबंधन/गृह/स्वस्थ आदि सभी विभागों के लिए ग्रीवान्स एवं एमर्जेंसी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2203-00.796.65- आई.टी. पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2203-00.796.92- सेंटर, लेन, पोर्टल एवं स्वान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

पूँजी :

- (5) प्रत्यर्पित प्रावधान (₹18,54.05 लाख), अंतिम बचत (₹20,54.05 लाख) से ₹2,00.00 लाख कम था।
- (6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.70- सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	17,50.00	1,45.95	1,45.95	0.00	₹ 16,04.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,04.05				

अनुदान संख्या-45 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.796.74- आई. टी. पार्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 4,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				

अनुदान संख्या 46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	51,77,75	52,19,89	46,83,59	(-)5,36,30
अनुपूरक	42,14			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2018) 5,36,30

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	71,00,00	71,00,00	70,99,93	(-)0,07
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2018) 0,07

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 5,36.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹ 29.70 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 12.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 42.14 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-46 क्रमांत

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-80.796.11- आई.एच.एम, एफ. सी.आई, साहसिक गतिविधियों के लिए जे.ए.टी.आई. इत्यादि पर्यटक संस्थान एवं विभिन्न पर्यटक वि. प्रा., बाबा वैद्यनाथ धाम-वासुकीनाथ सराईन एरिया वि. प्रा. आदि के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,56.16	1,56.16	0.00	₹ 3,43.84 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,43.84				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-01.190.11- राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
3452-01.796.11- राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या 47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर ,3055-सड़क परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,40,09,30	2,61,19,30	2,51,41,04	(-)9,78,26
अनुपूरक	1,21,10,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

9,42,19

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,51,00	31,13,00	16,57,50	(-)14,55,50
अनुपूरक	6,62,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

10,70,44

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 9,78.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹ 21,10.00 लाख) और जनवरी 2018 (₹ 1,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,21,10.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,42.19 लाख), अंतिम बचत (₹9,78.26 लाख) से ₹36.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या-47 क्रमशः

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2041-00.001.01- राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,51.57	1,26.24	1,26.24	0.00	₹ 25.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.33				
2041-00.101.01- प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,69.95	64.75	64.11	(-)0.64	₹ 1,05.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.20				
2041-00.101.02- मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना व्यय)	मूल	8,96.53	4,92.61	4,70.44	(-)22.17	₹ 4,36.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)4,13.92				
2041-00.102.01- मोटर वाहन का निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,54.96	98.07	85.28	(-)12.79	₹ 69.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.89				
3055-00.190.01- राज्य पथ परिवहन निगम, झारखण्ड को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,06.55	6.22	6.22	0.00	₹ 2,00.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.33				
3451-00.090.14- परिवहन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,32.74	1,93.22	1,92.74	(-)0.48	₹ 39.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.52				

अनुदान संख्या-47 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3075-60.796.06- संयुक्त उपक्रम कम्पनी के राज्य शेयर पूँजी (जे.वी.सी.) (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 14,55.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 5,00.00 लाख) और दिसम्बर 2017 (₹ 1,62.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,62.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,70.44 लाख), अंतिम बचत (₹14,55.50 लाख) से ₹3,85.06 लाख कम था।
- (7) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.05- अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	62.00	42.14	(-)19.86	₹ 19.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.190.14- ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर/ कार्यशाला/ गोष्ठी/ जागरूकता अभियान (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	57.92	33.57	(-)24.35	₹ 26.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2.08				
5055-00.190.17- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	78.80	34.37	(-)44.43	₹ 45.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.20				

अनुदान संख्या-47 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.21- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (ट्रांसपोर्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	1,65.76	1,65.76	0.00	₹ 44.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	90.00				
	पुनर्वि.	(-)44.24				
5055-00.190.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	3,45.56	3,45.56	0.00	₹ 2,54.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,54.44				
5055-06.796.05- अस्थायी चेक पोस्टों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	90.00	28.28	(-)61.72	₹ 61.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.12- प्रिंटिंग/मुद्रण/चालान एवं टोकन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	9.00	(-)41.00	₹ 41.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.14- ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर/ कार्यशाला/गोष्ठी / जागरूकता अभियान (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	90.00	23.49	(-)66.51	₹ 66.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.17- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	1,20.00	17.04	(-)1,02.96	₹ 1,02.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-47 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.796.21- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (ट्रांसपोर्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	1,13.94	1,13.94	0.00	₹ 36.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	70.00				
	पुनर्वि.	(-)36.06				
5055-00.796.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	3,09.07	2,97.18	(-)11.89	₹ 6,02.82 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,90.93				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
5055-00.796.19- मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या 48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,63,51,75	33,82,45,81	29,52,03,56	(-)4,30,42,25
अनुपूरक	9,18,94,06			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,77,52,89

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	69,92,83	71,02,83	69,69,63	(-)1,33,20
अनुपूरक	1,10,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,33,20

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 4,30,42.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹2,48,14.52 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 3,76,69.99 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 2,94,09.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,18,94.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,77,52.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,30,42.25 लाख) से ₹ 1,52,89.36 लाख कम था।

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2217-80.796.73- स्वच्छ भारत मिशन (टोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) के अन्तर्गत ₹ 3,46.12 लाख की बचत, जो कि ₹ 36,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.191.01- पेय जलापूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	14,14.39	14,14.39	0.00	₹ 10,85.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,85.61				
2215-01.796.01- पेय जलापूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	5,00.00	(-)15,00.00	₹ 15,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2217-80.001.01- राज्य स्तरीय नगरीय प्रशासन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,12.38	49.03	49.03	0.00	₹ 72.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	9.00				
	पुनर्वि.	(-)72.35				
2217-80.001.04- शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजन (स्थापना व्यय)	मूल	6,80.00	5,63.41	5,63.41	0.00	₹ 1,16.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.59				
2217-80.191.64- राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,00.00	23.84	23.84	0.00	₹ 4,76.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,76.16				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.76- शहरी पुनरूत्थान मिशन-अमृत (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	65,00.00	42,74.99	42,74.99	0.00	₹ 22,25.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,25.01				
2217-80.191.76- शहरी पुनरूत्थान मिशन-अमृत (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	65,00.00	31,48.00	31,48.00	0.00	₹ 33,52.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,52.00				
2217-80.191.81- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर निगमों को अनुदान (के.प्रा.स्कीम)	मूल	1,36,08.70	2,32,55.75	2,32,55.75	0.00	₹ 40,18.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,36,65.38				
	पुनर्वि.	(-)40,18.33				
2217-80.192.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	4,65.40	3,32.84	3,32.84	0.00	₹ 1,43.56 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	11.00				
	पुनर्वि.	(-)1,43.56				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.192.82-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	51,51.75	80.72.81	80,72.81	0.00	₹13,15.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	42,36.50				
	पुनर्वि.	(-)13,15.44				
2217-80.193.07-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,21.62	48.81	48.81	0.00	₹ 72.81 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.81				
2217-80.193.40-शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	4,17.21	3,15.43	3,15.43	0.00	₹ 1,12.78 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	11.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.78				
2217-80.193.83-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	18,16.05	27,23.31	27,23.31	0.00	₹ 4,17.68 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	13,24.94				
	पुनर्वि.	(-)4,17.68				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (के.प्र.स्कीम -रज्यांश)	मूल	3,00.00	4,56.66	4,56.66	0.00	₹ 1,93.34 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	3,50.00				
	पुनर्वि.	(-1,93.34)				
2217-80.796.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (के.प्र.स्कीम -केन्द्रांश)	मूल	25,00.00	11,28.81	11,28.81	0.00	₹ 13,71.19 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-13,71.19)				
2217-80.796.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (के.प्र.स्कीम -रज्यांश)	मूल	15,00.00	2,77.37	2,77.37	0.00	₹ 12,22.63 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-12,22.63)				
2217-80.796.61- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना सह एन.एल.सी.पी एवं एन.जी.आर.बी.ए. सह नमामी गंगे हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	9.64	(-)9,90.36	₹ 9,90.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2217-80.796.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	35,00.00	28,35.64	28,35.64	0.00	₹ 6,64.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-6,64.36)				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	35,00.00	21,00.00	21,00.00	0.00	₹ 14,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,00.00				
2251-00.090.05- शहरी विकास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,57.26	4,30.79	4,30.79	0.00	₹1,38.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)1,38.47				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.001.05- राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना व्यय हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2217-80.191.65- झारखण्ड राज्य शहरी विकास निधि अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	19,99.00	0.00	(-)19,99.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.00				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.83-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर निगम को अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	39,33.79	0.00	0.00	0.00	₹ 57,59.65 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	18,25.86				
	पुनर्वि.	(-)57,59.65				
2217-80.191.90-नगर निगम के कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	38.78	0.00	0.00	0.00	₹ 38.78 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.78				
2217-80.192.05-नगर पर्वदों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2217-80.192.84-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफार्मेंस ग्रांट के तहत नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	14,89.17	0.00	0.00	0.00	₹ 20,23.53 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5,34.36				
	पुनर्वि.	(-)20,23.53				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.193.05- नगर पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2217-80.193.85- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफार्मेंस ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	5,24.94	0.00	0.00	0.00	₹ 7,14.73 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,89.79				
	पुनर्वि.	(-)7,14.73				
2217-80.789.64- राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2217-80.796.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-48 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.78- जे.एन.एन.यू. और एम.के. अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	₹1,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी :

- (5) ₹1,33.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹1,10.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6217-60.191.03- नगर निगम को उनके नियमित कर्मियों के वेतनवृद्धि के भुगतान के लिए ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	17,00.00	17,86.85	17,86.85	0.00	₹ 23.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,10.00				
	पुनर्वि.	(-)23.15				
6217-60.193.02- नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को कर्ज (स्थापना व्यय)	मूल	1,62.16	64.21	64.21	0.00	₹ 97.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.95				

अनुदान संख्या 49- जल संसाधन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2700- मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2705- कमान क्षेत्र विकास, 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,92,06,39	3,93,51,52	3,22,62,65	(-70,88,87)
अनुपूरक	1,45,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

42,83,47

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,94,20,58	19,11,05,58	12,30,06,08	(-6,80,99,50)
अनुपूरक	4,16,85,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,36,66,73

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 70,88.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2017 (₹ 63.25 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 81.88 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,45.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 42,83.47 लाख), अंतिम बचत (₹ 70,88.87 लाख) से ₹ 28,05.40 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2701-03.001.07- मध्यम सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 10,11.60 लाख की बचत, जो कि ₹ 1,02,29.92 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2700-01.001.02- स्वर्णिखा बाँध परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,85,94.46	1,66,82.94	1,54,82.94	(-)12,00.00	₹ 31,11.52 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,11.52				
2701-03.001.06- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	73,63.92	61,92.65	54,92.14	(-)7,00.51	₹ 18,89.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	17.41				
	पुनर्वि.	(-)11,88.68				
2705-00.101.01- मयुराक्षी जलाशय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,99.66	2,07.66	(-)92.00	₹ 92.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)0.34				

- (4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2705-00.101.02- काँची सिंचाई योजना (केन्द्रांश - 50: राज्यांश - 50) (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	6,92.49	0.00	(-)6,92.49	₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7.51				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2705-00.789.02- काँची सिंचाई योजना (केन्द्रांश - 50: राज्यांश - 50) (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2711-01.001.01- गंगा नदी के दायें किनारे पर बाढ़ के दौरान मरम्मत कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2017-18 में बाढ़ नहीं आने के कारण ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2705-00.789.01- मयूराक्षी जलाशय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,99.15	3,88.63	+1,89.48	₹ 0.85 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,89.48 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)0.85				

पूँजी :

- (6) ₹ 6,80,99.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 99,00.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 1,76,00.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,41,85.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,16,85.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,36,66.73 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,80,99.50 लाख) से ₹ 5,44,32.77 लाख कम था।

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

- (8) शीर्ष 4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (के.से.स्कीम), 4701-80.789.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम), 4701-80.789.64- छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम) एवं 4701-80.800.64- छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,19.17 लाख, ₹ 2,17.14 लाख, ₹ 4,71.25 लाख एवं ₹ 5,19.72 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 90,00.00 लाख, ₹ 98,39.00 लाख, ₹ 1,26,00.00 लाख एवं ₹ 60,66.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (के.से.स्कीम)	मूल	0.00	60,00.00	32,28.17	(-)27,71.83	₹ 27,71.83 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	60,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4700-80.789.13- स्वर्णरेखा परियोजना राज्यांश (राज्य स्कीम)	मूल	2,50,00.00	2,26,02.13	2,00,51.36	(-)25,50.77	₹ 23,97.87 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि अधिग्रहण में समस्याओं के कारण हुई थी। ₹ 25,50.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,97.87				
4700-80.796.09- स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. (राज्य स्कीम)	मूल	1,20,00.00	1,14,50.60	92,50.31	(-)22,00.29	₹ 5,49.40 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप पूरे राज्यांश को निर्गत किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 22,00.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,49.40				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.13- स्वर्णरेखा परियोजना राज्यांश (राज्य स्कीम)	मूल	2,04,00.00	1,80,95.09	1,63,95.11	(-)16,99.98	₹ 23,04.91 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च में निकासी पर 15 प्रतिशत की अधिसीमा लागू किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 16,99.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,04.91				
4701-80.789.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	4,72.35	4,72.35	0.00	₹ 1,27.65 लाख की प्रत्याशित बचत स्थानीय समस्याओं के कारण कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,27.65				
4701-80.789.63- मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.98	0.98	0.00	₹ 49.02 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.02				
4701-80.789.66- नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	3,20.95	3,20.95	0.00	₹ 79.05 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.05				
4701-80.796.12- डैम सेफ्टी एवं हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट-2 (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	18.23	(-)31.77	₹ 31.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.54- पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (राज्य स्कीम)	मूल	1,10,00.00	1,11,18.76	1,11,18.76	0.00	₹ 31,81.24 लाख की प्रत्याशित बचत एस.बी.डी. के अंतर्गत मोबिलाइजेशन एवं यंत्र-संयंत्र अग्रिम की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	33,00.00				
	पुनर्वि.	(-)31,81.24				
4701-80.796.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	6,96.63	6,96.63	0.00	₹ 10,53.37 लाख की प्रत्याशित बचत मंत्रिमंडल द्वारा सी.ए.डी. डब्ल्यू. एम. कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन के फलस्वरूप चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,53.37				
4701-80.796.63- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,95.58	0.58	(-)1,95.00	₹ 4.42 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 1,95.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4.42				
4701-80.796.74- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किए जानेवाले योजनाओं का कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	21,00.00	23,13.89	22,94.80	(-)19.09	₹ 3,86.11 लाख की प्रत्याशित बचत स्थानीय समस्या, कार्य की धीमी प्रगति एवं मार्च में निकासी पर 15 प्रतिशत की अधि सीमा के कारण हुई थी। ₹ 19.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,86.11				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,05.07	5,05.07	0.00	₹ 94.93 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वेक्षण संबंधित योजनाओं का कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.93				
4701-80.800.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	15,31.10	15,31.10	0.00	₹ 1,78.90 लाख की प्रत्याशित बचत स्थानीय समस्याओं के कारण कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	7,10.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.90				
4701-80.800.54- पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (राज्य स्कीम)	मूल	2,00,00.00	1,98,81.49	1,78,91.44	(-)19,90.05	₹ 1,18.51 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई थी। ₹ 19,90.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.51				
4701-80.800.71- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 2011-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	8,96.83	6,96.82	(-)2,00.01	₹ 3.17 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च में निकासी पर 15 प्रतिशत की अधिसीमा लागू किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 2,00.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3.17				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.800.75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	4,80.62	2,23.62	(-)2,57.00	₹ 2,69.38 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य शीर्ष में कनहर उच्च समिति का भुगतान एवं अन्य कार्यों में धीमी प्रगति के कारण हुई थी। ₹ 2,57.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,69.38				
4711-01.789.58- नई बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	8,59.75	4,04.84	(-)4,54.91	₹ 1,40.25 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 4,54.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.25				
4711-01.796.58- नई बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	16,70.97	5,25.87	(-)11,45.10	₹ 1,29.03 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 11,45.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,29.03				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

(9) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.789.09- स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. (राज्य स्कीम)	मूल	80,00.00	80,00.00	0.00	(-)80,00.00	₹ 80,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4700-80.789.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,25,00.00	1,25,00.00	0.00	(-)1,25,00.00	₹ 1,25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4700-80.796.11- स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेर राशि) (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	उड़ीसा एवं प. बंगाल का हिस्सा नहीं मिलने के कारण ₹ 16,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,80,10.00	1,80,10.00	0.00	(-)1,80,10.00	₹ 1,80,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4700-80.800.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.005.76- राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी परियोजना (के.से.स्कीम)	मूल	4,20.58	4,20.58	0.00	(-)4,20.58	₹ 4,20.58 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4701-80.796.14- झारखंड सिंचाई आयोग का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4701-80.796.67- जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन एवं नये वाहनों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4701-80.800.65- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4711-80.789.59- चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	70.00	0.00	(-)70.00	योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुई। ₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.56- बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	90.00	0.00	(-)90.00	₹ 10.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 90.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

(10) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-03.799.01- उच्चत-विविध निर्माण कार्य अग्रिम (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	51.34	+51.34	₹ 51.34 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(11) उच्चत लेन-देन:-

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 51.34 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उच्चत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

अनुदान संख्या-49 क्रमांत

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम : इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिये गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2018 को अन्तशेष
		(₹ लाख में)			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	51,78.39	51.34	0.00	51.34	52,29.73
कुल	51,78.39	51.34	0.00	51.34	52,29.73

अनुदान संख्या 50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	98,03,78	98,08,37	83,13,08	(-)14,95,29
अनुपूरक	4,59			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

14,93,79

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,69,65,00	6,67,48,00	4,59,09,25	(-)2,08,38,75
अनुपूरक	97,83,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,14,64,14

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 14,95.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹ 3.09 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4.59 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2702-01.102.02- झारखंड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,55.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 1,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.00				
2702-01.796.02- झारखंड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,55.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 1,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.00				
2702-02.005.01- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (स्थापना व्यय)	मूल	90,83.78	78,14.58	78,13.08	(-)1.50	₹ 12,75.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	4.59				
	पुनर्वि.	(-)12,73.79				

पूंजी :

- (3) ₹ 2,08,38.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 55,00.00 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 32,00.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 10,83.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 97,83.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,14,64.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,08,38.75 लाख) से ₹ 93,74.61 लाख कम था।

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

(5) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,26,00.00	1,33,48.61	1,28,68.36	(-)4,80.25	₹ 17,51.39 लाख की प्रत्याशित बचत, मार्च में निधि की निकासी पर 15 प्रतिशत की अधिसीमा लागू किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4,80.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	(-)17,51.39				
4702-00.101.19- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	32,47.52	9,54.72	(-)22,92.80	₹ 2,52.48 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर कार्य करने की दक्षता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 22,92.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,52.48				
4702-00.101.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	89,00.00	57,35.24	57,35.24	0.00	₹ 31,64.76 लाख की प्रत्याशित बचत जलजमाव के फलस्वरूप योजना पुर्नगठन कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,64.76				
4702-00.101.25- भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार (स्कीम)	मूल	60.00	25.59	25.59	0.00	₹ 34.41 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.41				

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00-101.31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्शी एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	6.37	6.37	0.00	₹ 43.63 लाख की प्रत्याशित बचत वामिस में समस्याओं के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.63				
4702-00.101.35- ए.आई.बी.पी.एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केंद्राश) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	80.00	0.90	(-)79.10	₹ 79.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.101.37- रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक (के.से स्कीम)	मूल	1,15.00	1,15.00	21.34	(-)93.66	₹ 93.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.789.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	11.81	(-)68.19	₹ 68.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.796.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,55,00.00	1,96,66.43	1,96,66.43	0.00	₹ 31,16.57 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च में निधि की निकासी पर 15 प्रतिशत की अधिसीमा लागू किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	72,83.00				
	पुनर्वि.	(-)31,16.57				

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.796.19- नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	44,00.00	36,45.14	14,03.70	(-)22,41.44	₹ 7,54.86 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर कार्य करने की दक्षता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 22,41.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,54.86				
4702-00.796.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,10,00.00	87,87.21	49,99.88	(-)37,87.33	₹ 22,12.79 लाख की प्रत्याशित बचत जल जमाव के फलस्वरूप योजना पुर्नगठन कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई थी। ₹ 37,87.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,12.79				

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.789.19- नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.789.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.796.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
4702-00.796.35- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	98.00	98.00	0.00	(-)98.00	₹ 98.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-50 क्रमांत

(7) उचंत लेन-देन :-

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से कोई भी राशि को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनो सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदिशेष	नामे (₹ लाख में)	जमा	निवल	31 मार्च 2018 को अन्तशेष
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	6,02.30	0.00	0.00	0.00	6,02.30
कुल	6,02.30	0.00	0.00	0.00	6,02.30

अनुदान संख्या 51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2225 –अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,39,06,20	18,69,73,17	10,89,71,26	(-)7,80,01,91
अनुपूरक	2,30,66,97			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,84,99,35

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,39,44,00	3,66,44,00	1,98,91,42	(-)1,67,52,58
अनुपूरक	1,27,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

23,84,72

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 7,80,01.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 1,83,95.11 लाख) दिसम्बर 2017 (₹ 43,41.80 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 3,30.06 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,30,66.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,84,99.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,80,01.91 लाख) से ₹ 3,95,02.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2225-02.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 3,33.65 लाख की बचत, जो कि ₹ 47,43.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2225-01.001.01-निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	33,63.78	33,80.60	23,34.26	(-)10,46.34	₹ 10,46.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	16.82				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.277.02-छात्रावास संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	1,66.26	1,66.26	89.67	(-)76.59	₹ 76.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.277.03-आवासीय विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	36,53.85	36,41.06	21,93.05	(-)14,48.01	₹ 15,49.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	88.90				
	पुनर्वि.	(-)1,01.69				
2225-01.789.01-निदेशन एवं प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	3,67.00	3,04.07	1,67.82	(-)1,36.25	₹ 1,99.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.93				
2225-01.789.03-प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम.)	मूल	15,40.00	8,87.05	7,57.85	(-)1,29.20	₹ 7,82.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,52.95				
2225-01.789.11-छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	20.70	(-)59.30	₹ 59.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.13-छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	15,00.00	12,59.52	(-)2,40.48	₹ 2,40.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.16- शिक्षा-भोकेशनल प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	12.50	12.50	0.00	₹ 1,87.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,87.50				
2225-01.789.46- शिक्षा-चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	91.88	78.23	(-)13.65	₹ 71.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.12				
2225-01.789.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	53,00.00	17,66.43	15,71.69	(-)1,94.74	₹ 35,11.57 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 22.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कटौती तथा ₹ 1,94.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,33.57				
2225-01.789.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	9,49.36	7,82.85	(-)1,66.51	₹ 18,17.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,50.64				
2225-01.789.62- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	9,67.78	8,56.94	(-)1,10.84	₹ 7,43.06 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,32.22				
2225-01.789.67- केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत विशेष अंगीभूत योजना (के.से. स्कीम)	मूल	20,00.00	19,34.02	11,34.02	(-)8,00.00	₹ 8,65.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.98				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.82- नए छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	13.67	(-)66.33	₹ 66.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.88- छात्रावासों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,89.76	1,39.75	(-)50.01	₹ 60.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.24				
2225-02.277.03- लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास (स्थापना व्यय)	मूल	10,03.24	8,79.48	5,83.35	(-)2,96.13	₹4,19.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23.76				
2225-02.277.04- आवासीय विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	90,51.19	87,59.01	69,27.34	(-)18,31.67	₹ 21,23.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,92.18				
2225-02.277.13- छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	4,99.83	(-)5,00.17	₹ 5,00.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.26- झारखंड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची (स्थापना व्यय)	मूल	2,89.18	2,89.18	1,89.24	(-)99.94	₹ 99.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.32- आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	1,85.91	1,85.91	0.00	₹ 4,14.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,14.09				
2225-02.277.44- आवासीय विद्यालयों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	45.91	35.38	(-)14.53	₹ 64.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.09				
2225-02.277.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	24,80.00	9,43.88	8,62.19	(-)81.69	₹ 16,17.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,36.12				
2225-02.277.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	3,99.55	3,65.55	(-)34.00	₹ 9,34.45 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.45				
2225-02.277.65- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	7,50.00	7,39.10	1,41.51	(-)5,97.59	₹ 6,08.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.90				
2225-02.277.69- पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,60.32	3,49.23	1,82.93	(-)1,66.30	₹1,77.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11.09				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.82- नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	6.95	(-)43.05	₹43.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	4,28.23	3,45.65	(-)82.58	₹ 5,54.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,71.77				
2225-02.277.92- छात्रावासों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,47.55	1,06.97	(-)40.58	₹ 43.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2.45				
2225-02.282.01- आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	3,01.54	2,84.00	1,69.88	(-)1,14.12	₹1,33.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.85				
	पुनर्वि.	(-)19.39				
2225-02.796.01- विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (स्थापना व्यय)	मूल	1,10,00.00	2,05,82.88	95,82.88	(-)1,10,00.00	₹ 1,24,17.12 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)14,17.12				
2225-02.796.03- आदिम जातियों के लिये विशेष स्वास्थ्य योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	53.28	(-)1,46.72	₹ 1,46.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.04- आदिम जनजातियों का विकास कार्यक्रम (के.से. स्कीम)	मूल	8,00.00	45,66.62	45,66.25	(-)0.37	₹ 5,30.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	42,97.50				
	पुनर्वि.	(-)5,30.88				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.06- पहाड़िया का कल्याण (मध्याह्न भोजन) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	93.03	30.30	(-)62.73	₹ 69.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6.97				
2225-02.796.11- प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	12.50.00	10,27.05	9,54.64	(-)72.41	₹ 2,95.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,22.95				
2225-02.796.13- छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	23,35.77	(-)6,64.23	₹ 6,64.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.26- झारखंड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	32.77	32.77	0.00	₹ 1,67.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.67.23				
2225-02.796.32- आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	12,00.00	7,51.05	(-)4,48.95	₹ 4,48.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.38- बिरसा मुण्डा डी.ए. भी. विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,17.91	2,17.91	0.00	₹ 32.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)32.09				
2225-02.796.39- ग्रामीण अस्पतालों का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	19,99.14	14,06.96	(-)5,92.18	₹ 5,92.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)0.86				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.49- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,35.00	61.52	61.52	0.00	₹ 73.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.48				
2225-02.796.51- शिक्षा-गैर सरकारी संस्थाओं को प्राथमिक पी.टी.जी. आवासीय विद्यालय चलाने हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	2,05.90	2,05.90	0.00	₹ 50.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,06.00				
	पुनर्वि.	(-)50.10				
2225-02.796.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,06,00.00	74,05.95	68,27.87	(-)5,78.08	₹ 29,63.05 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 2,31.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कटौती तथा ₹ 5,78.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,94.05				
2225-02.796.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	18,65.77	16,90.39	(-)1,75.38	₹ 23,09.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,34.23				
2225-02.796.78- समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण/ आदिम जनजाती विकास प्राधिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	13,65.95	5,64.01	(-)8,01.94	₹ 9,55.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)1,54.05				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.82- नए छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,50.00	35.63	(-)1,14.37	₹ 1,14.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	27,00.00	17,50.15	16,31.56	(-)1,18.59	₹ 10,68.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,49.85				
2225-02.796.91- आयवृद्धि परिसम्पत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	6,00.00	4,71.00	(-)1,29.00	₹ 1,29.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.03- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	12,97.46	7,53.71	(-)5,43.75	₹ 13,46.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)8,02.54				
2225-03.277.05- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	15,59.00	14,64.79	13,32.70	(-)1,32.09	₹ 2,26.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.21				
2225-03.277.06- प्री.-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	1,50.00	1,42.05	(-)7.95	₹ 2,57.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2225-03.277.06- प्री.-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-गज्यांश)	मूल	2,00.00	1,58.05	1,08.05	(-)50.00	₹ 91.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.95				
2225-03.277.07- आवासीय विद्यालय का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	1,25.00	1,41.25	87.13	(-)54.12	₹ 54.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	16.25				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.10- छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	23,32.64	(-)6,67.36	₹ 6,67.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.12- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,06,00.00	83,09.17	76,47.60	(-)6,61.57	₹ 29,52.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,90.83				
2225-03.277.18- पिछड़े जातियों के लिये आवासीय विद्यालयों का संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	3,27.57	3,18.56	2,74.56	(-)44.00	₹ 53.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9.01				
2225-03.277.58- मध्यमिक/प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	31,17.00	24,66.66	16,14.63	(-)8,52.03	₹ 15,02.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,50.34				
2225-03.277.66- परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,65.00	2,88.29	2,88.29	0.00	₹ 76.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)76.71				
2225-03.277.82- छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	4.64	(-)45.36	₹ 45.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.03- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	13,00.00	9,75.93	6,39.21	(-)3,36.72	₹ 12,64.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	6,04.00				
	पुनर्वि.	(-)9,28.07				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.06- मैट्रिक छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	1,20.00	1,13.31	(-)6.69	₹ 2,14.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,28.04				
	पुनर्वि.	(-)2,08.04				
2225-03.796.07- आवासीय विद्यालयों का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	2,29.41	1,33.05	(-)96.36	₹ 96.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	49.41				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.13- छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	14,15.63	12,23.61	(-)1,92.02	₹ 2,76.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.37				
2225-03.796.23- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (पुस्तक अधिकोष सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	1,24,00.00	68,36.66	65,60.20	(-)2,76.46	₹ 58,39.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55,63.34				
2225-03.796.58- विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	19,81.00	19,81.00	12,65.85	(-)7,15.15	₹ 7,15.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.04- अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2225-01.789.86- प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (वर्ग IX एवं X) (के.से.स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2225-01.789.87- आय वृद्धि परिसम्पत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.91- शिक्षा ऋण गारंटी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2225-02.277.15- अन्य कल्याण कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
2225-02.277.49- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (के.से. स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	3,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,50.00				
2225-02.277.91- आयवृद्धि परिसंपत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.97- शिक्षा-ऋण गारंटी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2225-02.796.02- व्यावसायिक प्रशिक्षण (के.से.स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.21- टी.सी.डी.सी. को हिस्सापूजी (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.24- अनुसूचित जातियों के लिए भोकेशनल शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2225-02.796.26- झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2225-02.796.28- लाह विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.49- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (के.से. स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.50- शिक्षा-टी.सी.डी.सी. को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	6,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,50.00				
2225-02.796.89- लाह एवं लघु-वनोपज विषणन एवं विकास कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	30,00.00	29,99.00	0.00	(-)29,99.00	₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.00				
2225-02.796.89- लाह एवं लघु वनोपज विपणन एवं विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.90- वन बंधु कल्याण योजना (के.से.स्कीम)	मूल	26,00.00	26,00.00	0.00	(-)26,00.00	₹ 26,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.97- शिक्षा-ऋण गारंटी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2225-03.277.08- पिछड़ा वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,65.00	1,25.00	0.00	(-)1,25.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2225-03.277.84- अन्य पिछड़ा वर्ग का छात्रावासों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.86- शिक्षा-ऋण गारंटी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2225-03.796.03- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.08- पिछड़ा वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	55.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹ 55.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.65- आयवृद्धि परिसंपत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.84- अन्य पिछड़ा वर्ग का छात्रावासों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.85- पिछड़ा वर्ग विकास निगम सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.86- शिक्षा-ऋण गारंटी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

पूँजी :

- (5) ₹ 1,67,52.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 1,20,00.00 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 7,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,27,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,84.72 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,67,52.58 लाख) से ₹ 1,43,67.86 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4225-02.796.09- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,98.86 लाख की बचत, जो कि ₹ 24,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-01.789.20- आवासीय उच्च विद्यालयों को +2 में उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,48.13	4,48.13	0.00	₹ 1,51.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,51.87				
4225-02.277.05- आवासीय विद्यालय का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	74.86	58.88	(-)15.98	₹ 1,91.12 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.14				
4225-02.277.08- संविधान की धारा 275(1) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के. से. स्कीम)	मूल	10,00.00	8,09.13	8,05.57	(-)3.56	₹ 1,94.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.87				
4225-02.277.37- शिक्षा-आदिवासियों का जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	22,00.00	20,13.27	11,41.46	(-)8,71.81	₹ 10,58.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,86.73				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-02.283.06- अनुसूचित जनजातियों के लिये आवासों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	6,00.00	5,19.97	(-)80.03	₹ 80.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.08- संविधान की धारा 275(1) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00,00.00	1,93,23.76	89,41.85	(-)1,03,81.91	₹ 1,10,58.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि.	(-)6,76.24				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-01.789.21- बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास निर्माण योजना (के.से. स्कीम)	मूल	5,05.00	5,05.00	0.00	(-)5,05.00	₹ 5,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-02.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.0				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.40- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिये छात्रावास (के.से.स्कीम)	मूल	2,45.00	2,45.00	0.00	(-)2,45.00	₹ 2,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.41- अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के लिये छात्रावास निर्माण (के.से.स्कीम)	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00	(-)1,65.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00	(-)1,65.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.39- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना (के.से.स्कीम)	मूल	6,05.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,05.00				
4225-02.796.40- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बालक-बालिका छात्रावास (के.से.स्कीम)	मूल	3,65.00	3,65.00	0.00	(-)3,65.00	₹ 3,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.41- अनुसूचित जनजाति बालक-बालिका छात्रावास निर्माण (के.से.स्कीम)	मूल	3,72.00	3,72.00	0.00	(-)3,72.00	₹ 3,72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00	(-)1,65.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-03.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00	(-)1,65.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	88,55,58	90,70,95	69,81,91	(-)20,89,04
अनुपूरक	2,15,37			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

20,73,13

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,66,61	34,66,61	29,41,61	(-)5,25,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,25,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 20,89.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 59.56 लाख), दिसंबर 2017 (₹ 1,53.06 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 2.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,15.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 20,73.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 20,89.04 लाख) से ₹ 15.91 लाख कम था।

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.102.01- राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	12,34.50	9,78.39	9,78.39	0.00	₹ 3,46.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	90.30				
	पुनर्वि.	(-)3,46.41				
2204-00.104.02- खेलकूद (स्थापना व्यय)	मूल	44.58	54.77	54.77	0.00	₹ 38.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	49.00				
	पुनर्वि.	(-)38.81				
2204-00.796.13- युवा गतिविधियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	1,35.00	71.00	71.00	0.00	₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.00				
2204-00.796.27- खिलाड़ी कल्याण कोष/छात्रवृत्ति/ सम्मान/पूर्व खिलाड़ी पेंशन/बीमा (राज्य स्कीम)	मूल	2,90.00	2,58.94	2,58.94	0.00	₹ 31.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.06				
2204-00.796.49- कमल क्लब, हॉकी एवं फुटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड जिला एवं राज्य स्तरीय) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	34.40	34.40	0.00	₹ 15.60 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.60				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.101.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	3,90.08	3,90.08	0.00	₹ 79.92 लाख के प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रवधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.92				
2205-00.107.03- संग्रहालय (स्थापना व्यय)	मूल	83.94	72.13	64.54	(-)7.59	₹ 22.40 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	(-)14.81				
2205-00.796.28- जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	32.20	32.20	0.00	₹ 1,53.27 लाख के प्रत्याशित बचत एवं ₹ 39.53 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा व्यय में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,92.80				
2205-00.796.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	5,13.89	5,10.89	(-)3.00	₹ 48.61 लाख के प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,87.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,36.11				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.104.10 - राष्ट्रीय सेवा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2204-00.104.51- खेलों के विकास हेतु खेलों इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2204-00.789.51- खेलों के विकास हेतु खेलों इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2204-00.796.10- राष्ट्रीय सेवा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2204-00.796.51- खेलों के विकास हेतु खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	4,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.00				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.101.43- राज्य/जिला स्तरीय कला संस्कृति परिषद् (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2205-00.101.44- सांस्कृतिक परामर्शी गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2205-00.101.45- झारखण्ड राज्य साहित्य (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2205-00.796.43- राज्य/जिला स्तरीय कला संस्कृति परिषद् (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2205-00.796.44- सांस्कृतिक परामर्शी गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2205-00.796.45- झारखण्ड राज्य साहित्य (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

अनुदान संख्या-52 क्रमांत

पूँजी :

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
4202-04.789.12- सांस्कृतिक भवनों, संग्रहालय एवं एम.सी.सी. निर्माण, सुरक्षा तथा रखरखाव (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4202-04.796.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4202-04.796.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या 53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2405-मछली पालन, 4405 -मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	75,53,76	75,53,76	57,21,40	(-)18,32,36
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

18,31,16

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	59,20,000	64,00,00	43,81,31	(-)20,18,69
अनुपूरक	4,80,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

8,18,69

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) शीर्ष 2405-00.101.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम) तथा 2405-00.796.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 91.85 लाख तथा ₹ 75.86 लाख की प्रत्याशित बचत, जो कि ₹ 10,00.00 लाख के तथा ₹ 10,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,22.06	2,22.06	0.00	₹ 77.94 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.94				
2405-00.101.50- मत्स्य मार्केटिंग स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	2,70.00	17.83	16.75	(-)1.08	₹ 2,53.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,52.17				
2405-00.101.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	2,35.00	50.38	50.38	0.00	₹ 1,84.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.62				
2405-00.101.62- नई योजना-नील क्रान्ति योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,80.00	3,01.48	3,01.48	0.00	₹ 1,78.52 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.52				
2405-00.789.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,30.00	2,04.99	2,04.87	(-)0.12	₹ 25.13 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.01				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.789.20- मत्स्य विकास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	41.51	41.51	0.00	₹18.49 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.49				
2405-00.789.50- मत्स्य मार्केटिंग स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	32.94	32.94	0.00	₹ 37.06 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.06				
2405-00.789.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	0.24	0.24	0.00	₹ 79.76 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.76				
2405-00.789.62- नई योजना-नील क्रांति योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20.00	79.99	79.99	0.00	₹ 40.01 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.01				
2405-00.796.20- मत्स्य विकास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,66.11	2,66.11	0.00	₹ 1,33.89 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,33.89				
2405-00.796.50- मत्स्य मार्केटिंग स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	16.14	16.14	0.00	₹ 1,13.86 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,13.86				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.796.56- फीड बेस्ट फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	2,35.00	11.94	11.94	0.00	₹ 2,23.06 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,23.06				
2405-00.789.62- नई योजना-नील क्रांति योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,00.00	3,97.72	3,97.72	0.00	₹ 2,02.28 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,02.28				

(2) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.796.52- मत्स्य अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

पूँजी :

- (3) ₹ 20,18.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 4,80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,18.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 20,18.69 लाख) से ₹ 12,00.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

(5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.64- पोषित तालाबों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	2,32.80	2,32.80	0.00	₹ 1,57.20 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.20				
4405-00.789.64- पोषित तालाबों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	71.55	71.55	0.00	₹ 78.45 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.45				
4405-00.796.64- पोषित तालाबों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	2,73.17	2,73.17	0.00	₹ 76.83 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.83				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - स्ट्रीम 1, 2 तथा एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - स्ट्रीम 1, 2 तथा एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-53 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.59- मत्स्य तालाबों का सुधार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - स्ट्रीम 1, 2 तथा एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,20.00	4,20.00	0.00	(-)4,20.00	₹ 4,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - स्ट्रीम 1, 2 तथा एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,80.00	2,80.00	0.00	(-)2,80.00	₹ 2,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4405-00.796.59- मत्स्य तालाबों का सुधार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,80.00				
	पुनर्वि.	(-)2,80.00				

अनुदान संख्या 54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2404- डेयरी विकास, 4404- डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,07,73,79	3,08,97,54	1,75,46,89	(-)1,33,50,65
अनुपूरक	1,23,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,32,24,17

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,10,00	17,10,00	11,04,60	(-)6,05,40
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

6,05,40

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,33,50.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 0.50 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 65.76 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 57.49 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,23.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,32,24.17 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,33,50.65 लाख) से ₹ 1,26.48 लाख कम था।

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2404-00.102.68- दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन (राज्य स्कीम) तथा 2404-00.796.68- दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹ 1,40.00 लाख तथा ₹ 2,08.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 41,50.00 लाख तथा ₹ 30,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.001.02- क्षेत्रीय तथा जिला प्रशासन एवं प्रसार (स्थापना व्यय)	मूल	2,38.00	1,49.26	1,26.29	(-)22.97	₹ 1,11.71 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.74				
2404-00.001.05- मुख्यालय स्थापना तथा डेयरी सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (स्थापना व्यय)	मूल	1,90.03	1,83.20	1,82.67	(-)0.53	₹ 37.36 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)36.83				
2404-00.102.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	43,00.00	10,18.06	10,18.06	0.00	₹ 32,81.94 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,81.94				
2404-00.102.10- विस्तृत इकाइयाँ (स्थापना व्यय)	मूल	7,23.50	7,19.52	6,99.69	(-)19.83	₹ 99.33 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	75.52				
	पुनर्वि.	(-)79.50				
2404-00.102.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	5,88.66	3,80.14	3,70.33	(-)9.81	₹ 2,18.33 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,08.52				
2404-00.102.67- परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	15.73	15.73	0.00	₹ 34.27 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.27				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.69- पशु आहार एवं चारा विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	20.53	14.53	(-)6.00	₹ 2,85.47 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,79.47				
2404-00.102.79- कामधेनु डेयरी फार्मिंग (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	45.00	45.00	0.00	₹ 2,55.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.00				
2404-00.789.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	2,33.83	2,33.83	0.00	₹ 7,66.17 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,66.17				
2404-00.789.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,84.15	85.93	80.86	(-)5.07	₹ 1,03.29 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.22				
2404-00.789.69- पशु आहार एवं चारा विकास (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	0.27	0.27	0.00	₹ 64.73 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.73				
2404-00.796.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	4,69.88	4,69.88	0.00	₹ 15,30.12 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,30.12				
2404-00.796.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	5,66.49	3,17.88	3,03.46	(-)14.42	₹ 2,63.03 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,48.61				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2404-00.796.69- पशु आहार एवं चारा विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,35.00	32.92	32.92	0.00	₹ 1,02.08 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.08				
2404-00.796.79- कामधेनु डेयरी फार्मिंग (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	30.00	30.00	0.00	₹ 1,70.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2404-00.102.70- हयफर रियरिंग कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	5,90.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,90.00				
2404-00.102.71- कैटल हॉस्टल (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2404-00.102.72- प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,56.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,56.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,56.00				
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,04.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,04.00				
2404-00.796.71- कैटल हॉस्टल (राज्य स्कीम)	मूल	54.00	0.00	0.00	0.00	₹ 54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.00				
2404-00.102.75- बोविन ब्रीडिंग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2404-00.102.76- डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.76- डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2404-00.102.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
2404-00.102.78- मोबाइल वेट् केयर (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2404-00.102.79- कामधेनु डेयरी फार्मिंग (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	45.00	0.00	(-)45.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.00				
2404-00.789.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	2,33.83	0.00	(-)2,33.83	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,66.17				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.70- हयफर रियरिंग कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.00				
2404-00.789.71- कैटल हॉस्टल (राज्य स्कीम)	मूल	26.00	0.00	0.00	0.00	₹ 26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.00				
2404-00.789.72- प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	39.00	0.00	0.00	0.00	₹ 39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.00				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,63.80	0.00	0.00	0.00	₹ 1,63.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,63.80				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,09.20	0.00	0.00	0.00	₹ 1,09.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09.20				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.78- मोबाइल वेट् केयर (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2404-00.796.70- हीफर रियरिंग कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,70.00				
2404-00.796.71- कैटल हॉस्टल (राज्य स्कीम)	मूल	54.00	0.00	0.00	0.00	₹ 54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.00				
2404-00.796.72- प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	81.00	0.00	0.00	0.00	₹ 81.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.00				
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,40.20	0.00	0.00	0.00	₹ 3,40.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,40.20				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,26.80	0.00	0.00	0.00	₹ 2,26.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,26.80				
2404-00.796.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,46.40	0.00	0.00	0.00	₹ 1,46.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.40				
2404-00.796.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	97.60	0.00	0.00	0.00	₹ 97.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.60				
2404-00.796.75- बोविन ब्रीडिंग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.से. स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2404-00.796.78- मोबाइल वेट् केयर (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमांत

पूँजी :

(5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4404-00.102.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	8,90.00	5,54.58	5,54.58	0.00	₹ 3,35.42 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,35.42				
4404-00.789.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	53.87	53.87	0.00	₹ 1,46.13 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.13				
4404-00.796.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	3,10.00	1,96.15	1,96.15	0.00	₹ 1,13.85 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,13.85				

अनुदान संख्या 55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,26,85,33	13,03,81,70	11,39,52,53	(-)1,64,29,17
अनुपूरक	76,96,37			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,63,46,17

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,94,16,00	16,71,44,50	15,98,28,02	(-)73,16,48
अनुपूरक	77,28,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

39,58,33

टीका एवं टिप्पणियाँ :-

राजस्व :

- (1) ₹ 1,64,29.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 75,48.97 लाख) तथा दिसम्बर 2017 (₹ 1,47.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 76,96.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनवश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,63,46.17 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,64,29.17 लाख) से ₹ 83.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या-55 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2515-00.102.41-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान (के. प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) तथा 2515-00.102.41- प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) के अन्तर्गत ₹ 38,54.76 लाख तथा ₹ 37,98.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 6,00,00.00 लाख तथा ₹ 4,00,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.702.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	9,32.41	9,32.41	0.00	₹ 2,67.59 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,67.59				
2505-01.796.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	8,75.63	8,75.63	0.00	₹ 4,24.37 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,24.37				
2515-00.001.28- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) गैर पी.एम. जी.एस.वाई. सड़क हेतु (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,00.00	1,21,95.19	1,21,95.19	0.00	₹ 78,04.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	75,00.00				
	पुनर्वि.	(-)78,04.81				
2515-00.102.08- अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ख)- ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	4,60.00	3,84.52	3,84.52	0.00	₹ 75.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.48				
3451-00.090.16- ग्रामीण कार्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,95.74	2,29.03	2,29.03	0.00	₹ 30.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	65.35				
	पुनर्वि.	(-)30.06				

अनुदान संख्या-55 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.003.50- राज्य प्रशिक्षण नीति अन्तर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	₹ 35.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.796.50- राज्य प्रशिक्षण नीति अन्तर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	48.00	48.00	0.00	(-)48.00	₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 73,16.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2017 (₹ 2,05.00 लाख) तथा जनवरी 2018 (₹ 75,23.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 77,28.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹39,58.33 लाख), अंतिम बचत (₹73,16.48 लाख) से ₹ 33,58.15 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4515-00.103.10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम), 4515-00.796.04-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम), 4515-00.796.07-मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ग्राम विकास) (राज्य स्कीम) तथा 4515-00.796.10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 8,06.12 लाख, ₹ 2,57.56 लाख, ₹ 2,29.58 लाख तथा ₹ 1,38.22 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 2,43,00.00 लाख, ₹ 5,66,02.00 लाख, ₹ 32,34.00 लाख एवं ₹ 1,92,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.103.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	24,50.00	17,91.40	17,85.90	(-)5.50	₹ 6,74.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	10.50				
	पुनर्वि.	(-)6,69.10				

अनुदान संख्या-55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.789.04- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,12,50.00	68,67.01	41,67.66	(-)26,99.35	₹ 15,82.99 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 28,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा ₹ 26,99.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43,82.99				
4515-00.796.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	40,00.00	0.00	(-)40,00.00	₹ 40,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.103.14- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत डी.पी.आर. का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-55 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.103.15- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	3.66	0.00	(-)3.66	₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.34				
4515-00.796.14- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत डी.पी.आर. का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
4515-00.796.15- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या 56- ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2015 -निर्वाचन, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,47,21,99	18,01,86,79	15,74,94,69	(-)2,26,92,10
अनुपूरक	1,54,64,80			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,25,31,69

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,00,00	6,00,00	3,51,34	2,48,66
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

73,93

(मार्च 2018)

टीका एवं टिप्पणीयाँ

राजस्व:

- (1) ₹ 2,26,92.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 32,34.27 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 3,48.33 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,18,82.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,54,64.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,25,31.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,26,92.10 लाख) से ₹ 1,60.41 लाख कम था।

अनुदान संख्या-56 क्रमशः

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2015-00.109.01- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना व्यय)	मूल	2,60.69	2,73.35	2,73.35	0.00	₹ 49.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	62.50				
	पुनर्वि.	(-)49.84				
2515-00.001.03- जिला पंचायत स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,56,99.63	1,39,48.63	1,39,50.46	+ 0.83	₹ 20,95.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3,45.96				
	पुनर्वि.	(-)20,95.96				
2515-00.001.06- जिला पंचायत स्थापना-दलपतियों से संबंधित व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	85.20	45.28	45.28	0.00	₹ 39.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.92				
2515-00.001.14- पंचायत मुख्यालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	97.81	93.44	93.44	0.00	₹ 25.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	21.01				
	पुनर्वि.	(-)25.38				
2515-00.001.54- पंचायत सचिवालय/ राज्य पंचायत स्वयं शासित परिषद् स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	16,91.32	15,21.57	(-)1,69.75	₹ 22,78.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	30,00.00				
	पुनर्वि.	(-)21,08.68				
2515-00.003.01- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (स्थापना व्यय)	मूल	3,01.72	2,82.34	2,82.34	0.00	₹ 36.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	17.20				
	पुनर्वि.	(-)36.58				

अनुदान संख्या-56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.101.04- पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	43,00.00	28,69.89	28,69.89	0.00	₹ 14,30.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,30.11				
2515-00.102.18- पंचायत भवनों का निर्माण/अनुरक्षण/ परिवर्तन/सुसज्जीकरण आदि (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	24,00.00	20,61.72	(-)3,38.28	₹ 3,38.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.198.45- 14वीं वित्त आयोग के अनुशंसा पर सामान्य प्रदर्शन (के.प्र.यो.)	मूल	1,34,18.00	1,06,71.30	1,06,71.30	0.00	₹ 1,46,03.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,18,57.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46,03.70				
2515-00.789.18- पंचायत भवनों का निर्माण/ अनुरक्षण/परिवर्तन/ सुसज्जीकरण आदि (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	9,24.65	9,24.65	0.00	₹ 1,75.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.35				
2515-00.796.18- पंचायत भवनों का निर्माण/ अनुरक्षण/परिवर्तन/ सुसज्जीकरण आदि (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	29,92.19	29,92.19	0.00	₹ 5,07.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,07.81				

अनुदान संख्या-56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.20- क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	4,95.00	2,91.68	2,91.68	0.00	₹ 2,03.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.32				
2515-00.796.25- मुख्यालय के कार्यालयों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	2.20	2.20	0.00	₹ 47.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.80				
2515-00.796.26- प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	77.00	20.55	20.55	0.00	₹56.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.45				
3451-00.090.17- पंचायती राज एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) (राज्य स्कीम)	मूल	3,39.14	1,29.32	1,29.32	0.00	₹2,10.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.13				
	पुनर्वि.	(-)2,10.95				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.05- पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3.00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-56 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	वित्त विभाग के सुझाव पर ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2515-00.101.06- पंचायत भवनों का रखरखाव (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

पूँजी :

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 73.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,48.66 लाख) से ₹ 1,74.73 लाख कम था।
- (6) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6515-00.197.01- जिला तथा स्थानीय निधि समितियों को उधार (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,26.07	3,51.34	(-)1,74.73	₹ 2,48.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 73.93				

**अनुदान संख्या 57- नगर विकास एवं आवास विभाग
(आवास प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष-2216- आवास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 6216-आवास के लिए उधार)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,00,59	9,22,09	4,62,47	(-)4,59,62
अनुपूरक	21,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,14

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	42,00,00	42,00,00	2,00,00	(-)40,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 4,59.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 21.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,59.62 लाख) से ₹ 4,54.48 लाख कम था।

अनुदान संख्या-57 क्रमशः

(3) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2216-02.796.08- पी.एम.यू. एवं परामर्शी शुल्क हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	6,00.00	1,77.53	(-)4,22.47	₹ 4,22.47 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2216-02.796.06- भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	13.20	13.20	0.00	(-)13.20	₹ 13.20 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2216-02.796.07- ई-गवर्नेंस-आवास बोर्ड का कम्प्यूटीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-57 क्रमांत

पूँजी :

- (5) बचत के किसी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
 (6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6216-02.201.05- अधिग्रहित भूमि के विकास एवं एच.आई.जी/एम.आई. जी/एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट के निर्माण हेतु कर्ज (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6216-02.796.05- अधिग्रहित भूमि के विकास एवं एच.आई.जी/एम.आई. जी./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट के निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,31,01,37	17,47,34,66	11,56,72,06	(-)5,90,62,60
अनुपूरक	16,33,29			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,47,69,29

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,00,00	23,00,00	42,92	(-)22,57,08
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

18,08,38

टीका एवं टिप्पणीयाँ

राजस्व :

- (1) ₹ 5,90,62.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 1,28.29 लाख) एवं दिसम्बर 2017 (₹ 15,05.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,33.29 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,47,69.29 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,90,62.60 लाख) से ₹ 3,42,93.31 लाख कम था।

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2202-03.103.01- इंटरमीडिएट शिक्षा + 2 व्यावसायिक शिक्षा साहित (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹2,21.80 लाख की कुल बचत, जो ₹ 1,14,31.82 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.001.01- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,39.64	1,99.51	1,99.51	0.00	₹ 26.42 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 18.71 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)45.13				
2202-02.101.01- निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	2,88.35	2,38.35	2,38.32	(-)0.03	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2202-02.101.02- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	18,48.09	15,09.34	15,11.71	+2.37	₹ 3,37.30 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.92				
	पुनर्वि.	(-)3,39.67				
2202-02.109.01- माध्यमिक विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	5,87,50.17	5,56,77.19	3,20,75.79	(-)2,36,01.40	₹ 2,62,97.95 लाख की कुल बचत एवं ₹ 3,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	3.57				
	पुनर्वि.	(-)30,76.55				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.109.03- इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग (स्थापना व्यय)	मूल	4,49.50	4,37.02	4,37.02	0.00	₹ 1,36.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,23.80				
	पुनर्वि.	(-)1,36.28				
2202-02.109.08- विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत निर्धनता-सह मेधा छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	33.90	33.90	0.00	₹ 41.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.10				
2202-02.109.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	61,00.00	46,69.90	3,66.90	(-)43,03.00	₹ 57,33.10 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,30.10				
2202-02.109.57- प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	88.41	20.91	(-)67.50	₹ 79.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11.59				
2202-02.109.61- कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (राज्य स्कीम)	मूल	2,64.00	1,87.93	55.93	(-)1,32.00	₹ 2,08.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.07				
2202-02.110.03- माध्यमिक, बहुदेशीय तथा अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,23,37.12	1,12,59.72	1,08,76.45	(-)3,83.27	₹ 14,60.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,77.40				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	50.94	5.94	(-)45.00	₹ 79.06 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.06				
2202-02.789.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (कें. प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	20,75.00	15,84.00	4,03.19	(-)11,80.81	₹ 16,71.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,91.00				
2202-02.789.45- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्राओं के छात्रावास का निर्माण (कें. प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,35.00	6,63.78	6,63.78	0.00	₹ 1,71.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,71.22				
2202-02.789.61- कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (राज्य स्कीम)	मूल	1,22.00	1,00.01	28.01	(-)72.00	₹ 93.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.99				
2202-02.789.62- छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,65.00	5,69.05	2,19.05	(-)3,50.00	₹ 5,45.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,95.95				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.796.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (केंद्रांश-75 : राज्यांश-25) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40,25.00	30,72.21	2,30.86	(-)28,41.35	₹ 37,94.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,52.79				
2202-02.796.45- बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केंद्रांश-90: राज्यांश-10) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,22.00	12,99.34	12,99.34	0.00	₹ 3,22.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,22.66				
2202-02.796.57- प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार (राज्य स्कीम)	मूल	66.00	44.96	14.96	(-)30.00	₹ 51.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.04				
2202-02.796.61- कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (राज्य स्कीम)	मूल	1,90.00	99.11	90.11	(-)9.00	₹ 99.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.89				
2202-03.103.04- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,82.83	2,18.65	2,18.65	0.00	₹ 1,64.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.18				
2202-05.103.04- राजकीय संस्कृत विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,98.72	1,34.21	1,34.21	0.00	₹ 64.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.51				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-05.103.05- गैर-सरकारी संस्कृत स्कूल (स्थापना व्यय)	मूल	4,07.59	2,24.41	2,22.14	(-)2.27	₹ 1,85.45 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,83.18				
2202-05.200.04- गैर-सरकारी मदरसा (स्थापना व्यय)	मूल	49,81.58	4,36.39	3,82.49	(-)53.90	₹45,99.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45,45.19				

(4) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.109.02- राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (कें.से.स्कीम)	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				
2202-02.109.18- झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.23- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत वित्त रहित विद्यालयों के लिए सहायक अनुदान (इंटर विद्यालय सहित) (राज्य योजना)	मूल	42,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 42,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42,50.00				
2202-02.109.59- जे.सी.ई.आर.टी. की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.60- आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत झारखंड क्षेत्र में कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,58.00	0.00	0.00	0.00	₹5,58.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,58.00				
2202-02.109.60- आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत झारखंड क्षेत्र में कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,72.00	0.00	0.00	0.00	₹3,72.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,72.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.23- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत वित्त रहित विद्यालयों के लिए सहायक अनुदान (इंटर विद्यालय सहित) (राज्य योजना)	मूल	14,50.00	0.00	0.00	0.00	₹14,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,50.00				
2202-02.789.51- नेतरहाट विद्यालय समिति को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹2,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.60- झारखंड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,90.00	0.00	0.00	0.00	₹1,90.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.00				
2202-02.789.60- झारखंड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,26.00	0.00	0.00	0.00	₹1,26.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.00				
2202-02.796.02- राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	37.00	0.00	0.00	0.00	₹37.00 लाख के केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.03- राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	7,50.00	0.00	(-)7,50.00	₹7,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.23- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत वित्त रहित विद्यालयों के लिए सहायक अनुदान (इंटर विद्यालय सहित) (राज्य योजना)	मूल	28,00.00	0.00	0.00	0.00	₹28,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,00.00				
2202-02.796.60- झारखंड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,68.00	0.00	0.00	0.00	₹3,68.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,68.00				
2202-02.796.60- झारखंड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,46.00	0.00	0.00	0.00	₹2,46.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,46.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.800.04- सैनिक स्कूल तिलैया (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	42.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹42.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12.00				

पूँजी :

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 18,08.38 लाख), अंतिम बचत (₹ 22,57.08 लाख) से ₹ 4,48.70 लाख कम था।
(6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-01.202.46- इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	20.24	20.24	0.00	₹5,79.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,79.76				
4202-01.789.46- इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	22.68	22.68	0.00	₹11,77.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,77.32				

अनुदान संख्या-58 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-01.202.47- राज्य में बी.एड. कॉलेजों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹2,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4202-01.789.47- राज्य में बी.एड. कॉलेजों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹85.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4202-01.796.47- राज्य में बी.एड. कॉलेजों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,65.00	1,13.70	0.00	(-)1,13.70	₹1,65.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.30				

**अनुदान संख्या 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	68,12,30,07	70,32,02,82	53,27,95,09	(-)17,04,07,73
अनुपूरक	2,19,72,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

7,06,18,53

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,00,00	25,00,00	0,00	(-)25,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(1) ₹ 17,04,07.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2017 (₹ 1,12.55 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 1,18,60.20 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 1,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,19,72.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनाश्वयक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,06,18.53 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,04,07.73 लाख) से ₹ 9,97,89.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2202-01.101.01- राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 16,40.44 लाख की बचत, जो ₹ 30,62,50.56 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.001.01- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,49.73	1,81.04	1,81.94	+ 0.90	₹ 80.89 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	12.20				
	पुनर्वि.	(-)80.89				
2202-01.101.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (स्थापना व्यय)	मूल	11,20.00	11,16.70	8,96.57	(-)2,20.13	₹ 2,23.43 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3.30				
2202-01.101.21- राजकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय हेतु शिक्षक पुरस्कार (राज्य स्कीम)	मूल	36.00	2.55	2.55	0.00	₹ 33.45 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.45				
2202-01.101.45- बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	70,00.00	70,00.00	57,44.97	(-)12,55.03	₹ 12,55.03 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.101.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	17,40.00	29,41.62	29,40.80	(-)0.82	₹ 3,99.20 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	16,00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,98.38				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.47- वयस्क/अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	20.06	0.82	(-)19.24	₹ 34.18 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	35.00				
	पुनर्वि.	(-)14.94				
2202-01.101.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,80.00	5,69.04	5,69.04	0.00	₹ 3,10.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,10.96				
2202-01.101.52- झारखण्ड बालिका आवासीय योजना हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	60,00.00	8,27.27	(-)51,72.73	₹ 51,72.73 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.101.54- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्षमता में वृद्धि हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,52.00	7,52.00	3,94.40	(-)3,57.60	₹ 3,57.60 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.102.02- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	1,81,08.78	1,55,28.15	1,55,28.15	0.00	₹ 25,80.63 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,80.63				
2202-01.104.01- निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	63,06.80	53,40.25	53,38.94	(-)1.31	₹ 9,68.51 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.65				
	पुनर्वि.	(-)9,67.20				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,08,80.00	4,11,65.19	3,36,96.60	(-)74,58.59	₹ 1,71,73.40 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97,14.81				
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,56,00.00	2,49,00.00	2,08,00.00	(-)41,00.00	₹ 7,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 41,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,20,00.00	2,07,56.08	1,68,35.04	(-)39,21.04	₹ 51,64.96 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,43.92				
2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	96,00.00	83,33.49	73,37.97	(-)9,99.52	₹ 22,66.03 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,66.51				
2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72,00.00	62,43.91	44,64.95	(-)17,78.96	₹ 27,35.05 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,56.09				
2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	40,80.00	35,20.58	30,40.59	(-)4,79.99	₹ 10,39.42 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,59.43				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक (राज्य स्कीम)	मूल	4,76.00	4,74.60	3,81.04	(-)93.56	₹ 94.96 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.40				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,15,20.00	86,64.01	86,84.01	0.00	₹ 28,35.99 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,35.99				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,08,80.00	1,05,80.00	54,40.00	(-)51,40.00	₹ 54,40.00 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202-01.789.45- बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	29,75.00	29,75.00	24,41.61	(-)5,33.39	₹ 5,33.39 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	3,60.00	5,32.84	5,32.84	0.00	₹ 77.16 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-) 77.16				
2202-01.789.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,74.00	92.32	92.32	0.00	₹ 2,81.68 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.68				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.52- झारखण्ड बालिका आवासीय योजना हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	25,50.00	25,50.00	3,51.59	(-)21,98.41	₹ 21,98.41 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.54- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्षमता में वृद्धि हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,19.60	3,19.60	1,67.62	(-)1,51.98	₹ 1,51.98 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,08,00.00	1,04,32.66	86,32.66	(-)18,00.00	₹ 21,67.34 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,67.34				
2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,02,45.61	84,25.51	79,05.02	(-)5,20.49	₹ 23,40.59 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,20.10				
2202-01.796.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक (राज्य स्कीम)	मूल	12,04.00	12,00.46	9,63.81	(-)2,36.65	₹ 2,40.19 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3.54				
2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,36,00.00	2,57,96.52	1,66,03.93	(-)91,92.59	₹ 1,69,96.07 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78,03.48				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,75,20.00	2,65,20.00	1,37,60.00	(-)1,27,60.00	₹ 1,37,60.00 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2202-01.796.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,16.00	36.18	36.18	0.00	₹ 4,79.82 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,79.82				
2202-01.796.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,44.00	24.12	24.12	0.00	₹ 3,19.88 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,19.88				
2202-01.796.45- बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	75,25.00	75,25.00	61,75.85	(-) 13,49.15	₹ 13,49.15 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	6,60.21	6,60.21	0.00	₹ 2,39.79 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.79				
2202-01.796.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,46.00	8,26.06	8,26.06	0.00	₹ 1,19.94 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,19.94				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.52- झारखण्ड बालिका आवासीय योजना हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	64,50.00	64,50.00	8,89.31	(-)55,60.69	₹ 55,60.69 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.54- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्षमता में वृद्धि हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	8,08.40	8,08.40	4,23.98	(-)3,84.42	₹ 3,84.42 लाख के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.53- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्षमता में वृद्धि हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2202-01.101.57- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,20,74.39	1,20,74.39	0.00	(-)1,20,74.39	₹2,20,74.39 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,00.00				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.59- ज्ञानोदय स्कीम (प्राथमिक शिक्षा) (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹42,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	40,00.00				
	पुनर्वि.	(-)42,00.00				
2202-01.102.34- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,97.97	0.00	(-)2,97.97	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.03				
2202-01.107.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,80.00	0.00	0.00	0.00	₹4,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.00				
2202-01.107.42- डायट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.00				
2202-01.789.34- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	1,26.64	0.00	(-)1,26.64	₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.36				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.42- डायट (के.से. स्कीम)	मूल	2,04.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,04.00				
2202-01.789.42- डायट (राज्य स्कीम)	मूल	1,36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.00				
2202-01.789.53- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्षमता में वृद्धि हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.00				
2202-01.789.57- प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई. पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	93,50.00	59,50.00	0.00	(-)59,50.00	₹ 93,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,00.00				
2202-01.789.59- ज्ञानोदय स्कीम (प्राथमिक शिक्षा) (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	0.00	0.00	0.00	₹ 17,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	17,00.00				
	पुनर्वि.	(-)17,85.00				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.34- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	4,30.00	3,20.32	0.00	(-)3,20.32	₹ 4,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09.68				
2202-01.796.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	64.50	0.00	0.00	0.00	₹ 64.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.50				
2202-01.796.47- वयस्क/अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2202-01.796.53- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्षमता में वृद्धि हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,30.00				
2202-01.796.57- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,36,50.00	1,50,50.00	0.00	(-)1,50,50.00	₹ 2,36,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86,00.00				

अनुदान संख्या-59 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.59- ज्ञानोदय स्कीम (प्राथमिक शिक्षा) (राज्य स्कीम)	मूल	2,15.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45,15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	43,00.00				
	पुनर्वि.	(-)45.15.00				

पूँजी :

- (5) बचत के किसी भाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।
- (6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-00.201.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 10,00.00				
4202-00.789.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.00				
4202-00.796.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,75.00				

अनुदान संख्या 60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,10,33,01	33,42,46,47	25,23,16,38	(-)8,19,30,09
अनुपूरक	32,13,46			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,71,30,56

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	64,00,00	64,00,00	16,52,84	(-)47,47,16
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 8,19,30.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2017 (₹ 10,51.39 लाख), दिसम्बर 2017 (₹ 18,28.22 लाख) एवं जनवरी 2018 (₹ 3,33.85 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,13.46 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,71,30.56 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,19,30.09 लाख) से ₹ 2,47,99.53 लाख कम था।

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2235-03.101.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.101.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2235-03.101.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम), 2235-03.796.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2235-03.796.11- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.796.13-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम) एवं 2235-02.101.02-परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) के अंतर्गत ₹ 6,14.56 लाख, ₹12,34.08 लाख, ₹9,08.62 लाख, ₹8,05.43 लाख, ₹17,11.51 लाख, ₹ 5,16.76 लाख एवं ₹ 12,67.71 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 95,10.00 लाख, ₹ 1,90,20.00 लाख, ₹ 94,18.00 लाख, ₹ 99,69.00 लाख, ₹ 1,99,38.00 लाख, ₹ 93,45.00 लाख एवं ₹ 1,47,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.001.01- निदेशन और प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	2,19.02	2,34.98	1,37.46	(-)97.52	₹ 97.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	15.96				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.101.02- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,64.00	14.12	14.12	0.00	₹ 1,49.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49.88				
2235-02.101.18- स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	72,80.00	63,39.65	63,39.65	0.00	₹ 9,40.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,40.35				
2235-02.101.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,60.69	1,60.69	0.00	₹ 39.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.31				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,21.00	55.77	55.77	0.00	₹ 2,65.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.23				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्र.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,14.00	37.41	37.41	0.00	₹ 1,76.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.59				
2235-02.102.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.प्र.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50.00	1,06.04	1,06.04	0.00	₹ 43.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.96				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्र. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,15,00.00	1,08,85.22	93,75.42	(-)15,09.80	₹ 22,26.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,01.82				
	पुनर्वि.	(-)7,16.60				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्र. स्कीम-राज्यांश)	मूल	77,00.00	67,43.19	57,23.86	(-)10,19.33	₹ 20,44.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	67.88				
	पुनर्वि.	(-)10,24.69				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,97.00	1,79.35	35.35	(-)1,44.00	₹ 2,61.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.65				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,98.00	1,16.58	20.58	(-)96.00	₹ 1,77.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.42				
2235-02.102.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,14.00	6,35.60	6,29.22	(-)6.38	₹ 3,84.78 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,78.40				
2235-02.102.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,38.00	57.30	56.98	(-)0.32	₹ 80.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.70				
2235-02.102.97- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (राज्य स्कीम)	मूल	70,00.00	48,07.67	48,07.67	0.00	₹ 21,92.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,92.33				
2235-02.103.29- डायन प्रथा का उन्मूलन (राज्य स्कीम)	मूल	1,92.00	98.34	98.34	0.00	₹ 93.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.66				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	13,59.00	13,59.00	0.00	₹ 6,41.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,41.00				
2235-02.103.74- अनुश्रवण कोषांग का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	17.30	17.30	0.00	₹ 1,32.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.70				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,85.00	6,24.92	6,24.92	0.00	₹ 3,60.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.08				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,25.00	5,29.67	5,29.67	0.00	₹ 1,95.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,95.33				
2235-02.103.A0- तेजस्विनी योजना (किशोरी बालिकाओं, युवा महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	19,00.00	19,00.00	15,63.00	(-)3,37.00	₹ 3,37.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	5.07	5.07	0.00	₹ 75.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	80.85				
	पुनर्वि.	(-)75.78				
2235-02.103.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	2,23.53	2,23.53	0.00	₹ 6,11.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	8,35.28				
	पुनर्वि.	(-)6,11.75				
2235-02.106.39- प्रतिप्रेक्षण गृह (स्थापना व्यय)	मूल	85.16	92.69	72.53	(-)20.16	₹ 85.16 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य आकस्मिकता निधि से स्थापना हेतु निधि की मांग किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 20.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	92.69				
	पुनर्वि.	(-)85.16				
2235-02.106.A4- विभिन्न स्कूलो/ पुनर्वास केंद्रों छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	6,00.30	1,50.30	(-)4,50.00	₹ 5,49.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.70				
2235-02.789.18- स्वामी विवेकानंद निःशुल्क सवावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,12.00	11,42.77	11,42.77	0.00	₹ 3,69.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,69.23				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.789.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	2,91.30	2,91.30	0.00	₹ 3,08.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,08.70				
2235-02.789.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	2,09.18	61.17	(-)1,48.01	₹ 1,48.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	2,09.18				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.02- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,92.00	15.70	15.70	0.00	₹ 1,76.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.30				
2235-02.796.29- डायन प्रथा का उन्मूलन (राज्य स्कीम)	मूल	2,08.00	1,50.22	1,50.22	0.00	₹ 57.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.78				
2235-02.796.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	20,16.00	20,16.00	0.00	₹ 3,84.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,84.00				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,48.00	63.06	63.06	0.00	₹ 2,84.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,84.94				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,32.00	39.97	39.97	0.00	₹ 1,92.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,92.03				
2235-02.796.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,62.00	1,26.93	1,26.93	0.00	₹ 35.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.07				
2235-02.796.49- प्रचार शिक्षा एवं प्रसार (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,08.00	72.69	72.69	0.00	₹ 35.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.31				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,25,00.00	1,15,16.69	1,00,38.58	(-)14,78.11	₹ 25,71.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,10.31				
	पुनर्वि.	(-)10,93.62				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	83,00.00	74,44.05	64,40.42	(-)10,03.63	₹ 19,33.11 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	73.53				
	पुनर्वि.	(-)9,29.48				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,21.00	2,66.90	1,11.11	(-)1,55.79	₹ 2,09.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.10				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,14.00	1,48.16	44.31	(-)1,03.85	₹ 1,69.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.84				
2235.-02.796.74- अनुश्रवण कोषांग की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	78.14	78.14	0.00	₹ 1,21.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,21.86				
2235-02.796.75- आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,65.00	1,34.79	1,34.79	0.00	₹ 30.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.21				
2235-02.796.85 - समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,10.00	11,60.58	9,90.61	(-)1,69.97	₹ 4,19.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,49.42				
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,15.00	7,20.51	7,20.51	0.00	₹ 2,94.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,94.49				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना-IV (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,98.00	8,30.17	8,30.17	0.00	₹ 2,67.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,67.83				
2235-02.796.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना-IV (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,50.00	70.46	70.46	0.00	₹ 79.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.54				
2235.-02.796.97- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (राज्य स्कीम)	मूल	70,00.00	48,64.06	48,64.06	0.00	₹ 21,35.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,35.94				
2235-02.796.98- आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	61.44	61.44	0.00	₹ 68.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.56				
2235-02.796.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों छात्रावासों, गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर कर आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	6,82.59	1,32.97	(-)5,49.62	₹ 6,67.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.41				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	2,05.43	2,05.43	0.00	₹ 34.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.57				
2235-02.796.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	4,40.00	3,59.83	3,59.83	0.00	₹ 80.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.17				
2235-02.796.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45.50	15.16	15.16	0.00	₹ 30.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.34				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	7.92	7.94	+ 0.02	₹ 1,10.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1,18.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,10.08				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	2,62.59	2,62.59	0.00	₹ 7,30.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	9,93.54				
	पुनर्वि.	(-)7,30.95				
2235-03.101.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,28.00	11,61.06	11,61.06	0.00	₹ 1,66.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.94				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.101.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,31.00	4,64.37	4,64.37	0.00	₹ 66.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.63				
2235-03.101.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,45.00	3,82.70	3,82.70	0.00	₹ 62.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.30				
2235-03.101.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,45.00	3,82.70	3,82.70	0.00	₹ 62.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.30				
2235-03.101.16- आदिम जनजाति समुहों के लिए पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,64.00	6,52.84	6,52.84	0.00	₹ 2,11.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,11.16				
2235-03.101.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	41,76.00	33,96.98	33,96.98	0.00	₹ 7,79.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,79.02				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.102.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,00.00	3,48.80	3,48.80	0.00	₹ 4,51.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,51.20				
2235-03.789.11- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	61,90.00	55,60.67	55,60.67	0.00	₹ 6,29.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,29.33				
2235-03.789.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,94.00	3,76.22	3,76.22	0.00	₹ 1,17.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.78				
2235-03.789.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,98.00	1,49.46	1,49.46	0.00	₹ 48.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.54				
2235-03.789.19- राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	2,13.10	2,13.10	0.00	₹ 86.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.90				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.789.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,84.00	12,53.18	12,53.18	0.00	₹ 3,30.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,30.82				
2235-03.796.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,67.00	10,33.07	10,33.07	0.00	₹ 2,33.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.93				
2235-03.796.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,07.00	4,13.23	4,13.23	0.00	₹ 93.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.77				
2235-03.796.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,53.00	2,58.46	2,58.46	0.00	₹ 94.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.54				
2235-03.796.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,53.00	2,53.24	2,53.24	0.00	₹ 99.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.76				
2235-03.796.16- आदिम जनजाति समुहों के लिए पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	23,76.00	20,50.18	20,50.18	0.00	₹ 3,25.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,25.82				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.796.19- राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (कार्यान्वित करनेवाले अभिकरण को सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,00.00	6,04.30	6,04.30	0.00	₹ 2,95.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,95.70				
2235-03.796.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50,40.00	41,33.61	41,33.61	0.00	₹ 9,06.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,06.39				
2235-03.796.21- एच.आई.वी./ एड्स से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,21.00	1,11.44	36.44	(-)75.00	₹ 84.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9.56				
2235-60.102.10- वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	11,32.90	8,19.12	7,69.12	(-)50.00	₹ 3,65.28 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	1.50				
	पुनर्वि.	(-)3,15.28				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,47,60.00	1,22,94.44	1,22,90.69	(-)3.75	₹ 24,69.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,65.56				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.101.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	13,39.00	7,72.37	2,44.36	(-)5,28.01	₹ 10,94.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,66.63				
2236-02.101.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,39.00	6,79.49	2,01.99	(-)4,77.50	₹ 11,37.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,59.51				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	39,60.00	28,52.99	28,52.49	(-)0.50	₹ 11,07.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,07.01				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	39,60.00	34,50.90	34,43.32	(-)7.58	₹ 5,16.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,09.10				
2236-02.789.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नवीन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,59.00	1,44.58	34.58	(-)1,10.00	₹ 3,24.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,14.42				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.789.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नवीन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,59.00	1,38.16	28.16	(-)1,10.00	₹ 3,30.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.84				
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,72,80.00	1,03,10.88	1,03,10.88	0.00	₹ 69,69.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69,69.12				
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,72,80.00	82,17.54	82,17.54	0.00	₹ 90,62.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90,62.46				
2236-02.796.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	15,68.00	8,27.42	2,67.57	(-)5,59.85	₹ 13,00.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,40.58				
2236-02.796.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	15,68.00	7,22.34	1,74.84	(-)5,47.50	₹ 13,93.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,45.66				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.AE- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	96.00	96.00	0.00	(-)96.00	₹96.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.102.47- दवा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,07.00	0.00	0.00	0.00	₹1,07.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.00				
2235-02.102.47- दवा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2235-02.102.AC- राजीव गाँधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (के.से.स्कीम)	मूल	1,92.00	1,92.00	0.00	(-)1,92.00	₹ 1,92.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.64- स्वधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46.00	0.00	0.00	0.00	₹46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.64- स्वधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2235-02.103.A2- वन स्टॉप सेन्टर (के.से.स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.A9- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू) के अन्तर्गत ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा (बी.सी.एफ. एस.) का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46.50	0.00	0.00	0.00	₹ 46.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.50				
2235-02.103.A9- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू) के अन्तर्गत ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा (बी.सी.एफ.एस.) का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	31.00	0.00	0.00	0.00	₹ 31.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.AB- उज्जवला योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45.50	0.00	0.00	0.00	₹ 45.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.50				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	35,08.00	35,08.00	0.00	(-)35,08.00	₹ 35,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	23,39.00	23,39.00	0.00	(-)23,39.00	₹ 23,39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.106.96- आई.सी.डी.एस. सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.789.02- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	44.00	0.00	0.00	0.00	₹44.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.789.57- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.47- दवा किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,16.00	0.00	0.00	0.00	₹1,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.00				
2235-02.796.47- दवा किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	77.00	0.00	0.00	0.00	₹ 77.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.00				
2235-02.796.57- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,22.00	3,22.00	0.00	(-)3,22.00	₹ 3,22.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.57- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,16.00	2,16.00	0.00	(-)2,16.00	₹ 2,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.65- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 50.00				
2235-02.796.65- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	₹ 34.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 34.00				
2235-02.796.93- राज्य पोषण मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.96- समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.A2- वन स्टॉप सेन्टर (के.से.स्कीम)	मूल	1,04.00	1,04.00	0.00	(-)1,04.00	₹ 1,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.A3- महिला हेल्पलाईन योजना (के.से.स्कीम)	मूल	69.00	69.00	0.00	(-)69.00	₹69.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AC- राजीव गाँधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (के.से.स्कीम)	मूल	2,08.00	2,08.00	0.00	(-)2,08.00	₹2,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	38,00.00	38,00.00	0.00	(-)38,00.00	₹ 38,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	25,33.00	25,33.00	0.00	(-)25,33.00	₹ 25,33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AE- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	1,04.00	1,04.00	0.00	(-)1,04.00	₹1,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमांत

पूँजी :

- (5) बचत के किसी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (6) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.106.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	14,89.83	(-)15,10.17	₹ 15,10.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4235-02.796.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	1,63.01	(-)28,36.99	₹ 28,36.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

- (7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.796.76- बाल विकास परियोजना कार्यालय हेतु वाहन क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2018)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या xvi पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक (+)/कमी(-)	
1	2	3	4	
(₹ हजार में)				
03. भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	30,00	00	(-) 30,00
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	50,00,00	00	(-)50,00,00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	4,01,00,00	1,09,16,41	(-)2,91,83,59
41. पथ निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	1,42,00,00	00	(-)1,42,00,00
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	1,50,00	00	(-)1,50,00
	जोड़: राजस्व दत्तमत	5,43,30,00	1,09,16,41	(-) 4,34,13,59
	पूंजी दत्तमत	51,50,00	00	(-) 51,50,00
	कुल जोड़: राजस्व	5,43,30,00	1,09,16,41	(-)4,34,13,59
	पूंजी	51,50,00	00	(-)51,50,00

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in